



योजना

मई 2016

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

विकलांगता: बाधाओं के पार

विशेष आलेख

विकलांगजन: शैक्षिक अधिकारों व अवसरों का उन्नयन
इंद्रुमति राव

विकलांगता व कौशल विकास
शांति राघवन


विकलांगजनों का वित्तीय समावेशन
पी सी दास

विकलांगजनों का सामाजिक समावेश
संध्या लिमये



फोकस

विकलांगता से आगे सुगम्यता और कल्याण
शिवानी गुप्ता



ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सौहार्द के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को मध्य प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से राष्ट्रव्यापी अभियान ग्राम उदय से भारत उदय अभियान आरंभ किया गया। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित 11 दिन का यह कार्यक्रम 24 अप्रैल 2016 को संपन्न हुआ, जो पंचायती राज दिवस था।

अभियान का उद्देश्य गांवों में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने, पंचायती राज को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने एवं किसानों की प्रगति तेज करने के लिए देश भर में प्रयास आरंभ करना था। अभियान के दौरान विभिन्न मंचों पर ग्रामीण विकास, किसानों की आय में सुधार करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण तथा सामाजिक सौहार्द से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रमों में सभी ग्राम पंचायतों में एक सामाजिक सौहार्द कार्यक्रम शामिल किया गया, जहां ग्रामवासियों ने डॉ. अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किये तथा सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का प्रण लिया। सरकार की सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाली विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण किसानों की सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में किसानों को फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई और कृषि में सुधार लाने के लिए उनकी सलाह मांगी गई।



20 से 21 अप्रैल, 2016 के बीच देश भर में ग्राम

सभा की बैठकें आयोजित की गईं। पंचायती राज दिवस

पर ग्राम सभाओं की बैठकों के मुख्य कार्यक्रम से पूर्व 19 अप्रैल, 2016 को विजयवाड़ा में जनजातीय महिलाओं एवं दस राज्यों की पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के ग्राम पंचायत अध्यक्षों की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। इसमें पंचायत एवं जनजातीय विकास पर ध्यान केंद्रित रखा गया। इन ग्राम सभाओं में चर्चा के विषय इस प्रकार थे:-

- स्थानीय आर्थिक विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनाएं
- पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध धन का अभीष्टतम प्रयोग
- स्वच्छ पेयजल एवं सफाई
- गांव एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों एवं हाशिए पर मौजूद अन्य समूहों का सामाजिक समावेश

सामाजिक-आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित भी जानकारी प्रदान की गई।



योजना

वर्ष: 60 • अंक 5 • मई 2016 • बैशाख-ज्येष्ठ, शक संवत् 1938 • कुल पृष्ठ: 60

हिंदी, असमिया, बांगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

<http://www.facebook.com/yojanahindi>

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी.के. मीणा
सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी. पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण,
पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के
लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर
'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के
नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53

भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के
लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी
संपर्क किया जा सकता है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर

नयी दिल्ली

नवी मुंबई

कोलकाता

चेन्नई

तिरुअनंतपुरम्

हैदराबाद

बांगलुरु

पटना

लखनऊ

अहमदाबाद

गुवाहाटी

पता

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड

हाल सं. 196, पुराना सचिवालय

701, सी- विंग, सातवीं मैजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर

8, एसप्लानेड इस्ट

'ए' विंग, राजगी भवन, बंसल नगर

प्रेस रोड नयी गवर्नरमेंट प्रेस के निकट

ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली

फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला

बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ

हाल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज

अबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर

के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेन्नैकुटी

पिनकोड

110003 24367260

110054 23890205

400614 27570686

700069 22488030

600090 24917673

695001 2330650

500001 24605383

560034 25537244

800004 2683407

226024 2225455

380007 26588669

781003 2665090

दूरभाष

24367260

23890205

27570686

22488030

24917673

2330650

24605383

25537244

2683407

2225455

26588669

2665090

इस अंक में


- संपादकीय 7
- विशेष आलेख 9
- विकलांगजन: शैक्षिक अधिकार व अवसरों का उन्नयन
इंटमर्सि राव 9
- राष्ट्रीय न्यास: विकलांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास
थावरचंद गेहलोत 13
- विकलांगता व कौशल विकास
शांति राघवन 17
- विकलांगों के लिए वित्तीय समावेशन
पी.सी. दास 19
- फोकस 22
- विकलांगता से आगे सुगम्यता और कल्याण
शिवानी गुप्ता 22
- विकलांगजनों का सामाजिक समावेशन: मुद्रे और रणनीतियां
संध्या लिमये 25
- सुगम्य भारत अभियान: निर्बाध वातावरण और सशक्तीकरण की राह
अखिलेश पाठक 28
- तकनीकी विकास से राह आसान अमित कुमार सिंह, कपिल कुमार 33
- दया नहीं अधिकार दिलाने की पहल
मुकेश केरजीवाल 37
- विकलांगजन: शारीरिक पुनर्वास व संस्थागत प्रयास
दीपक रंजन 41
- अप्रयुक्त मानव संसाधन: अपार संभावनाएं
स्मिता सिन्हा 47
- विकलांग खिलाड़ी: सहानुभूति के साथ समर्थन भी जरूरी धर्मेंद्र मोहन पंत 51
- तन से लाचार, लेकिन मन से लाजवाब
निकहत प्रवीन 55
- क्या आप जानते हैं? 58

• योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

• योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

• प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610



आपकी राय



नारी के प्रति सोच बदले समाज

हम कितने ही सभ्य उदार और आधुनिक क्यों न हो गए हैं, किंतु मूल विचारधारा में बहुत परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ऐसा मैं बिना किसी कारण के नहीं कह रहा क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो नित्य हमारे सामने नारी अपमान की घटनाएं ना घटित होतीं।

कुछ सवाल मैं अपने सभ्य समाज के उन लोगों से करूँगा, जिनके पास बाहुबल की कमी नहीं और उसी के बल पर वह औरतों को उपयोग और उपभोग के वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझते। आज जिस बल के दम पर वो नारी को अपमानित करके अपना मान बढ़ा रहे हैं, आखिर वह बल उनको मिला कैसे है??

पुरुष को अपने पौरुष का इतना अभिमान क्यों? क्यों पुरुष यह भूल जाता है कि उसके जीवन का आधार स्त्री ही है। मानसिक स्तर पर जब-जब एक पुरुष बिखरता है, तो उसे एक स्त्री के सहारे की ही जरूरत होती है। कभी वह मां बनकर ममता लुटाकर उसको संवारती है, तो कभी पत्नी बनकर उसके हर दुख को सहर्ष बांट लेती है, कभी बहन बनकर उसके लिए दुआ करती है, तो कभी बेटी बनकर उसका सहारा बनती है। क्यों पुरुष ऐसी स्थिति में अपने किसी पुरुष मित्र के पास नहीं जाता? क्योंकि ताकत ही दुनिया में सब कुछ नहीं। जो काम ममता और प्यार से हो सकता है वो ताकत से

नहीं हो सकता और ईश्वर ने ममता, त्याग, प्यार यह गुण स्त्री को वरदान में दिए हैं। जब स्त्री स्वयं को अर्थांगिनी कहकर गर्व का अनुभव ही करती है, तो पुरुष क्यों यह स्वीकार नहीं करते कि स्त्री के बिना वो भी संपूर्ण नहीं?

**मनोरथ सेन
जिला-जामताडा (झारखण्ड)**

सहेत है, तो सब है

विकास को समर्पित मासिक पत्रिका योजना का फरवरी 2016 अंक पढ़ने को मिला। सारगर्भित संग्रहणीय अंक लगा। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का रेखांचित्र खींचा गया है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कागजी हैं, जो दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में जागरूकता अभियान चलाया जाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य न रहने से किसी भी धन संपदा का कोई मूल्य नहीं है। स्वास्थ्य बचे तो राष्ट्र बचे का नारा बुलंद होना चाहिए।

**प्रदीप गौतम सुमन
बोदा, रीया (म.प्र.)**

योजना के संदर्भ में

पत्रिका योजना का 20 वर्षों से नियमित पाठक हूँ, लेकिन फरवरी 2016 का अंक काफी आकर्षित एवं जानकारी युक्त था। सबसे पहले मैं इस पत्रिका के आपकी राय स्तंभ

को पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें राष्ट्र के विभिन्न कोने से पाठकगण की राय होती है। मैं उन सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समय-समय पर संपादक महोदय को अपने सुझाव देते रहते हैं। तप्तश्चात संपादकीय स्तंभ को पढ़ता हूँ, वह काफी काबिलेतारिफ है।

लेखक टी. सुंदररामन जी द्वारा आलेख भारत में स्वास्थ्य क्षेत्रः दृष्टिकोण और भावी रूपरेखा में जिस प्रकार से भारत में असंक्रामक रोगों से मौतें व अन्य देशों में तुलना के माध्यम से और 11वीं एवं 12वीं योजना अवधि में स्वास्थ्य व एनएचएम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है वह प्रतियोगी छात्र/छात्रा के लिए काफी ज्ञानवर्धक विषय होगा।

दृष्टिकोण स्तंभ में लेखक जे.वी.आर. प्रसाद राव जी के आलेख भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का विकास में भारत का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास पर्यावरण संरक्षण को तीन स्तंभों के माध्यम से समझाने का जो प्रयास किया है वह वास्तव में गागर में सागर है। इसी प्रकार से वित्त प्रबंधन कॉलम में लेखक आलोक कुमार के लेख भारत में स्वास्थ्य पर व्ययः दक्षता उन्नयन में तालिका एवं स्वास्थ्य एवं विकास लक्ष्य प्राप्त प्रणाली का वर्णन किया है। दिए गए तथ्य ज्ञानवर्धक हैं। सुभाष शर्मा जी का लेख सबका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण वैश्विक परिदृश्य काफी लोकप्रिय विषय साबित होता हुआ नजर

आया है। चंद्रकांत लहरिया जी द्वारा लेख संपूर्ण स्वास्थ्य कवरेज एवं सतत विकास लक्ष्य में सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों के केंद्र के रूप में संपूर्ण स्वास्थ्य कवरेज एवं एसडीजी और एसडीजी कार्यान्वयन साधन का वर्णन किया है। यह वास्तव में प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए काफी लाभप्रद है। इसी प्रकार से संजीव कुमार, मीरा मिश्र, अमित कुमार सिंह, संजय श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार पांडेय, पवन सिन्हा हिमांशु, शेखर मिश्रा, मनीष कुमार, गिरिजेश सिंह महरा, वी संगीता, प्रेमलता सिंह, संदीप दास आदि लेखकों के का आलेख व लेख भी काफी ज्ञानवर्धक हैं। विश्व पुस्तक मेला में प्रकाशन विभाग की सहभागिता के लिए भी धन्यवाद।

**सुजीत कुमार
राष्ट्रपति रोवर स्काउट, टर्नर अनुदेशक,
आईटीआई बेगूसराय (बिहार)**

स्वास्थ्य सेवाओं की ओर देना होगा ध्यान

मैं ने फरवरी 2016 की योजना पत्रिका का मार्च अंक 2016 पढ़ा, जोकि स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। यह अंक काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर था। इस अंक के सभी आलेख काफी अच्छे लगे। हमारे देश में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में स्टॉफ का टोटा रहता है। गरीबों को सुविधाएं उचित ढंग से अस्पतालों में प्राप्त नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में कहीं पर्याप्त दवाएं नहीं होती, तो कहीं सभी प्रकार की जांचों की सुविधाएं नहीं होती। कहीं-कहीं तो अस्पताल कर्मचारी मरीजों के साथ ठीक व्यवहार भी नहीं करते। 108 आपातकालीन सेवा का नंबर आवश्यकता होने पर मिलता भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में ये आलम है कि अगर किसी मरीज की जान-पहचान है तो उसे इलाज अच्छा मिल जाएगा। अन्यथा भगवान भरोसे ही इलाज होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में है। डॉक्टरों की कमी, स्टॉफ की कमी, दवाईयों की कमी, जांचों की व्यवस्था ना होना पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में आम बात है। पहाड़ के चिकित्सालय केवल रैफर सेंटर बनकर

रह गए हैं। अगर कोई ज्यादा गंभीर मरीज जिला चिकित्सालय लाया जाता है, तो उसे हल्द्वानी रैफर कर दिया जाता है और हल्द्वानी वाले उसे बरेली रैफर कर देते हैं। इसे देखकर पता चलता है कि पहाड़ों पर स्वास्थ्य क्षेत्र की कितनी बुरी दशा है। ज्यादातर डॉक्टर पहाड़ों पर सेवा देने से कठरते हैं। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं भी पहाड़ से पलायन का एक बड़ा कारण है।

महेंद्र प्रताप सिंह मेहरागांव, अल्मोड़ा

यो जन का फरवरी 2016 अंक में प्रकाशित स्वास्थ्य: राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में प्राथमिकता और भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र: दृष्टिकोण और भावी रूपरेखा ज्ञानवर्धक लगा। अब समय आ गया है कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आने वाली युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो देश का विकास प्रभावित होगा। गरीब परिवार पैसे के अभाव में अपने शरीर को स्वस्थ रखने में असमर्थ हैं। मध्यम एवं निम्न वर्गों के किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवा सबसे महंगी सेवाओं में शुमार हो चुकी है।

अधिक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य बीमा सबसे अच्छा तरीका है। आदिवासियों, किशोरों तथा युवाओं, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियां आम जनता की चुनौतियों से अलग हैं। आदिवासी इलाजों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

**अशोक कुमार ठाकुर
मालीटोल, पो. अदलपुर, दरभंगा
(बिहार)**

बजट पर उम्दा जानकारी

के द्वीय बजट पर केंद्रित योजना का मार्च, 2016 का अंक पढ़ा। अंक से 2016-17 बजट के कारण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भों के विषय में विशेष जानकारी मिली। मैं योजना का अप्रैल 2009

से नियमित पाठक हूं। भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का विकास फ्रांसीसी शब्द बुलेट से हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला होता है। वर्ष 1773 में ब्रिटिश संसद की प्रथम एवं निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां के वित्तमंत्री सरकार के आय-व्यय संबंधी कागजात चमड़े के थैले में लेकर गए थे। उन्होंने थैले से बैग निकालकर जब कागजात को सदन पटल पर रखा तो वहां उपस्थित सदस्यों ने कहा आपेन दि बुलेट, उसी समय से सरकारी आय-व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। बजट शब्द सिफ आय-व्यय तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत सरकार के आय-व्यय संबंधी विवरण के साथ सरकार की भावी नीतियां, सरकार के लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य आदि शामिल होते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 में बजट पारित करने संबंधी संसदीय अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बजट की रचना वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। संघीय सरकार के वित्तीय नियमों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है। इस व्यवस्था का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 77(ग) में किया गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघीय सरकार के संचालन संबंधी नियम बनाने का प्राधिकार प्रदान करता है। इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

**अमित कुमार गुप्ता
रामपुर, नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार**

ईमेल: kramitkumar2@gmail.com

प्रश्नोत्तरी भी प्रकाशित करें

मुझे योजना पत्रिका बहुत अच्छी लगती है। मैं पिछले कुछ महीनों से लगातार पढ़ रहा हूं। इसमें दी गई तमाम जानकारियां काविल-ए-तारीफ हैं।

मेरा अनुरोध है कि आप प्रतियोगिताओं के लिए सवाल-जवाब का एक पृष्ठ भी जोड़ें।

**अरुण बन्नाटे
तमुखेड़ा, गोंदिया, महाराष्ट्र**
ईमेल: arun.bannate@gmail.com



Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

हिंदी माध्यम के IAS/PCS टॉपर्स क्या कहते हैं 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका के बारे में...



निशांत जैन (IAS - राजस्थान कैडर)

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' स्वयं में एक अनूठी और बहुआयामी पत्रिका है। इसका सभी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होना प्रतियोगिता जगत की एक बड़ी ज़रूरत पूरी करता है। मैंने युद्ध इस पत्रिका का लाभ उठाया है।

सिविल सेवा परीक्षा पर ही पूरी तरह केन्द्रित यह पत्रिका कई मायनों में विशिष्ट है। इंटरव्यू खंड, निबंध खंड, एथिक्स आदि पर विशेष ध्यान देना इस पत्रिका को बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाता है। समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नज़रिये से विश्लेषण और फिर उनकी बिन्दुराह प्रस्तुति बेहद उपयोगी और प्रासारिगंक है।

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' आपकी सफलता में सार्थक भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

राजेन्द्र पंसिया (IAS - उत्तर प्रदेश कैडर)

हिंदी माध्यम के अध्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रिका कौन सी पढ़ी जाए? इसके लिये सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारांशित स्रात 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के माध्यम से मिलता है। इंटीग्रेटेड एप्लिकेशन से तैयारी के लिये हिंदी माध्यम में ऐसी किसी पत्रिका का अभाव था जो प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। विकास सर के मार्गदर्शन में यह पत्रिका निश्चित ही इन सभी मानकों पर खरी उत्तरी है। हिंदी माध्यम के अध्यार्थी गूगल ट्रॉनसलेटेड मैटीरियल पढ़ने की बजाय यह पत्रिका पढ़ें जो पूर्णतः मौलिक व अनुभवी टीम की मेहनत का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका उनके लिये निश्चित रूप से वरदान साभित होगी। शुभकामनाएँ।



मनोष कुमार (IPS)

यह पत्रिका ('द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे') हिंदी माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश है। इसके सभी खंडों का व्यवस्थित अध्ययन तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। पत्रिका के 'समसामयिक मुद्दों पर सभावित प्रश्नोत्तर' खंड से मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी में विशेष मदद मिली थी।



अंकित तिवारी (IRS IT)

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' एक सारांशित एवं विविध आयामी पत्रिका है जो सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों- प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये आवश्यक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती है। हिंदी माध्यम के अध्यार्थियों के लिये सबसे बड़ी चुनौती समसामयिक मुद्दों पर प्रामाणिक कंटेंट की उपलब्धता की थी परंतु 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है, जो सिविल सेवा अध्यार्थियों के लिये वरदान साभित हो रही है। समसामयिक मुद्दों पर 'प्रश्नोत्तर खण्ड' तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। विकास सर का सम्पादकीय लोक अध्यार्थियों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है।



विवेक यादव (UPPCS, I-Rank)

राज्य व संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की द्रष्टि से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। यह पत्रिका समसामयिक घटनाचक्र के विषयों में आपकी समझ बढ़ाने के साथ ही साथ उस विषय पर बहुआयामी द्रष्टिकोण का सृजन करती है। इस पत्रिका का निबंध वर्षांक इंटरव्यू खण्ड तमाम डाउनलोड को किलमर करने में सहायक है।



आई.ए.एस., गो.सी.ए.स. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका

ISSN 2455-6025

क्र. ॥ अ० ॥ नं० ॥ २०१६



करेंट अफेयर्स टुडे

महत्वपूर्ण लेख

- एक भारत ब्रेक भारत...
- इण टेलीरेज़... लैंडिंग सुरक्षा के समक्ष...
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- धार्मिक अतिवाद एवं युद्ध : भारत के लिये एक चुनौती
- मनरेगा : देश के समाजीय विकास में कितना सफल?

सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज़

- दूसरी कड़ी : भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कला-संस्कृति
- आई.ए.एस. (प्रार्थिक) परीक्षा हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था पर अति महत्वपूर्ण एवं सारांशित सामग्री
- कला-संस्कृति पर बिंदुवार परीक्षाओंगी सामग्री

इंटरव्यू एवं वाद-विवाद

- बज़ारिया : इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ जटिल प्रश्न और उनके उत्तर (तीसरा अंडा)
- भांक इंटरव्यू और भूत्यांकन
- क्या विवेदिकालयों में छात्र-राजनीति को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिये?



प्रदीप कुमार (IRS)

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' एक मानक पत्रिका है जिसके लिये दो अंकों में तो इसने 'गागर में साह' भर दिया है। वस्तुतः बाज़ार में उपलब्ध स्तरहीन सामग्री ने अध्यार्थियों को दिशा-ग्रामित ही किया है। ऐसे में 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ने विद्यार्थियों की राह आसान कर दी है।



जय प्रकाश (IRTS)

विद्यार्थियों के समक्ष उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री का सदैव अभाव रहा है जिसके कारण दिनी भाषी छात्र हीन भावना का शिकार रहते हैं। यह पत्रिका ('द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे') इस मानक पर खरी उत्तरी है। इसमें परीक्षा के अनुरूप बहुआयामी समसामयिक खंडों को विश्लेषित करने तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है। खास तौर पर निबंध, एथिक्स और इंटरव्यू के लिये किया गया प्रयास इसे अन्य पत्रिकाओं से बेहतर बनाता है जो अवश्य ही विद्यार्थियों की सफलता में निर्णायक सिद्ध होगा। मैं द्रष्टि परिवार की अनुकरणीय पहल का आभार व्यक्त करता हूँ।



आदित्य प्रजापति (UPPCS, II-Rank)

मुख्य व प्रार्थिक परीक्षा के द्रष्टिकोण से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। पत्रिका के लेख, निबंध व एथिक्स खण्ड परीक्षार्थियों के लिये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।



641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9

E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

Contact : 87501 87501, 011-47532596

बाधाओं को चुनौती

अ

ल्बर्ट आइंस्टाइन की सीखने की क्षमता कम थी। फिर भी उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित कर दिया, जिसने आज दुनिया को देखने और समझने के लोगों के तरीके पर बहुत प्रभाव डाला। थॉमस अल्वा एडिसन ऊंचा सुनते थे, लेकिन जिस आधुनिक दुनिया में हम रह रहे हैं, उसके निर्माण में उनके आविष्कार बिजली जितना योगदान किसी और चीज ने नहीं किया।

लुई ब्रेल देख नहीं सकते थे किंतु उनके ही नाम से प्रसिद्ध उनकी रचना ब्रेल ने दुनिया भर के नेत्रहीन लोगों को पढ़ने और लिखने की क्षमता दी। इन लोगों ने सिद्ध किया कि किसी की अक्षमता नहीं बल्कि क्षमता महत्वपूर्ण होती है।

एक समय था, जब शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता को विकलांग व्यक्ति के परिवार तथा स्वयं उस व्यक्ति के लिए अभिशाप माना जाता था। इसे पिछले जन्म में किए गए पापों के बदले भगवान से मिला दंड माना जाता था। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान ने ऐसी गलतफहमी दूर करने में मदद की है। विकलांगता को अब ऐसी चिकित्सकीय समस्या माना जा रहा है, जिसका इलाज हो सकता है। विकलांगजनों के साथ अब समाज से बहिष्कृतों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। विज्ञान एवं नए आविष्कारों ने उनकी विकलांगता के कारण आई कमी दूर करने के उपकरण दिए हैं। ब्रेल, जयपुर फुट आदि कुछ उदाहरण हैं, जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। मानसिक विकलांगता वालों को भी समाज में उनकी आवश्यकताओं के संबंध में अधिक स्वीकार्यता एवं प्रतिक्रिया होने से लाभ हुआ है।

उनकी शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के संबंध में भी पहले से अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। वास्तव में अब यह माना जाने लगा है कि विकलांगजनों को विशेष विद्यालयों में नहीं जाना चाहिए बल्कि समावेशी वातावरण तैयार करने के लिए उन्हें नियमित विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण अब भी समस्या है। किंतु यह भी जल्दी ही बदल जाएगी और विकलांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाएगा।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विकलांगजनों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने योग्य सशक्त बना दिया है। विकलांगजनों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने योग्य बनाने के लिए प्रयास तेज हुए हैं। सुगम्य भारत अभियान ऐसा समावेशी समाज बनाने की सरकार की दृष्टि का ही परिणाम है, जिस समाज में विकलांगजनों को उत्पादकतापूर्ण, सुरक्षित एवं गरिमामय जीवन व्यतीत करने हेतु समान अवसर एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाएं।

नियोक्ताओं द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत भी हाल में बढ़ा है। इस प्रकार ऐसी आबादी का वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। कौशल के बेहतर अवसरों से अधिक योग्य एवं सक्षम श्रम शक्ति तैयार हुई है, जिससे विकलांगजनों की क्षमताओं में नियोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है। सरकार ने भी उनकी आजीविका में सहायता करने हेतु उनके नए, अनूठे विचारों हेतु छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था भी की है। विकलांग व्यक्ति अब जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं: चाहे वह सरकारी सेवा हो, मनोरंजन उद्योग हो या खेल हों।

व्यक्ति किसी भी स्थान पर हो, किसी भी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो अथवा विकलांग हो, प्रत्येक जीवन की एक योजना है, एक उद्देश्य है, एक मूल्य है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्ति सर्वाधिक प्रेरणास्पद व्यक्ति होते हैं। उन्हें समान अवसर दीजिए और अपनी अलग क्षमताओं के साथ वे सामान्य व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली तथा क्षमतावान सिद्ध होंगे और यदि हम सभी इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें समाज में परिवर्तन दिख सकता है। □



सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय संस्थान

IAS

PCS



ISO 9001 : 2008 Certified

M.D.: Neeraj Singh

COMMITTED to EXCELLENCE

The Most Experienced & Competent Faculties



Ashok Singh



Manikant Singh



Prof. Pushpesh Pant



Alok Ranjan



Dr. Abhishek



Abhay Kumar



Dr. M. Kumar



Deepak Kumar



Rameshwar



Dr. V. K. Trivedi



Neeraj
Singh
Managing
Director



Divyansen
Singh
Co-Ordinator

दिल्ली केन्द्र

सामान्य अध्ययन

IAS - 2017

17

प्रथम फाउंडेशन बैच
MAY 11:30 A.M.

30

द्वितीय फाउंडेशन बैच
MAY 8:30 A.M.

15

तृतीय फाउंडेशन बैच
JUNE 6:30 P.M.

Distance Learning Programme

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परोक्ष)

30 Booklets
₹ 12000/-

इलाहाबाद केन्द्र

हिन्दी/ English Medium

GS

Advance Batch
Complete Preparation for IAS/PCS

18 MAY
7:30 A.M.

लखनऊ केन्द्र

हिन्दी/ English Medium

सामान्य अध्ययन
नया फाउंडेशन बैच

9 MAY
9:00 A.M.
ENGLISH
MEDIUM
6:00 P.M.



RAS
(Pre. + Mains)

मई द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ

1-A, Dayal Nagar, Near Narayan Niwas, Gopalpura Bypass, Jaipur 7240717861, 7240727861

DELHI CENTRE

705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

Ph. 011-27658013, 7042772062/63

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph. 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph. 0532-2266079, 8726027579

<http://www.gsworldias.com>

<http://facebook.com/gsworld1>

WhatsApp No. 9654349902

विकलांगजनः शैक्षिक अधिकार व अवसरों का उन्नयन

इंदुमति राव



शिक्षा क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहे हैं लेकिन जब बात विकलांगजनों एवं विकलांग बच्चों को शिक्षा देने की आती है तब सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हालांकि सरकार द्वारा कई तरह के शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी बहुत संतोषजनक नहीं है। ऐसे में सरकार को और बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं लागू करने की आवश्यकता है, जिससे विकलांगजनों का कल का सूरज ज्यादा चमकदार हो। नयी शिक्षा नीति ने इस दिशा में नयी उम्मीद जगाई है।

भा

रत में वर्ष 2001 से 2011 के बीच विकलांगों की संख्या 22.4 प्रतिशत बढ़ गई है। 2001 में 2.19 करोड़ विकलांग थे, जो वर्ष 2011 में 2.68 करोड़ हो गए, जिनमें 1.5 करोड़ पुरुष एवं 1.18 करोड़ महिलाएं थीं। विकलांगों की संख्या में वृद्धि की दर शहरी क्षेत्रों में एवं शहरी महिलाओं में अधिक है। समूचे दशक के दौरान शहरी क्षेत्रों में 48.2 प्रतिशत और शहरी महिलाओं में 55 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अनुसूचित जातियों में विकलांगता की वृद्धि दर 2.45 प्रतिशत है। (2011 की जनगणना)

वर्तमान स्थिति

यदि हम 2011 की जनगणना में प्राप्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या की तुलना करें, तो विकलांग बच्चों के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में भारत को लंबा रास्ता तय करना है। 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में तथा उच्च शिक्षा में विकलांगों के समावेशन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। योजना तैयार करते समय यह आज की बड़ी खामी है।

- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) समावेशी शिक्षा योजना में 10.71 लाख विकलांग बच्चों को जोड़ा गया है। (शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2013-14)
- माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) में

लगभग 2 लाख विकलांग बच्चे शामिल किए गए हैं।

- लगभग 1 लाख विकलांग बच्चे 977 विशेष विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। (एक गैर सरकारी संगठन का अध्ययन)

29 वर्ष तक के आयु वर्ग में जिन विकलांगों को शिक्षा की आवश्यकता है, उनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1.23 करोड़ है, जिनमें से 53.4 लाख विकलांग कन्याएं एवं महिलाएं हैं। मोटा अनुमान है कि लगभग 20 लाख विकलांग व्यक्ति प्राथमिक, माध्यमिक एवं विशेष विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आगे चुनौती यह है कि शिक्षा से वंचित विकलांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए शिक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए?

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का शिक्षा का अधिकार कानून 2005 से लागू होने के बाद भी हम 20 प्रतिशत विकलांग बच्चों/व्यक्तियों तक भी नहीं पहुंच सके हैं। भारत ने विकलांगों के अधिकारों से संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्रों एवं संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं एवं विकलांगों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र समझौते पर भारत ने 2006 में हस्ताक्षर किया और उसे स्वीकार किया। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 24 विशेष रूप से शिक्षा की बात करता है तथा सरकारों को दो काम करने के लिए बाध्य करता है:

- विकलांग बच्चों, युवाओं को अन्य बच्चों के समान शिक्षा मुहैया कराना
- ऐसी शिक्षा समावेशी व्यवस्था में प्रदान करना

यह तकं दिया जा सकता है कि इस खस्ताहाल के पीछे कई कारण हैं किंतु भारत प्रत्येक बच्चे को भेदभाव बगैर शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है, लेकिन विकलांग बच्चों तथा विशेष रूप से विकलांग कन्याओं के लिए विकलांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक

भारत प्रत्येक बच्चे को भेदभाव बगैर शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है, लेकिन विकलांग बच्चों तथा विशेष रूप से विकलांग कन्याओं के लिए विकलांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है।

वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह अवधारणा दृष्टिकोण, अधियान, नीतियों, कार्य योजना, कानूनी प्रावधानों तथा संसाधन आवंटन में दिखनी चाहिए। अतीत में हमने देखा है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अधिन अंग नहीं माना जाता था और सामान्य शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को सच्चे अर्थों में समावेशी बनाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 भारत में विकलांग बच्चों/व्यक्तियों के समावेशन का परिदृश्य बदलने में सक्षम है?

शिक्षा पर समग्र नीति मूलतः राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक दृष्टि को कार्य में बदलने का मार्ग तलाशने का प्रयास है। हमारे समाज के वर्चित वर्ग को शिक्षा एवं विकास की मुख्यधारा में लाना ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए समावेशन की राह में आने वाले सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की बाधाओं को पहचानने तथा व्यवस्थित तरीके से दूर करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 में समावेशी शिक्षा की व्यापक समझ दिखती है। भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यकों/विकलांग बच्चों एवं युवाओं और अत्यंत गरीबी तथा कठिन/

चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रह रहे बच्चों की विविध आवश्यकताओं को शामिल करना होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा का भारतीय दृष्टिकोण शामिल किया गया है, जिसमें वैश्विक चिंताएं तथा प्रतिबद्धताएं झलकती हैं, जिनमें भारत प्रतिभागी है अथवा जिन पर उसने हस्ताक्षर किए हैं।

वे प्रमुख कारक कौन से हैं, जो विकलांग बच्चों/व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रख सकते हैं?

- नीतियां इस बात को नजरअंदाज करती हैं कि विकलांग बच्चों एवं युवाओं को शैक्षिक मुख्यधारा में शामिल किए बगैर सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता
- सभी के लिए शिक्षा में प्रगति पर नजर रखने वाला ढांचा विकलांग बच्चों एवं युवाओं को अनदेखा करता है
- योजना, प्रशासन, निगरानी एवं क्रियान्वयन के स्तरों पर समावेशी शिक्षा की राह में मौजूद व्यवस्थागत बाधाओं को पहचानने एवं दूर करने में असफलता
- यह स्वीकार नहीं करना कि समावेशी शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले कारक उन सामाजिक अंतरों में ही निहित हैं, जो अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्गों के विकलांग बच्चों तथा युवाओं की शिक्षा में होते हैं एवं इन वर्गों के बच्चों के बीच भेद के रूप में होते हैं।
- विकलांगता राज्य/पीआरआई का विषय है और शिक्षा समवर्ती विषय है, जिस कारण भारत के विभिन्न राज्यों में विकलांग बच्चों/युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है।
- विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। समावेशी शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है तथा विशेष शिक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी है। राज्य स्तर पर भी ऐसी तालमेल भरी भूमिकाएं हैं। इस कारण विकलांग बच्चों की शिक्षा में विरोधाभासी नीतियां तथा चलन दिखते हैं। विकलांग बच्चों को कम आयु में ही शिक्षा प्रदान करने की भारत में कोई नीति नहीं है। आरंभिक बाल्यकाल में देखभाल एवं विकास के सबसे बड़े कार्यक्रम एकीकृत

बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) में आंगनबाड़ी केंद्रों को एकीकृत आरंभिक बाल्यकाल विकास केंद्रों के रूप में कार्य करने हेतु विकसित किया जाना अभी बाकी है।

- यह स्वीकार नहीं किया गया है कि समावेशी शिक्षा समूची शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आरंभिक बिंदु हो सकता है, जिसमें सभी सीखने वालों को लाभ होगा और इसी कारण समावेशी शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था द्वारा अतिरिक्त घटक माना गया है।
- विकलांग महिलाओं/कन्याओं के लिए हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों के अनुरूप पुनर्वास रणनीतियों की आवश्यकता है। हमें विकलांग महिलाओं के अधिकारों एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में व्यापक जागरूकता लाने की आवश्यकता है क्योंकि इस आधुनिक जगत में उन पर अधिक मार पड़ती है, जहां महिला के मूल्य को समझकर उसका सम्मान नहीं किया जाता उसके विपरीत मीडिया तथा फैशन उद्योग में जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, महिलाओं की स्थिति वास्तव में वैसी नहीं होती।

विकलांगता की व्यापकता

2001 की जनगणना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों में लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से

शिक्षा पर समग्र नीति मूलतः राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक दृष्टि को कार्य में बदलने का मार्ग तलाशने का प्रयास है। हमारे समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा एवं विकास की मुख्यधारा में लाना ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए समावेशन की राह में आने वाले सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की बाधाओं को पहचानने तथा दूर करने की आवश्यकता है।

थे और केवल 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से थे। पूरे देश की जनसंख्या में 2.13 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त थे। ग्रामीण भारत में विकलांगता शहरी क्षेत्रों (1.93 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक (2.21 प्रतिशत) थी। पुरुषों में विकलांगता (2.37 प्रतिशत)

महिलाओं (1.87 प्रतिशत) की अपेक्षा बहुत अधिक थी। अनुसूचित जातियों में विकलांगता की दर (2.23 प्रतिशत) सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा अधिक थी और अनुसूचित जनजातियों में यह कम (1.92 प्रतिशत) थी। 2001 में 2.19 करोड़ से बढ़कर यह संख्या 10 वर्ष में 2.68 करोड़ हो गई अर्थात् 2.13 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत।

विकलांग व्यक्तियों में रोजगार की दरें भौगोलिक स्थानों (शहरी अथवा ग्रामीण), लिंग, शिक्षा तथा विकलांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होती हैं। ग्रामीण विकलांग कौशल तथा बाजार से काफी कटे हुए हैं। साक्षरता के स्तर कम हैं।

विकलांगता के संबंध में जनगणना के नवीनतम आंकड़ों में देश में विकलांगों की संख्या में मामूली वृद्धि दिखी है, जो 2001 के 2.19 करोड़ से बढ़कर 10 वर्ष में 2.68 करोड़ हो गए हैं। प्रतिशत में देखें तो भारत के महापंजीयक द्वारा जारी 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार यह 2.13 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई है। देश में 1.18 करोड़ विकलांग महिलाएं तथा 1.49 करोड़ विकलांग पुरुष हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों की कुल संख्या 1.8 करोड़ से अधिक है और शहरों में केवल 81 लाख है। पुरुषों में 2.41 प्रतिशत तथा महिलाओं में 2.01 प्रतिशत विकलांग हैं।

विकलांग व्यक्तियों में रोजगार की दरें भौगोलिक स्थानों (शहरी अथवा ग्रामीण), लिंग, शिक्षा तथा विकलांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसीलिए कुल जनसंख्या में विकलांगों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, जो गरीबी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत को देखते हुए स्पष्ट ही हैं। ग्रामीण विकलांग कौशल तथा बाजार से काफी कटे हुए हैं। साक्षरता के स्तर कम हैं और जनगणना के अनुसार 51 प्रतिशत विकलांग साक्षर नहीं हैं, 26 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा ही ले पाए हैं, 6 प्रतिशत को मिडल स्तर की शिक्षा मिली है और केवल 13 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा प्राप्त की है। (अंतरराष्ट्रीय श्रम

संगठन का अध्ययन, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय – बैंकॉक: आईएलओ, 2011)

विकलांगता पर वर्तमान आंकड़े जितना बताते हैं, उससे अधिक छिपाते हैं। जनगणना जैसी भारी भरकम कवायद से विकलांगता पर आवश्यक जानकारी प्राप्त होने की अपेक्षा करना कठिन है क्योंकि विकलांगता की पहचान के लिए विशेष आवश्यकताएं (सूक्ष्म बौद्धिक एवं संवेदन संबंधी विकलांगता) पहचानने वाले कौशल की दरकार होती है, जो तब तक नहीं दिखतीं, जब तक व्यक्ति उन्हें पहचानने में दक्ष नहीं होता है।

भारत में हमें प्रभावी समावेशन हेतु सेवाओं की योजना बनाने के लिए विकलांगता के आंकड़ों की आवश्यकता है। इसके लिए नए तरीकों की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण के तरीके विकलांग व्यक्तियों के संबंध में संपूर्ण सूचना नहीं दे सकते। हमें विकलांग बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए बगैर सामुदायिक स्तर पर प्रभावी समावेशन हेतु सेवाओं की योजना बनाने के लिए विकलांगता, सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक-रोजगार संबंधी स्थितियों, प्रत्येक व्यक्ति की विविध आवश्यकताओं (पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं, कौशल विकास, शिक्षा आदि) पर सूचना चाहिए।

भारत को सामुदायिक स्तर/विद्यालय के स्तर/एकीकृत बाल विकास योजना के स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण अनिवार्य करने की आवश्यकता है। ग्राम विकलांगता पंजिका, विद्यालय विकलांगता पंजिका, वार्ड स्तरीय विकलांगता पंजिका आरंभ कर एवं आधार कार्ड/राशन कार्ड के साथ एक अन्य कार्ड जारी कर ऐसा किया जा सकता है। इस डिजिटल सूचना का उपयोग स्मार्ट पहचान पत्र देने में भी किया जा सकता है, जो वर्तमान कागजी विकलांगता प्रमाण पत्र का स्थान ले सकते हैं। भारत में सीबीआर कार्यक्रम समुदाय आधारित समावेशी सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम विकलांगता पंजिकाओं की व्यवस्था पहले ही चल रही है। समावेशन की राह में बड़ी बाधा माने जाने वाले अन्य मुद्दे निम्नवत हैं:

- विकलांग बच्चे शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षित हैं
- परिवारों की सहायता नहीं की जाती

- शिक्षकों के पास पाठ्यक्रम अपनाने योग्य प्रशिक्षण, नेतृत्व, ज्ञान एवं संसाधन ही नहीं होते
- शिक्षा की खराब गुणवत्ता
- माता-पिता, शिक्षकों, प्रशासकों एवं नीति निर्माताओं के लिए बहुत कम ज्ञान एवं जानकारी उपलब्ध होना
- समावेशी शिक्षा हेतु ढांचा – प्रशासन, नीति, योजना, वित्त, क्रियान्वयन एवं निगरानी ही नहीं होना
- समावेश के लिए जन समर्थन नहीं होना
- जवाबदेही एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं होना

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक अधिकारों में जितनी अधिक खामियां हैं, उनके अनुरूप पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं समावेशी शिक्षा की जवाबदेही नहीं है।

सामाजिक खाई पाटने की पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 में नीचे से ऊपर बढ़ने की नीति अपनाई गई है, जिससे समुदाय की चर्चा/बहस, प्रतिभागिता आरंभ होती है। इस नीति की यह अनूठी विशेषता है और नीति निर्माताओं को समुदाय की चिंता एवं वस्तु स्थिति समझाने हेतु तथा नीतिगत ढांचे में इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से शामिल करने हेतु प्रतिभागिता वाला दृष्टिकोण आवश्यक था। समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 इस प्रयास में सफल है। हम देखते हैं कि इस प्रारूप में समावेशी शिक्षा पर वैचारिक स्पष्टता साफ बताई गई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में विकलांगता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतियां हों, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियां हों, पठन सामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आभासी शिक्षा माध्यम हों।

है। उदाहरण के लिए समावेशी शिक्षा को विकलांग बच्चों के लिए अलग रणनीति के रूप में देखने के बजाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 इसे शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग मानती है और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विकलांग बच्चों/युवाओं

की विविध आवश्यकताओं को मोटे तौर पर समझती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 कहती है कि प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम होना चाहिए। यह नीति विकलांग व्यक्तियों के समावेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तैयार करने हेतु शैक्षिक प्रशासन को सभी स्तरों पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को समझती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 पर ऑनलाइन बहस के दौरान विकलांग व्यक्तियों, परिवारों तथा विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों द्वारा विद्यालयों को पर्याप्त सहायता, ई-कक्षाओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से युक्त करने, सभी शिक्षकों को विशेष/विविध आवश्यकताएं पूरी करने हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। शिक्षा से विचित विकलांग बच्चों/युवाओं तक पहुंचने में शहरी-ग्रामीण खाई को इन चर्चाओं के दौरान प्रमुख चुनौती माना गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में विकलांगता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतियां हों, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियां हों, पठन सामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आधारी शिक्षा माध्यम हों।

इसमें समावेशी नीति के मामले में विकलांगता के बजाए शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह नीति विकलांग बच्चों को अलग-थलग करने के प्रचलन को समाप्त करती है। यह प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसे सक्षम तथा सहयोगी वातावरण में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समावेशी दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों को विशिष्ट, दिखाई देने वाले, मापने योग्य एवं प्राप्त करने योग्य कदमों से जोड़ती है, जिस वातावरण में

ऐसे सक्षम तथा सहयोगी वातावरण में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समावेशी दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों को विशिष्ट, दिखाई देने वाले, मापने योग्य एवं प्राप्त करने योग्य कदमों से जोड़ती है, जिस वातावरण में

समावेशी नीति के मामले में विकलांगता के बजाए शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह नीति विकलांग बच्चों को अलग-थलग करने के प्रचलन को समाप्त करती है। यह प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसे सक्षम तथा सहयोगी वातावरण में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समावेशी दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों को विशिष्ट, दिखाई देने वाले, मापने योग्य एवं प्राप्त करने योग्य कदमों से जोड़ती है।

बच्चों से विकलांगता अथवा लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 को एकदम निचले स्तर पर क्रियान्वित किया गया तो इसमें कायापलट करने की जबरदस्त संभावना है।

हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आशा करनी चाहिए एवं उसके लिए कार्य करना चाहिए, जिसके दरवाजे सभी विकलांग विद्यार्थियों के लिए खुले हों और उनके लिए अनुकूल वातावरण हो। लचीली शिक्षा व्यवस्था, ई-लर्निंग सुविधाएं, प्रस्तावित स्वयं ऑनलाइन शिक्षण, समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, सभी वर्तमान शिक्षकों में क्षमता निर्माण तथा अन्य उपायों से सभी के लिए शिक्षा भारत में यथार्थ बन जाएंगी। □

संदर्भ

- ई. हेलैंडर (1993): प्रेजेडिस एंड डिग्निटी, यूएनडीपी, न्यूयॉर्क
- दि सलामान्का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एकशन ऑन स्पेशल नीड्स एजूकेशन। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजूकेशन: एक्सेस एंड क्वालिटी, सलामान्का, स्पेन, 7-10 जून 1994, यूनेस्को एवं शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय, स्पेन 1994
- टी. जॉनसन (1995): इनक्लूसिव एजूकेशन, यूएनडीपी, जिनेवा
- डल्ल्यूसीईएफए (1990): वर्ल्ड डिक्लेयरेशन ऑन एजूकेशन फॉर ऑल, इंटर-एजेंसी कमीशन फॉर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजूकेशन फॉर ऑल, 1990
- ग्लोरिया बरेट, मीता नंदी (1994): कन्वेंशन ऑन द राइद्स ऑफ द चाइल्ड, द डिसेबल्स चाइल्ड
- बी. लिंडक्विस्ट (1994): सलामान्का, स्पेन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजूकेशन में प्रस्तुत शोध पत्र 'स्पेशल नीड्स एजूकेशन: कन्सेंचुअल फ्रेमवर्क, प्लानिंग एंड पॉलिसी फैक्टर्स' (एनयू न्यूज ऑन हेल्थ केयर इन डेवलपिंग कंट्रीज 2/95, अंक 9 से लिया गया)
- टी. जॉनसन (2003): सीबीआर नेटवर्क के सुरू शिक्षा कार्यक्रम हेतु तैयार की गई इनक्लूसिव एजूकेशन सीटी
- इंदुमती राव, फ्रॉम पंचायत पार्लियामेंट (2000): सीबीआर नेटवर्क
- इंदुमती राव, (2002): कंट्री स्टेटस ऑन इनक्लूसिव एजूकेशन/स्पेशल नीड्स डॉक्यूमेंटेशन गुड प्रैक्टिसेज, यूनिसेफ, क्षेत्रीय कार्यालय
- इंदुमती राव एवं अन्य (2000): मूर्किंग अवे फ्रॉ लेबल्स - अ क्लासरूम फॉर ऑल लर्नर्स, सीबीआर नेटवर्क, बैंगलूरु
- पोर्टिज टु एवरी विलेज 1998: सीबीआर नेटवर्क, बैंगलूरु
- इंदुमती राव (2001): अंडरसर्टेंडिंग इनक्लूसिव एजूकेशन फ्रॉम हार्ट, ईंडेनेट न्यूजलेटर एवं वेब प्रकाशन
- एमएनजी मणि (2000): इनक्लूसिव एजूकेशन, रामकृष्ण विद्यालय, कोयंबटूर

प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की नई दरें

क्रम	पत्रिका	प्रति अंक	वार्षिक	द्विवार्षिक	त्रिवार्षिक	विशेषांक
1	योजना *	22	230	430	610	30
2	कुरुक्षेत्र	22	230	430	610	30
3	आजकल *	22	230	430	610	30
4	बाल भारती	15	160	300	420	20
5	रोजगार समाचार #	12	530	1000	1400	लागू नहीं

* नयी दरें अप्रैल 2016 अंक से लागू, # रोजगार समाचार की नई दरें 6 फरवरी 2016 से लागू

पत्रिकाओं की सदस्यता ऑनलाइन भी ली जा सकती है। ऑनलाइन लिंक के लिए योजना/प्रकाशन विभाग/भारत कोष वेबसाइट पर जाएं।

राष्ट्रीय न्यासः विकलांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास

थावरचंद गेहलोत



विकलांगता कई प्रकार की होती है। हर प्रकार के लिए विशेष दृष्टिकोण के साथ विशेष समाधान की जरूरत होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत

राष्ट्रीय न्यास मंदबुद्धिता, ऑटिज्म तथा सेरेबरल पालसी जैसी विकलांगता के लिए विशेष कार्य करता है। संप्रति, न्यास का जोर वित्तीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ-साथ डिजिटल इंडिया की अवधारणा के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रौद्योगिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे

सा

माजिक न्याय व अधिकारिता एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी। समाज के शोषित दलित वर्ग के उत्थान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी विकलांगजनों को न्याय व अधिकारिता देने के लिए दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांगजनों की विशेष शक्ति और परिस्थिति के कारण उनको दिव्यांग संबोधित किया है, ताकि उन्हें समाज और परिवार हीन दृष्टि से न देखे। विकलांगजनों को दिव्यांग के रूप में संबोधित करने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय में आने के बाद इन विकलांगजनों से संबोधित योजनाओं की जब मैंने समीक्षा की तो यह पाया कि हमारे देश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2.68 करोड़ विकलांगजन हैं। इनकी सेवा हम विभिन्न योजनाओं व नीतियों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं।

इन विकलांगजनों में मानसिक, बौद्धिक और बहुविकलांगताओं की संख्या भी काफी अधिक है, जो लगभग 85 लाख तक पहुंचती है। इसके लिए 1995 में विकलांग जन अधिनियम में जिन 7 विकलांगताओं को स्थान दिया गया, उनमें मंदबुद्धिता, सेरेबरल पालसी और बहुविकलांगता को प्रमुखता से रखा गया था। 1995 का यह विशेष अधिनियम आने के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री और हमारे अग्रणी द्रष्टा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की जो ऑटिज्म, सेरेबरल पालसी, मंदबुद्धिता व बहुविकलांगता वालों के कल्याणार्थ कार्य करता है।

आज मैं राष्ट्रीय न्यास के संबंध में विशेष चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री

के निर्देश पर मैंने इस राष्ट्रीय न्यास को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की। सबसे पहले यह उल्लेखित करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय न्यास को 1999 में सिर्फ 100 करोड़ रुपये कि सीमित धनराशि दी गई जिसकी आय से वे अपना बजट बनाते थे। गत 15 वर्षों में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं का न स्वयंसेवी संस्थाएं इतना लाभ उठा पा रही हैं और न ही राष्ट्रीय न्यास के पास इतनी धनराशि थी कि वे 85 लाख विकलांगजनों की किसी न किसी रूप में सेवा कर सकें।

15 वर्षों में 100 करोड़ की राशि में कोई बढ़ोतरी न होने से और लगभग 10 करोड़ की आय में आधी राशि प्रशासन पर और आधी राशि योजनाओं पर खर्च होने के कारण 15 वर्षों में योजनाओं पर औसतन 4.31 करोड़ रुपये ही प्रति वर्ष खर्च हो पा रहे थे। साथ ही योजनाओं का वैसा असर नहीं दिख रहा था जिस उद्देश्य से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की थी।

मौजूदा सरकार ने जब विकलांगजनों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया तो इस दायरे में मैंने राष्ट्रीय न्यास को भी लिया। राष्ट्रीय न्यास में आमूल-चूल परिवर्तन दो दृष्टियों से किया जाना आवश्यक था। जो पुरानी योजनाएं चल रही थीं उनका विश्लेषण कर उन्हें संशोधित करना या अगर असरदार न हो तो बंद करना। साथ ही यह भी जरूरी था कि ऐसी नई योजनाओं का विकास करना जो बौद्धिक, मानसिक तथा बहु विकलांगजनों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग दे। दूसरा पहलू यह था कि राष्ट्रीय न्यास राष्ट्रीय

लेखक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। इस समय मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। ईमेल: officesjem@gmail.com

स्तर का होते हुए भी प्रशासनिक रूप से छोटी संस्था है। इसमें केवल 15-20 लोग ही काम

पहले इन योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करनी जरूरी थी जिसके लिए वित्त मामलों की स्थाई समिति के लिए नोट तैयार किया गया जिसे नीति आयोग व वित्त विभाग के साथ-साथ 10 और मंत्रालयों को भेजा गया। खुशी की बात है कि इन मंत्रालयों ने इन नई योजनाओं का समर्थन किया।

करते हैं। इस सरकार की यह भी मंशा थी कि प्रशासन में और योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही तय हो। वैसे भी राष्ट्रीय न्यास लगभग 500 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से काम करता है।

मौजूदा सरकार ने जब डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया तो मैंने अधिकारियों को डिजिटल इंडिया का विकलांगजनों के लिए अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी। आधुनिक युग में सरकार के छोटे संस्थान, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग कर ही अपनी पारदर्शिता व जवाबदेही कायम रख सकते हैं। इसलिए यह तय किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अधिनक्षण योजना डिजिटल इंडिया का राष्ट्रीय न्यास भरपूर उपयोग करे।

पहले चरण के रूप में योजनाओं को संशोधित करने तथा नई योजनाओं को विकसित करने का कार्य 2015 की पहली तिमाही अर्थात् फरवरी 2015 में हाथ में लिया गया। देश भर में फैले 500 स्वयंसेवी संगठनों से क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से विचार-विमर्श प्रारंभ हुआ। साथ ही एक प्रश्नावली भी तैयार की गई जो इन स्वयंसेवी संगठनों को भेजी गई। इनसे मिली प्रतिपृष्ठि के आधार पर 6 माह में नई व संशोधित योजनाएं तैयार की गईं। इन योजनाओं के प्रारूप पर राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड में व्यापक विचार-विमर्श हुआ तथा अंततः 24 नवंबर 2015 को इन योजनाओं का शुभारंभ विज्ञान भवन में किया गया।

यहां यह बताना जरूरी है कि पहले इन योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करनी जरूरी थी जिसके लिए स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के लिए नोट तैयार किया गया। इसे नीति आयोग व वित्त विभाग के साथ-साथ 10 और मंत्रालयों को भेजा गया। मुझे इस

बात कि खुशी है कि इन मंत्रालयों ने इन नई योजनाओं का समर्थन किया। मैं विशेष रूप से नीति आयोग व वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मानसिक, बौद्धिक व बहुविकलांगजनों की आवश्यकताओं को समझ कर 2 वर्ष के लिए 79.81 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

यह जरूरी है कि समाज के इन वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। राजनैतिक पार्टी होने के नाते कई बार पार्टीयां उन नागरिकों की ओर ज्यादा ध्यान देती हैं, जो बोट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत आने वाले विकलांगजनों की ओर पहले काफी कम ध्यान दिया गया था। मुझे स्मरण आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2014 को जब शपथ ली तो उन्होंने यह कहा था कि “...भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मैं सबका सहयोग, आशीर्वाद और सक्रिय सहभागिता का आवाहन करता हूँ...”

नवंबर 2015 में नई योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् 3 महीनों में 13 नए केंद्र स्वीकृति किए जा चुके हैं, जिससे सैकड़ों विकलांगजनों को राहत मिलेगी। उम्मीद है कि 2016-17 में घरौंदा केंद्रों के संख्या 30-40 तक पहुंच जाएगी।

इसी सिद्धांत को कायम रखते हुए राष्ट्रीय न्यास ने न केवल योजनाओं में आमूल चूल परिवर्तन किया बल्कि डिजिटल इंडिया के तहत नई वेबसाइट और स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) को भी तैयार किया। पुरानी योजनाओं की कार्यप्रणाली के बारे में संक्षिप्त चर्चा आवश्यक होगी, ताकि नए परिदृश्य को समझा जा सके। इन विकलांगजनों की आजीवन देखभाल के लिए घरौंदा योजना शुरू की गई थी और 7 वर्षों में इस योजना में 12 केंद्रों की स्वीकृति दी गई, लेकिन 8 ही स्थापित हो पाए। उनमें भी इतने वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे के सिर्फ 15 हितग्राही ही लाभान्वित हो पाए। घरौंदा योजना की वित्तीय सहायता का प्रारूप भी ऐसा था कि कोई स्वयंसेवी संगठन व राज्य सरकार इन्हें चलाने में विशेष रुचि नहीं ले रही थी।

नवंबर 2015 में नयी योजनाएं प्रारंभ होने के पश्चात् 3 महीनों में 13 नए केंद्र स्वीकृति किए जा चुके हैं, जिससे सैकड़ों विकलांगजनों

को एक राहत मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि 2016-17 में घरौंदा केंद्रों के संख्या 30-40 तक पहुंच जाएगी। अभी न केवल घरौंदा का प्रशासनिक ढांचा बदला गया बल्कि वित्तीय ढांचा भी बदला गया। पहले हम आवर्ती व्यय के लिए कोई राशि नहीं देते थे, लेकिन अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और कम आय वाले हितग्राहियों के लिए 10000 रुपये प्रति माह प्रति हितग्राही दे रहे हैं, ताकि स्वयंसेवी संगठन इसे अच्छे से संचालित कर सकें।

उसी प्रकार समर्थ योजना में भी वित्तीय ढांचा उचित नहीं रखा गया था। वर्ष 2014-15 तक हितग्राहियों की संख्या केवल 237 रह गई और कुल 15 समर्थ केंद्र संचालित हो रहे थे। इस योजना का वित्तीय ढांचा बदलने के बाद, पिछले 3 महीनों में 17 केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं और इस वित्त वर्ष में कम से कम 50 नए केंद्र प्रारंभ हो जाएंगे।

इसी प्रकार इन चार विकलांगताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में भी बहुत परिवर्तन लाए गए हैं। ओपीडी और दवाइयों के खर्च में 20 प्रतिशत की बढ़ातरी की गई। इन विकलांगजनों के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ओकुपेशनल थेरेपी एक बड़ी आवश्यकता है। पहली बार थेरेपी के लिए प्रति लाभार्थी 10,000 रुपये प्रति वर्ष इसके लिए अलग से रखे गए। निरामय में 7 साल में लगभग 50,000 हितग्राहियों को जोड़ा गया था। पिछले छह माह में हितग्राहियों की संख्या 74,500 हो चुकी है जबकि इस वर्ष 1 लाख हितग्राहियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वर्ष बजट भाषण में निरामय योजना के प्रीमियम पर सर्विस टैक्स में छूट दी जिसके कारण राष्ट्रीय न्यास का लाखों रुपया बचेगा।

अभी न केवल घरौंदा का प्रशासनिक ढांचा बदला गया बल्कि वित्तीय ढांचा भी बदला गया। पहले हम आवर्ती व्यय के लिए कोई राशि नहीं देते थे लेकिन अब गरीबों और कम आय वाले हितग्राहियों के लिए 10000 रुपये प्रति माह प्रति हितग्राही दे रहे हैं ताकि स्वयंसेवी संगठन इसे अच्छे से संचालित कर सकें।

समर्थ योजना में भी वित्तीय ढांचा उचित नहीं रखा गया था। वर्ष 2014-15 तक आते आते हितग्राहियों कि संख्या केवल 237 रह गई और कुल 15 समर्थ केंद्र की इसको संचालित करने में रुचि दिखा रहे थे। इस योजना का वित्तीय ढांचा बदलने के बाद, पिछले 3 महीनों में 17 केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं और इस वित वर्ष में कम से कम 50 नए केंद्र प्रारंभ हो जाएंगे।

मैं संक्षेप में कुछ नयी और जरूरी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी और मंदबुद्धि के बच्चों की लगातार देखभाल बहुत आवश्यक होती है। बचपन से ही अगर इन विकलांग बच्चों को उचित सहायता मिले और विशेषज्ञ उनके विकास के लिए हस्तक्षेप करें तो उनके जीवन में आगे की राह सरल हो जाती है। ये बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसीलिए दिशा केंद्र की स्थापना की गई है। यह नयी योजना है, फिर भी 3 महीनों में 35 केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं जिसके माध्यम से इन बच्चों व इनके माता-पिता को समय पर विशेष सलाह मिल पाएंगी और इनका मानसिक व बौद्धिक विकास भी सुनिश्चित तरीके से किया जा सकेगा। दिशा में आने वाले गरीब व कम आय वाले परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए 4500 रुपये प्रति माह के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वयंसेवी संगठनों को दी जाएंगी।

इसी प्रकार दिवसीय देखभाल के लिए नयी योजना विकास के रूप में प्रारंभ की गई है, जिसमें 10 साल से ऊपर के विकलांगजनों को दिवसीय देखभाल के माध्यम से उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इस श्रेणी के विकलांगजनों के लिए काउंसलर, विशेष शिक्षक और थेरेपिस्ट का सहयोग मिलना बहुत जरूरी होता है। इन दिवसीय देखभाल केंद्रों पर विशेषज्ञों द्वारा हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। इनके विकास में आपसी संवाद से काफी फायदा मिलता है। आमतौर पर बहुत से परिवार इन विकलांगजनों को बाहर नहीं जाने देते क्योंकि वे मानसिक व बौद्धिक विकलांग हैं। अब उन्हें यह प्रेरणा मिलेगी कि वे उन्हें इन केंद्रों पर भेजें, ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके।

सामाजिक रूप से मानसिक, बौद्धिक और बहुविकलांगजनों के लिए विशेष संवेदनशीलता जगाना जरूरी होता है। जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है लेकिन ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी व मानसिक विकलांगजनों को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रीय न्यास इनको मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से ही बना था। बड़े उद्देश्य से स्थापित इस राष्ट्रीय न्यास में नयी योजनाओं को प्रारंभ करना व पुरानी योजनाओं को संशोधित करना एक बड़ी चुनौती थी। मुझे खुशी है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी के खेतान ने उस चुनौती को स्वीकार किया।

नयी एवं पुनरीक्षित योजनाएँ: एक नजर में

योजना	लक्ष्य
दिशा	शीघ्र हस्तक्षेप व स्कूल की तैयारी
विकास	दैनिक देखभाल योजना
समर्थ	देखभाल राहत
घरौंदा	व्यस्कों के लिए ग्रुप होम
निरामय	स्वास्थ्य बीमा योजना
सहयोगी	देखभाल प्रशिक्षण योजना
ज्ञान प्रभा	शैक्षिक समर्थन
प्रेरणा	विपणन सहायता
संभव	सहायता उपकरण केंद्र
बढ़ते कदम	जागरूकता एवं समुदाय संवाद

दूसरी बड़ी चुनौती डिजिटल इंडिया के तहत उन राष्ट्रीय संस्थानों में पारदर्शिता लाने की थी जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अपनी योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय न्यास योजनाओं का संचालन केवल स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करता है जिनका पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण का पूरा कार्य ऑनलाइन किया जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वह है डिजिटल इंडिया के तहत स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम। अब सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। पहले स्वयंसेवी संस्थाओं को राष्ट्रीय न्यास के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। योजना के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती थी, उनमें ऑफिस के लोग कमी-बेशी निकालते थे और कई मामलों में देर भी हो जाती थी। ऑनलाइन स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम ने इस पूरी कार्यप्रणाली को बदल दिया है। तमिलनाडु के किसी छोटे शहर में स्थित संस्था या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कार्यरत संस्था को

राष्ट्रीय न्यास के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। वह अपना आवेदन निर्धारित फार्म में ऑनलाइन ही भर सकता है। साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करता है। राष्ट्रीय न्यास की जिम्मेदारी है कि इस प्रक्रिया के बाद 15 दिन के अंदर योजनाओं की स्वीकृति दे।

राष्ट्रीय न्यास की यह भी जिम्मेदारी है कि वह इन स्वयंसेवी संस्थाओं को राशि सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर से उनके खाते में ही दे, चेक या किसी और साधन से न दे। इस प्रक्रिया से उन स्वयंसेवी संस्थाओं को थोड़ी दिक्कत हो रही है जो अपने कार्य में पारदर्शिता नहीं बरतते या अपना हिसाब-किताब सही नहीं रखते हैं, लेकिन अधिकांश स्वयंसेवी संस्थाएं, जो अच्छे उद्देश्य से काम करती हैं और अपना हिसाब-किताब भी कायदे से रखती हैं उनको सहूलियत हो गई है। अब न तो राष्ट्रीय न्यास के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत है न ऑफिसर से मिन्नत करने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता।

स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम तो लागू हो गया है। शीघ्र ही राष्ट्रीय न्यास का मोबाइल एप्प भी लांच होगा। स्मार्ट फोन का जमाना है, ऐसे में एप के माध्यम से आम जनता को सरकार के कार्यों की जानकारी मोबाइल भी पर उपलब्ध रहे, यह आवश्यक है। इस वर्ष राष्ट्रीय न्यास 35-40 करोड़ रुपये का व्यय करेगा। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि कहां 4.31 करोड़ रुपये, कहां

राष्ट्रीय न्यास पूरी तरह योजनाओं का संचालन केवल स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से करता है जिसका पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण का पूरा कार्य ऑनलाइन किया जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वह है डिजिटल इंडिया के तहत स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम। अब सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।

35-40 करोड़ रुपये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकलांगजनों की अधिकारिता व उनको न्याय दिलाने के लिए मार्गदर्शन दिया है, मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय न्यास ने उस दिशा में एक ठोस कदम रखा है। सारी जानकारी राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट [www.thenationaltrust.gov.in](http://thenationaltrust.gov.in) पर उपलब्ध है। □

→ सिविल सर्विस परीक्षा के इतिहास में पहली बार IAS/PCS दोनों में चयनित मेंटर द्वारा मार्गदर्शन ←

ट्रांसफार्मर

IAS For IAS & PCS

अब बदलेगी हिन्दी
मीडियम की दुनिया

ट्रांसफार्मर

IAS

इंग्लिश मीडियम से बेहतर मार्गदर्शन अब हिन्दी मीडियम में

• टीचिंग हेड •

टी.एन.कौशल



"हिन्दी माध्यम से लगातार गिरती सेलेक्शन दर ने मुझे सर्विस से ब्रेक लेकर यहां आने को प्रेरित किया।"

"जूता बनाने वाले को कभी पता नहीं होता कि जूता कहां काटेगा, वह जूता पहनने वाला ही जान सकता है। आई.ए.एस. बनाने का दावा करने वाले ये नहीं जान सकते कि समस्या कहां है, वह आई.ए.एस. में सफल होने वाला ही जान सकता है।"

"I have known T N Kaushal as a colleague and as a good friend since our training-time. I am sure that those students are lucky enough who are going to study under his valuable guidance."



Dr. Basant Agarwal
2004 PCS-Rank-1
2005 PCS-Rank-1
2006 PCS-Rank-3
2005 MPPSC-SDM

रक्षा अध्ययन

by-

डी.कुमार

★ UP-PCS 2016 में स का विशेष थ्रस्ट कोर्स ★

(वीकली क्लासेस + टेस्ट सीरीज+कैश कोर्स+QIP)

सोशल वर्क निबंध

आर.कुमार

टी.एन.कौशल

अनिवार्य हिन्दी—सरकारी पत्र लेखन के सचिवालय से प्राप्त प्रारूप

दर्शन शास्त्र—दिलीप कुमार

भूगोल—एस.के.ओझा

ALL टेस्ट सीरीज

2 टेस्ट निशुल्क

अनिवार्य हिन्दी

एच. के. निश्चिता

टी.एन.कौशल

झज्जिहास

आर.प्रभा

(JNU स्कालर)

निबंध अभियक्ति कौशल के निखार पर बल

लोक प्रशासन—वी. के. त्रिपाठी राजनीति विज्ञान—पी.के.सिंह

हिन्दी साहित्य

→ UPPCS-2015 में टॉपर वान्या सिंह सहित 20+सेलेक्शन ←

★ Answer writing इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ★

Free +3 day value-addition course for 2016 PCS-aspirants

नोट—यह प्रोग्राम टी.एन. कौशल सर के डायरेक्ट मार्गदर्शन में चलेगा

GS में 300, अनिवार्य हिन्दी व निबंध में 100, एवं वैकल्पिक विषय में 250 से अधिक अंक पाने की रणनीति सीखें

Art of answer writing

कितना लिखें, कैसे लिखें—वैल्यू एडिशन
अंडरलाइन, डायग्राम, ग्राफ का प्रयोग कैसे करें.
प्याइंट में लिखें कि पैराग्राफ में लिखें.



Art of effective-writing

रेखाचित्र, flow-chart और ग्राफ बनाकर अधिक अंक पाने की रणनीति
कोटेशन (विचारकों के प्रसिद्ध कथनों) द्वारा उत्तर लेखन की प्रभावी शैली का विकास
जो प्रश्न नहीं आते या कम आते हैं उन्हें कैसे डील करें?

★ IAS सिग्नेचर कोर्स (फाउंडेशन+एडवांस) ★

कोचिंग संस्थान बताते हैं कि 'क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है', इससे कहीं
आगे यहां आप सीखेंगे कि 'कैसे पढ़ना है और उसे कैसे exam में use करना है'

Exam management

एक्जाम के दिनों में नींद न आने की समस्या का हल.
एग्जाम के दिन क्या खाएं, कौन से पेन का प्रयोग करें.
एक्जाम के प्रेशर को हैंडल करना.
एक्जाम हॉल की गलतियों से बचाव

Time Management

लिखने पढ़ने की गति बढ़ाना
अगर आप 1 मिनट में 200 शब्द पढ़ते हैं तो
इस कोर्स के बाद 400 शब्द पढ़ने लगेंगे.
एक्जाम हॉल में टाइम सेविंग

Ethics-पेपर IV

टी.एन.कौशल

● ● अधिकतम 50 छात्रों का बैच—सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि 300–400 छात्रों की भीड़ के बैच में केवल प्रवचन संभव
है, गहन अध्ययन नहीं। अब आप को निर्णय करना है कि आप दिल्ली भीड़ का हिस्सा बनने आते हैं या IAS बनने। ● ●

► फेंचाइजी/ब्रांच-पार्टनरशिप/कोलेबरेशन के लिए संपर्क करें ← Wanted-faculty and councillor for branch office

भाषा विज्ञान

Weekend batch

MP PCS+BPSC मेंस

Distance/Postal कोर्स

A-1, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, चावला रेस्टोरेंट के सामने,
मैन रोड, मुख्यांग नगर

नई दिल्ली 09953126338 09717156339

विकलांगता व कौशल विकास

शांति राघवन



बातचीत से काम करने वाला इंट्रैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम (वाणी) सिर्फ एक मिस कॉल से हासिल किया जा सकता है, जो कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में विकलांगजनों को बैर्चुअल नेटवर्किंग मुहैया कराती है। इसके जरिए विकलांगजन अपनी कहानियां, समस्याएं और समाधान एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं और जागरूकता, उम्मीद, हासिल करते हैं और अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से उबरकर आर्थिक तौर पर स्वतंत्र जीवनयापन करते हैं। तकनीक पर आधारित ये मंच क्रांतिकारी परिवर्तक साबित हो सकते हैं और विकलांगों का कौशल विकास कर उन्हें उच्चल भविष्य दे सकते हैं। मेक इन इंडिया तभी कामयाबी मिलेगी जब चेंज इन इंडिया होगा, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल होगा। विकलांग इस बदलाव के अगुआ होंगे

मं

जूनाथ एक छोटी-सी कंपनी में निरीक्षक हैं और उनकी टीम में 15 लोग हैं, जो कपड़ा मशीन के कलपुर्जों के साथ काम करते हैं। इस काम में गुणवत्ता काफी अहम है क्योंकि ग्राहक के माल लेने से इनकार करने का सीधा मतलब व्यापार में नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री की योजना मेक इन इंडिया मंजूनाथ जैसे लोगों पर निर्भर करती है। जो बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलीवरी करते हैं। मंजूनाथ एक ऐसे शख्स हैं, जिनकी नजर कमजोर है और उनकी टीम में अलग-अलग तरह के लोग हैं, जिनमें से कुछ विकलांग भी हैं।

स्टैनली का अपना कारोबार है और वे फिनाइल का विजनेस चलाते हैं। वह मस्तिष्क पक्षाधात से ग्रसित हैं। वहीं, तब्सुम एक ऑफशोर सपोर्ट सेंटर में काम करती हैं और उनकी नजर लगातार स्क्रीन पर गड़ी रहती है क्योंकि उनका काम सागर पार ग्राहकों की निगरानी करना है। वह शारीरिक तौर पर असक्षम हैं। प्रदीप एक मॉल में काम करते हैं। मानसिक अक्षमता के शिकार होने के साथ ही प्रदीप की नजर कमजोर है और वे बमुश्किल ही कुछ सुन पाते हैं। राजीव एक बहुराष्ट्रीय बैंक में काम करते हैं और वे सुन नहीं सकते। अपने सकारात्मक काम की वजह से प्रशांत को पंचायत विकास अधिकारी की नौकरी मिल गई, हालांकि वह देख नहीं सकते हैं। शुरुआत में अपनी इस कमजोरी के कारण उन्हें काम नहीं दिया जाता था। हालांकि, कन्ड में टाइप करने के विशेष प्रशिक्षण और टॉकिंग सॉफ्टवेयर लगाने के बाद वह अपनी कमजोरी की चुनौती से उबर सके। इसके बाद तो उन्हें अपने सहकर्मियों और

गांवबालों के बीच उन्हें काफी इज्जत मिली।

गौसिया भी विकलांग हैं। नहाने और खाने के लिए उन्हें अपनी मां पर निर्भर रहना पड़ता है। वे बिल्कुल चल-फिर नहीं पाती हैं। यानी उनका मस्तिष्क, तर्त्रिका तंत्र और मांसपेशियां एक साथ काम करने में असक्षम हैं। हालांकि, गौसिया अपने बेतन से अपनी मां का ख्याल रखती हैं। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में परियोजना संयोजक के तौर पर काम करती हैं। यहां तक कि उन्होंने ऑनलाइन जो वॉशिंग मशीन खरीदी, उससे उनकी मां को काफी मदद मिलती है। गौसिया आवाज पहचानने वाले सॉफ्टवेयर जैसे वर्कप्लेस सॉल्यूशंस की मदद से अपना काम ऑनलाइन करती हैं। आवाज के दिशा-निर्देशों से चलने वाले इस सॉफ्टवेयर से उन्हें फोन डॉयल करने, इंटरनेट और दूसरे सॉफ्टवेयर टूल्स इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।

मंजूनाथ, स्टैनली, तब्सुम, प्रदीप, गौसिया, राजीव, प्रशांत भारत में बदलाव का एक हिस्सा हैं। कौशल हासिल कर नौकरी करने वाले ये लोग किसी दूसरे व्यक्ति की तरह ही काम करते हैं, कर चुकते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और ये एक सामान्य समाज का हिस्सा हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत को जो महान बनाता है वे यहां के लोग हैं जिनमें विकलांगता, गरीबी और भेदभाव जैसी चुनौतियों से उबरने की क्षमता है।

रोजगार और कौशल: मौजूदा हालात

पिछले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र की कंपनियों में विकलांगों के लिए रोजगार के मौकों में नाटकीय ढंग से सुधार आया है। खासतौर पर बड़े शहरों में कंपनियां विकलांगों को नियुक्त

लेखिका अशोका फेलो हैं और एनेबल इंडिया की संस्थापक और प्रबंध न्यासी हैं। विकलांगों को रोजगार दिलाने में एनेबल इंडिया की भूमिका पथ प्रदर्शक की रही है। एनेबल इंडिया पिछले 16 वर्षों से निजी रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में काम कर रहा है। एनेबल इंडिया ने नवाचार के माध्यम से शारीरिक, संवेदी और बैंद्रिक तौर पर विकलांगों को शामिल करने का बीड़ा उठाया है। ईमेल: shanti@enable-india.org

करने में बिजनेस वैल्यू देख रही हैं। विकलांगों को हुनरमंद बनाकर रोजगार देने से काम करने की क्षमता और गुणवत्ता से जुड़ी कंपनियों की चिंताएं भी दूर हो गई हैं। बेहतर काम करके विकलांगों ने कंपनियों के साथ जो भरोसा

कंपनियों में वैतनिक रोजगार में विकलांगों का समावेश इस विषय पर कंपनियों के अगुआ व पर्यवेक्षकों का कौशल विकास करने के बाद संभव हो पाया है। विशेष डोमेन और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कंपनियों के साथ सहयोग से बेहतर उम्मीदवार तैयार होंगे और उन्हें सही जगह नौकरी मिलेगी।

बनाया है, उसका उन्हें फायदा भी हुआ है। वर्ष 2008 और 2014 में जब सबसे ज्यादा मंदी थी कंपनियों ने विकलांगों को नियुक्त किया और यह दोहराया कि अगर आप बेहतर उत्पाद बनाते हैं तो उसके लिए बाजार हमेशा मिलेगा। पिछले पांच साल में कंपनियां जबरदस्त तेजी से बढ़ी हैं और उनके सामने मांग एवं अपूर्ति का फर्क रहा है। लिहाजा कुछ कंपनियों ने अपूर्ति में निरंतरता बनाए रखने के लिए विकलांगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। विशेषतौर पर विकलांगों के लिए काम करने वाले एनजीओ अहम प्रशिक्षण संस्थानों और सामाजिक उद्यम टीवर 2 शहरों और जिला स्तर पर ऐसे लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के लायक बना रही हैं।

कंपनियों में वैतनिक रोजगार में विकलांगों का समावेश इस विषय पर कंपनियों के अगुआ व पर्यवेक्षकों का कौशल विकास करने के बाद संभव हो पाया है। विशेष डोमेन और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कंपनियों के साथ सहयोग से बेहतर उम्मीदवार तैयार होंगे और उन्हें सही जगह नौकरी मिलेगी। कंपनियों का इसमें फायदा ही फायदा है क्योंकि उन्हें आने वाली मांग के लिए कुशल उम्मीदवार मिल जाएंगे। कौशल विकास के मॉडल से पता चलता है कि कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा अनुभवों से सीखना है। कंपनियों में उम्मीदवार तभी रुकना पसंद करते हैं, जब कौशल विकास में नजरिया और जीवन को बेहतर बनाने का तरीका भी शामिल हो। जिन कौशल विकास का जोर अभिभावकों के विकास पर रहा, वे लंबी अवधि में ज्यादा टिकाऊ साबित हुए। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन

और रोजगार की कड़ी सच्चाई को झेल सकें। लिहाजा, अपनी आर्थिक जरूरतों के बावजूद वे अपने बच्चों को विकलांगता से बचाना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं फिर चाहे वह लंबी दूरी तय करना हो, या शिफ्ट में काम करना या टारगेट लेकर काम करना। 65 से कम आई.क्यू. वाले बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों में सहकर्मियों से मिले प्रशिक्षण बहुत कामयाब साबित हुए हैं। कौशल विकास के पारंपरिक तरीकों के मुकाबले यह तकनीक ज्यादा बेहतर है। मनोसामाजिक विकलांगता वाले लोगों के कौशल विकास और रोजगार दिलाने में सलाहकार और मनोचिकित्सक का सहयोग भी शामिल रहता है। कौशल विकास पहले रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, आईटीईएस, गारमेंट्स, टेक्स्टाइल्स और बैंकिंग जैसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र में ही किया जाता था। ब्यूटी एवं वेलनेस, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे क्षेत्र में स्वरोजगार कौशल विकास काफी कामयाब हुआ है।

भावी रूपरेखा

प्रधानमंत्री ने अगले सात वर्षों में 38 लाख विकलांगों को लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय कौशल नीति पेश की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग सशक्तीकरण विभाग बनाया गया है। यह विभाग विकलांगों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और सुगम्य भारत अभियान पेश करके एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की है। विकलांगों के लिए कौशल परिषद (ScPWD) बनाया गया है, जो कौशल नीति को आगे बढ़ाएगा। लिहाजा भारत में विकलांगों के लिए आर्थिक श्रम क्षेत्र से जुड़ने का यह सबसे सही माहौल है। हमें गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक विकलांगों पर जोर और उन्हें रोजगार के समान अवसर देते हुए विभिन्न विकलांगों के लिए बने कामयाब मॉडल को सही तरीके से भुनाने की जरूरत है। हमें 600 से ज्यादा ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों जैसे मौजूदा गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को भुनाने की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। विशेष पाठ्यक्रम के जरिए विभिन्न स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करने की जरूरत है। योग्य प्रशिक्षित विकलांग श्रम शक्ति की जरूरत है, जो आदर्श की तरह हो और जो अपने जैसे लोगों को प्रशिक्षण दे सके।

पिछले 10 साल में 26 क्षेत्रों में विकलांगों

के लिए 273 से ज्यादा रोजगार के मौके बने हैं, जहां वे बेहतर व्यवस्था और माहौल में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। विकलांगों के लिए बेहतर व्यवस्था में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने की जरूरत है। व्यवस्थित प्रयास के जरिए ऐसे लीडर तैयार करने की जरूरत है, जो विकलांगों को नौकरी दे सकें। समग्र समर्थन प्रणाली का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि नौकरी विश्लेषण सेवाएं, वर्कप्लेस सॉल्यूशंस, जागरूकता और संवेदीकरण, नेतृत्व विकास जैसी सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। कौशल विकास की पहल को कामयाब बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। इस साल सक्षम अकादमी लॉन्च किया गया है, ताकि विकलांगों की रोजी-रोटी के लिए काम करने वाले समुदायों में सहयोग विकसित किया जा सके। यह एक ऐसा मंच है, जहां इससे जुड़े सभी लोग संसाधनों को साझा कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। नए अभियान जारी कर सकते हैं, ताकि समग्र समर्थन को जरूरी सहयोग मुहैया कराया जा सके। बातचीत से काम करने वाले एक इंट्रेक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम (वाणी) सिर्फ एक मिस कॉल से हासिल किया जा सकता है, जो कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में विकलांगों को वर्चुअल नेटवर्किंग मुहैया कराती है। इसके जरिए विकलांग अपनी कहानियां, समस्याएं और समाधान एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं और जागरूकता, उम्मीद, हासिल करते हैं और अपनी रोजमरा की चुनौतियों से उबरकर अर्थिक तौर पर स्वतंत्र जीवनयापन करते हैं। तकनीक पर आधारित ये मंच क्रांतिकारी परिवर्तक साबित

65 से कम आई.क्यू. वाले बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों में सहकर्मियों से मिले प्रशिक्षण बहुत कामयाब साबित हुए हैं। कौशल विकास के पारंपरिक तरीकों के मुकाबले यह तकनीक ज्यादा बेहतर है। मनोसामाजिक विकलांगता वाले लोगों के कौशल विकास और रोजगार दिलाने में सलाहकार और मनोचिकित्सक का सहयोग भी शामिल रहता है।

हो सकते हैं और विकलांगों का कौशल विकास कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं। मेरे इन इंडिया को तभी कामयाबी मिलेगी जब चेंज इन इंडिया होगा, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल होगा। विकलांग इस बदलाव के अगुवा होंगे। □

विकलांगों के लिए वित्तीय समावेशन

पी.सी. दास



वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के बंचित समुदाय को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं और विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना है। इसमें बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा, पेंशन और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण शामिल हैं। सरकार विकलांगजनों के वित्तीय समावेशन के लिए नयी-नयी योजनाएं ला रही है जिनमें स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, छात्रवृत्तियां आदि प्रमुख हैं।

भा

रत का संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39 में कार्य और रोजगार के महत्व को मान्यता देता है, जिसमें राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले। भले ही वे पुरुष हों अथवा महिला। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 41 यह प्रावधान करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार हासिल करने के लिए कारगर उपाय करेगा और अनुच्छेद 42 यह प्रावधान करता है कि राज्य कार्य करने की निष्पक्ष और मानवीय स्थितियां हासिल करने के लिए उपाय करेगा। हम यहां मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीए) के बारे में बात करेंगे।

पीडब्ल्यूडी का अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पारिभाषित विकलांगता 40% से कम न हो और जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। भारत सरकार ने सामाजिक-आर्थिक समावेश सहित समान अवसर प्रदान करने हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन कानून बनाए हैं (i) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (ii) विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडीएस) कल्याण अधिनियम 1995 और (iii) ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1995। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि 2006 (यूएनसीआरपीडी) को संपुष्टि दी है, जिसमें समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ विकलांग व्यक्तियों को भी पूर्ण और

कारगर भागीदारी देने पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार, पीडब्ल्यूडी पर राष्ट्रीय नीति में इस बात को मान्यता दी गई है कि विकलांग व्यक्ति एक बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यह नीति समाज में सम्मानजनक जीवन हेतु उनके लिए समान अवसरों की तलाश करती है। यह सभी के लिए एक समावेशी समाज का प्रावधान करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विकलांगों की संख्या 268 लाख है। इनमें 149.9 लाख पुरुष हैं और 118.2 लाख महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त 186.3 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 81.8 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें 134 लाख लोग रोजगार करने वाले आयु वर्ग के हैं (इनमें 88 लाख ग्रामीण क्षेत्रों और 46 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं)। रोजगार करने वाले आयु वर्ग में 78 लाख पुरुष हैं और 56 लाख महिलाएं। इसके अतिरिक्त विकलांगों में 146 लाख निरक्षर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि देश में विकलांग लोग एक ऐसे मानव संसाधन हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान देने की क्षमता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के बंचित समुदाय को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं और विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना है। इसमें बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा, पेंशन और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण शामिल हैं। वास्तव में वित्तीय समावेशन समावेशी समाज के निर्माण की कुंजी है जहां समाज के बंचित समुदाय को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन

के महत्व को स्वीकार किया है और सभी के लिए वित्तीय समावेश की आवश्यकता पर जोर दिया है। जन धन योजना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा, मुद्रा ऋण जैसी नीतियां देश

वास्तव में पीडब्ल्यूडी को समाज में सर्वाधिक गरीब होने के कारण सबसे वंचित वर्ग कहना उपयुक्त होगा। यह भी एक तथ्य है कि विकलांगता निर्धनता के साथ अंतर संबंधित होती है और समाज के गरीब वर्गों में विकलांगता होने की अधिक संभावना होती है। यह स्थिति और खराब तब होती है जब महिलाएं विकलांग होती हैं।

में प्राथमिकता कार्यक्रम हैं। वित्तीय समावेशन सरकार के सामाजिक-कल्याणपरक कार्यक्रमों में भी सहायता करता है। वित्तीय समावेशन से भुगतान की प्रक्रिया कम कीमत पर, सरल और सुविधाजनक होगी, प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और लाभार्थियों की डुप्लीकेशन से बचा जा सकेगा।

पीडब्ल्यूडी: आर्थिक रूप से वंचित

वास्तव में पीडब्ल्यूडी को समाज में सर्वाधिक गरीब होने के कारण सबसे वंचित वर्ग कहना उपयुक्त होगा। यह भी एक तथ्य है कि विकलांगता निर्धनता के साथ अंतर संबंधित होती है और समाज के गरीब वर्गों में विकलांगता होने की अधिक संभावना होती है। यह स्थिति और खराब तब होती है जब महिलाएं विकलांग होती हैं। पीडब्ल्यूडी का वित्तीय समावेशन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण और अन्य वंचित समुदायों की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनकी गतिशीलता कम है। वे शारीरिक बाधाओं का शिकार हैं। साथ ही वित्तीय उत्पादों के बारे में कम जानकारी रखते हैं और उनके समूह बिखरे हुए हैं। इसकी वजह से उनके विशिष्ट स्वयं सहायता समूह बनाना भी कठिन है।

विकलांगों द्वारा स्वरोजगार और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता/क्रेडिट तक पहुंच बनाने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 24 जनवरी, 1997 को 400 करोड़ रुपए की शेयर पूँजी के साथ राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) का गठन किया। इसे एक अलाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत

पंजीकृत किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।

एनएचएफडीसी 18 वर्ष से ऊपर के और 40% या उससे अधिक विकलांग भारतीय नागरिकों को रियायती ऋण देता है। एनएचएफडीसी से रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। निगम की मुख्य योजनाओं और कार्यक्रम इस प्रकार हैं- (i) क्रेडिट आधारित गतिविधि जहां पीडब्ल्यूडीएस को रियायती ऋण दिए जाते हैं और (ii) गैर क्रेडिट आधारित गतिविधि जहां पीडब्ल्यूडीएस को अनुदान दिए जाते हैं।

क्रेडिट आधार पर ऋण

स्वरोजगार ऋण: इसके तहत विकलांगों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 5-8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का रियायती ऋण दिया जाता है। इस ऋण को 10 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है।

शिक्षा ऋण: विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। विकलांग विद्यार्थियों को देश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस ऋण को 7 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है। ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम पूरा होने के एक साल के बाद से या नौकरी मिलने के छह महीने के बाद से, जो भी पहले हो, शुरू हो जाती है।

माइक्रो फाइनांस: इस ऋण का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी के कमज़ोर वर्गों के लिए आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एक गैर-सरकारी संगठन पीडब्ल्यूडी के संवितरण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण लाभ ले सकता है और एक पीडब्ल्यूडी 50,000 रुपये की अधिकतम राशि माइक्रो फाइनांस ऋण के रूप में ले सकता है। इस तरह एक गैर-सरकारी संगठन 20 पीडब्ल्यूडी की सहायता कर सकता है। ब्याज की दर केवल 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक है। ऋण 3 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है।

क्रेडिट भिन्न आधार पर ऋण

पीडब्ल्यूडी को कौशल प्रशिक्षण: इस योजना के तहत एनएचएफडीसी पीडब्ल्यूडी को कौशल प्रशिक्षण अनुदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षकों को 2,000 रुपये प्रति माह का वजीफा प्रदान किया जाता है।

छात्रवृत्ति योजनाएं: मंत्रालय ने एनएचएफडीसी को पीडब्ल्यूडी के लिए छात्रवृत्ति योजना का कार्य भी सौंपा है। वर्तमान में, एनएचएफडीसी तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 2,500 विकलांग विद्यार्थियों के लिए ट्रस्ट फंड स्कॉलरशिप योजना चला रहा है।

एनएचएफडीसी 36 राज्य सरकारों की नामित एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्य करता है। निगम ने पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण की सुविधा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों (पीएसबी) और 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से करार किया है। निगम के प्रदर्शन को इस तथ्य से भी आंका जा सकता है कि इसे पिछले चार वित्त वर्षों से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है और वर्ष 2015-16 के लिए भी इस लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद की जा रही है।

- ऋण वितरण:** स्थापना के समय से निगम ने अपनी ऋण योजनाओं के तहत अब तक 1.26 लाख विकलांगों को 694.29 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- कौशल प्रशिक्षण:** निगम ने अब तक 36,616 विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 46.21 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की

एनएचएफडीसी 36 राज्य सरकारों की नामित एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्य करता है। निगम ने पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण की सुविधा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों (पीएसबी) और 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से करार किया है।

है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एनएचएफडीसी ने 17,000-20,000 पीडब्ल्यूडीएस को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- छात्रवृत्ति: ट्रस्ट फंड की छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएचएफडीसी ने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 47.94 करोड़ रुपये (2011-12 से अब तक) जारी किए हैं, जिसमें 7,117 नए मामले हैं और 1,097 नवीकृत मामले।

राष्ट्रीय कोष की छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएचएफडीसी ने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 3.51 करोड़ रुपये (2009-10 से अब तक) जारी किए हैं, जिसमें 2,827 नए मामले हैं और 101 नवीकृत मामले।

निगम के रियायती ऋण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एनएचएफडीसी परामर्श कर रहा है। निगम ने भविष्य में एनएचएफडीसी के विस्तार और अधिक संख्या में विकलांगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजना बनाई है:

- बैकएंड सब्सिडी योजना:** निगम ने विकलांग अधिकारिता विभाग के परामर्श से एनएचएफडीसी के ऋण के तहत एक बैकएंड सब्सिडी शुरू करने की योजना बनाई है। यदि सरकार ने मंजूरी दे दी तो बैकएंड सब्सिडी के रूप में विकलांग व्यक्तियों को 35 प्रतिशत तक का ऋण लाभ प्राप्त होगा।
- बैंकों से सहयोग:** एनएचएफडीसी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न बैंकों से

करार कर रहा है, जिससे साथी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से रियायती ऋण लिया जा सके। एनएचएफडीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों (पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) के साथ करार पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त एनएचएफडीसी ने कुछ राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम) के 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- एनबीएफसी-एमएफआई बैन साथ टाई-अप:** एनबीएफसी-एमएफआई बैहतर तरीके से उन विकलांग व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं, जो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे शहरी इलाकों में रहते हैं जिन तक पहुंच बनाना मुश्किल है। एनएचएफडीसी ने एनबीएफसी-एमएफआई के साथ टाई अप के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ खास मानदंडों में ढील देने की बात की है, जिससे इन संस्थानों के जरिये विकलांगों को रियायती ऋण प्राप्त हो सके।
- विकलांगों के लिए जॉब पोर्टल:** विकलांग अधिकारिता विभाग के परामर्श से एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अनूठा जॉब पोर्टल विकसित किया

है जोकि एकल मच पर निशुल्क नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है। इस जॉब पोर्टल को औपचारिक रूप से 27 जनवरी, 2016 को माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा शुरू किया गया। विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों उपलब्ध करते हुए वित्तीय संरचना में उनके त्वरित समावेशन की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो कि अधिकारिता विभाग के माध्यम से दीर्घावधि में पीडब्ल्यूडी के वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण के लिए लाभप्रद होंगे:

- 10 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लक्ष्य के तहत बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का समावेश।
- 350 रुपये प्रति वर्ष की अल्प राशि पर स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की शुरूआत।
- पीडब्ल्यूडी के लिए मैट्रिक पूर्व और उपरांत छात्रवृत्ति।
- विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
- सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ।
- पीडब्ल्यूडी के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ। □

अब ऑनलाईन सब्स्क्राईब करें



<http://publicationsdivision.nic.in/>
सहयोग: bharatkosh.gov.in

विकलांगता से आगे सुगम्यता और कल्याण

शिवानी गुप्ता



विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है बस जरूरत है तो वातावरण को सुगम्य बनाने की। यदि विकलांगजनों को सुगम्य माहौल दिया जाएगा, तो वे स्वयं को और बेहतर ढंग से विकसित कर अपने जीवन की बाधाओं पर जीत हासिल कर सकेंगे। विकलांगजनों को सुगम्य वातावरण देना सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि हमारा भी दायित्व है। सुगम्यता की ओर बढ़ा कदम विकलांगजनों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जब सुगम्यता को इतना महत्व दिया जा रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में विकलांगजन कल्याण के आधारभूत बिंदुओं में सुगम्यता प्रमुखता से मौजूद रहेगी।

लेखिका एक्सेस एबिलिटी की संस्थापक हैं। वह भारत के अग्रणी एक्सेस कंसलटेंट में गिनी जाती हैं। वह भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सुगम्यता में सुधार के लिए काम कर चुकी हैं। वह यूएनओएचसीएचआर द इंटरनेशनल डिजेबिलिटी एलायंस तथा सीबीएम के साथ भी काम कर चुकी हैं। ईमेल: shivany@gmail.com

सु

गम्यता विकलांग व्यक्तियों के समावेशन किए जाने की एक अनिवार्य शर्त है। यह विकलांगों को स्वतंत्र रूप से रहने और अपने समाज में सहज व सुरक्षित रूप से भागीदारी करने के योग्य बनाता है। सुगम्यता और विकलांगता एक-दूसरे के प्रतिलिप्तः आनुपातिक हैं, सुगम्यता में वृद्धि से विकलांगता के स्तर में कमी आती है। सुगम्यता एक जन्मजात अधिकार है, जिसका लाभ विकलांग या बुजुर्ग जैसे किसी खास जनसांख्यिकीय समूह के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलता है।

सुगम्यता की जड़ें विकलांग व्यक्तियों के स्वतंत्र रहने के आंदोलन में दिखाई देनी देती हैं और इसकी शुरुआत उन्हें एक बाधा मुक्त वातावरण की मांग के साथ हुई और समय के साथ आगे बढ़ते हुए यह सार्वभौमिक प्रारूप में विकसित हो गया। सार्वभौमिक प्रारूप, प्रारूप की प्रक्रिया को समावेशी, न्यायसंगत लाभ प्रदान करने वाली, और लिंग, जनसांख्यिकीय समूह और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना के आधार पर मानव मतभेद को दूर करने वाली हो, इस सिद्धांत पर आधारित एक अनुकूलन है। सार्वभौमिक प्रारूप में प्रारूप पर विचार करते वक्त विकलांगों के लिए 'विशेष' प्रारूप के स्थान पर सभी के लिए 'सामान्य' प्रारूप तैयार करने की बुनियादी बदलाव को शामिल किया गया है। यह एक ऐसी संरचना पर आधारित है जिसका भवन, नीतियां, प्रौद्योगिकी और उत्पाद सभी लक्षित उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जा सकें और जिसमें सभी को उच्चस्तरीय स्वेच्छा,

सुरक्षा और उपयोगिता प्रदान की जाती है। इसमें अतिरिक्त अनुकूलन अथवा विशेषीकृत प्रारूप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस अभिकल्पना का दृष्टिकोण यह है कि सार्वभौमिक प्रारूप, चीजों के मूल्यों की वहनीयता को व्यापक रूप से प्रभावित करे। इसमें विकलांगों को चीजें सुगम्य कराने का खर्च साझा लागत के रूप में सभी के हिस्से में आता है।

वैश्विक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता (1983)¹ पर संयुक्त राष्ट्र मानक नियमावली के नियम 5 (सुगम्यता) में पर्यावरणीय सुगम्यता पर प्रामाणिक और स्पष्ट दिशानिर्देश दिया गया है। विकलांगों के अधिकारों पर हाल में हुए एक कन्वेंशन (सीआरपीडी)² में सुगम्यता को एक सामान्य सिद्धांत और एक विशिष्ट अनुच्छेद के रूप में बताया गया है। सुगम्यता संबंधी जरूरतों को समझने के लिए विशिष्ट अनुच्छेद के तौर पर अनुच्छेद 9 सुगम्यता को अनुच्छेद 21 अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, तथा सूचना तक पहुंच और अनुच्छेद 20 व्यक्तिगत अस्थिरता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कन्वेंशन के अनुच्छेद 4 सामान्य दायित्व में राज्यों को अपने सभी विकलांग नागरिकों को सुगम्यता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है और सुगम्यता की प्रगतिशील अनुभव के विचार को आगे रखा गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर विकलांग लोगों के लिए एशियाई और प्रशांत दशक (2013-2022) में लक्ष्य 3 के तहत भौतिक पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार की सुगम्यता पर ध्यान दिया गया है। इस घोषणापत्र को

स्वीकार करते हुए भारत ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) की शुरुआत की है।

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) सार्वभौमिक सुगम्यता को पाने के लिए देशव्यापी एक प्रमुख अभियान है, जो विकलांग व्यक्तियों को एक समावेशी समाज में समान अवसर तक पहुंच बनाने, स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के विभिन्न आयामों में पूर्ण भागीदार बनने की योग्यता प्रदान करेगा। इस अभियान की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा किया गया है।

अभियान का निर्माण तैयार पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाने के लिए किया गया है। एआईसी के पास महत्वपूर्ण घटकों के साथ एक बहु-आयामी रणनीति है, उनमें (क) विज्ञापन के जरिये अभियान का नेतृत्व, (ख) बड़े पैमाने पर जागरूकता, (ग) कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण, (घ) हस्तक्षेप (कानूनी फ्रेमवर्क, प्रैद्योगिकी समाधान, संसाधन उत्पादन आदि और (ई) सार्वजनिक-निजी भागीदारी में लाभकारी कारपोरेट जगत के प्रयास। डीईपीडब्ल्यूडी ने अभियान को लागू करने का समर्थन करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ समझौता किया है। अभियान का रणनीति पत्र³ इच्छियोन रणनीति (2013-2022) के लक्ष्य 3 के प्रयोजनों और संकेतकों पर आधारित है।

भारतीय इतिहास में यह पहली बार है कि सुगम्यता को बहुत अधिक तवज्ज्ञों दिया गया है और इसीलिए पूरे देश ने तहे दिल से अभियान का स्वागत किया है। मेरा कहना है कि एआईसी को और अधिक सुगम्य भविष्य की दिशा में एक शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। रणनीति और अभियान का बेहतर पक्ष यह है कि यह देश में सुगम्यता के संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करेगा। यह भी देखना सुखद है कि अभियान केवल भौतिक सुगम्यता तक ही केंद्रित न होकर समग्र दृष्टिकोण लिए हुए है और यह सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र की पहुंच को शामिल करता है।

चुनौतियां और कमियां

- जिन न्यूनतम आवश्यकताओं और सुगम्य प्रारूप मानकों को सुगम्यता पर आधारित होना चाहिए, फिलहाल वे अस्पष्ट हैं, सुगम्यता के इन मानकों में फिर चाहे वह निर्माण पर्यावरण हो, परिवहन बुनियादी ढांचा या सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र हो। भारत एक देश के रूप में जिन क्षेत्रों में संपूर्ण सुगम्यता मानकों का पालन नहीं करता है उनमें विशेष रूप से परिवहन से संबंधित बुनियादी सुविधाएं हैं। यहां नामकरण करने और सांकेतिक भाषा के लिए मानकों को विकसित करने का लक्ष्य है लेकिन वहाँ परिवहन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के मामले में अस्पष्टता है। निर्माण पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण मतभेदों के साथ विभिन्न प्रकार के दिशानिर्देश हैं लेकिन किसी का पालन नहीं किए जाने के कारण बिल्डरों और सुविधा प्रबंधकों को भ्रमित होना पड़ता है।

एआईसी को और अधिक सुगम्य भविष्य की दिशा में एक शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। रणनीति और अभियान का बेहतर पक्ष यह है कि यह देश में सुगम्यता के संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करेगा।

- अभियान का सुगम्यता लेखांकन पर बहुत अधिक जोर है। हालांकि, देश में प्रशिक्षित पहुंच लेखा परीक्षकों का अभाव है और सुगम्यता लेखा परीक्षक तैयार करने के लिए कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है।
- अभियान का पूरा ध्यान शहरी क्षेत्रों पर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम्यता में सुधार लाने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है।
- अभियान सरकारी स्वामित्व वाली बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित है जिनमें भवन, बेबसाइट या सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा शामिल है। निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं को अभियान में शामिल नहीं किया गया है। वहाँ सरकार निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर जनता के पैसे खर्च करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, निजी तौर पर प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की निगरानी सरकार द्वारा की जानी

चाहिए ताकि सुगम्यता सुनिश्चित हो सके।

- इंटर-सिटी और इंट्रा-सिटी बस परिवहन नागरिकों द्वारा इस्तेमाल के लिए परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक माध्यम है। सड़क परिवहन और अधिक सुगम्य बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। (शायद इसलिए कि इसके एक बड़े हिस्से का निजीकरण हो चुका है।)
- रेट्रोफिटिंग के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की सुगम्यता का एक स्तर प्राप्त करने की रणनीति है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं बताई गई कि जो कुछ भी नया है, चाहे वह इमारत हो, परिवहन अवसरंचना, सूचना और संचार अवसरंचना, सभी आरंभ में ही सुगम्य हैं।

सुगम्य भारत अभियान से आगे

चूंकि, सुगम्यता के मुद्रे को विशिष्ट रूप में विकलांगता से जोड़कर देखा जाता है अतः फिलहाल सुगम्यता को लागू करने और निगरानी के लिए काफी हद तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के पूर्वावलोकन में रखा गया है। हालांकि, सुगम्यता का मामला, इससे लाभान्वित होने वाले लोगों और विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा इसे अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करने के मामले में दोनों ही स्तरों पर काफी व्यापक मामला है। सुगम्यता का समुचित क्रियान्वयन और देखभाल के लिए विधायी सुधारों की जरूरत पड़ती है।

विकलांगता अधिकार अधिनियम के अलावा विकलांगों के लिए सुगम्यता को निश्चित रूप से कानूनों और नीतिगत संरचना की शृंखला में अभिन्न आवश्यकता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इन कानूनों में भवन नियमनों, शहरी और ग्रामीण विकास कानून, सड़क परिवहन, रेलवे, नागरिक उड़डयन और समुद्री मार्ग जैसे सार्वजनिक परिवहन विनियमन, इंटरनेट विनियमन, प्रसारण और दूरसंचार नियमन, आपातकाल और आपदा प्रबंधन कानूनों, आवास कानूनों, खरीद कानूनों, सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पुलिस, न्यायालय, खेल और संस्कृति आदि से संबंधित कानून शामिल हैं।

सीआईपीडी के साथ अपने प्रयोजनों के परिणाम को मेल बैठाने के लिए कुछ देशों ने या तो सुगम्यता कानूनों को अधिनियमित कर दिया है

या अधिनियमित करने पर मंथन कर रहे हैं। इनमें कनाडा⁴ और यूरोपीय संघ⁵ शामिल हैं। फिलीपींस में 1983⁶ से ही सुगम्यता में सुधार के लिए कानून उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सुविधाओं और अन्य उपकरणों को स्थापित करने के लिए कुछ भवनों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के जरिये विकलांगों की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना

- भारतीय सांकेतिक भाषा संस्थान और राष्ट्रीय समावेशी और सार्वभौमिक प्रारूप, दो प्रस्तावित प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थानों को शीघ्र अति शीघ्र शुरू कर देना चाहिए।
- भवन मानकों, परिवहन पोत संरचना और परिवहन टर्मिनल संरचना मानकों, सभी सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं के लिए सेवा के मानकों, प्रसारण मानकों आदि सहित सुगम्यता के विभिन्न पहलुओं के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रारूप मानकों का विकास और ऐलान किया जाना चाहिए।
- वास्तुकला, इंजीनियरिंग, डिजाइन, खरीद प्रबंधन आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सार्वभौमिक डिजाइन और सुगम्यता को एक अनिवार्य विषय के रूप में जरूर शामिल करना चाहिए भले ही यह एक छोटे विषय के रूप में हो। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से सार्वभौमिक डिजाइन में पाठ्यक्रम अवश्य उपलब्ध होना चाहिए।
- सभी प्रमुख और अन्य विकास कार्यक्रमों को अपने दिशानिर्देशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए निश्चित तौर पर समावेशन और सुगम्यता को सुनिश्चित करना चाहिए, सुगम्यता के कार्यान्वयन के लिए बजट और प्रक्रियाओं को चिह्नित करना चाहिए और निगरानी की प्रक्रियाओं में सुगम्यता पर विचार करना चाहिए।
- अग्नि निकासी जरूरतों की गंभीरता की तर्ज पर नए भवन में सुगम्यता की जांच का प्रमाणपत्र। फिलहाल सुगम्य अग्नि निकासी के लिए कोई सुगम्यता संबंधी जरूरत नहीं है, उसकी निगरानी भी हो रही है अथवा नहीं, निश्चित नहीं है।

सरकारी खरीद

किसी भी देश में लगभग खरीद के साथ राज्य सबसे बड़ा खरीदार होता है। ओईसीडी

की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सार्वजनिक खरीद का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)⁷ के 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका⁸ और यूरोपीय संघ सहित कुछ देशों में सार्वजनिक खरीद प्रभावी रूप से सुगम्यता में सुधार लाने के लिए उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में भारत में सार्वजनिक खरीद कानून और परिपाटी में सुगम्यता को शामिल नहीं किया जाता है। सार्वजनिक खरीद प्रणाली के जरिये खरीदी गई वस्तुओं की विविधता और इस पर खर्च होने वाले जनता के पैसे की राशि को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि जो भी खरीदी हुई है वह सब विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य हो। खरीद नीतियों में यदि सुगम्यता को एक पूर्व शर्त के रूप में शामिल कर लिया जाए, तो इसका खरीद के परिणाम पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि निजी क्षेत्र और विनिर्माण उत्पादों की कंपनियों पर बाजार का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

निजी क्षेत्र की सेवाओं और सुविधाओं की सुलभता

सरकार द्वारा सेवाओं और सुविधाओं का निजीकरण में वृद्धि के साथ ही, यह जरूरी है कि सुगम्यता के नियम समान रूप से उन पर भी लागू हो। भारत में, वर्तमान में निजी क्षेत्र को अनिवार्य रूप से सुगम्यता सुनिश्चित करने लिए बाध्य करने वाली कोई विधायी प्रारूप उपलब्ध नहीं है। जबकि, निजी सेवा और सुविधा प्रदाताओं को विकलांग व्यक्तियों को सुगम्यता प्रदान करने की बाबत जिम्मेदारी होनी चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से सुगम्य होना चाहिए।

- सार्वजनिक खरीद तंत्र, निजी क्षेत्र द्वारा सुगम्यता अनुपालन सुनिश्चित करने का एक जरिया होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सरकार तय करती है कि देशभर में सार्वजनिक धन से जितने भी लिट की खरीदारी हुई है, सभी पूर्ण रूप से सुगम्यता मानकों को पूरा करेंगे। खरीद की व्यापकता को देखते हुए इसका लाभ यह होगा कि निजी क्षेत्र के लिट निर्माताओं को सुगम्य लिट का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

• निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से लाइसेंस दिया जाना चाहिए। सुगम्यता को लाइसेंस के स्तर पर ही अनिवार्य कर देने से इसके क्रियान्वयन में आसानी होगी। उदाहरण के लिए, निजी ट्रांसपोर्टरों को यदि निर्धारित बस सेवाओं को चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें बस की सुगम्यता और बस कर्मियों का विकलांग यात्रियों के साथ संवेदनशील आचरण का पूर्व निर्धारित बिंदु उसमें जोड़ा जाता है तो, स्वतः ही निजी मालिकों द्वारा चलाई जाने वाली बसों को सुगम्य होना पड़ेगा। इस प्रकार बस निर्माण करने वाली कंपनियां भी सुगम्य बसों के निर्माण के लिए बाध्य होंगी।

- सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन की व्यवस्था की जा सकती है। प्रमाणन सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जैसे होटलों को स्टार रेटिंग पर्यटन मंत्रालय द्वारा या निजी क्षेत्र में देरी ग्रीन रेटिंग प्रणाली के तहत प्रमाणन दिया जाता है। इस प्रकार की रेटिंग और प्रमाणन व्यवस्था में सुगम्यता को शामिल करने से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। हालांकि, सुगम्यता को महत्व या अंक का आधार सुगम्यता के मानकों को देखते हुए किया जाना चाहिए। अन्यथा निजी कंपनियों के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान होता है।
- गुणवत्ता आश्वासन जांचों और प्रणालियों में सुगम्यता और समावेशन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। □

संदर्भ

- सं.रा. महासभा 48/96, अनुलग्नक अध्याय दो
- सं.रा. महासभा 48/96, अनुलग्नक अध्याय दो
- सुगम्य भारत अभियान-रणनीति पत्र देख सकते हैं: [[http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Strategy%20Paper%20\(AIC\).docx](http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Strategy%20Paper%20(AIC).docx)] on 11 November, 2015
- <http://www.jdsupra.com/legalnews/canada-introduces-accessibility-laws-14325/>
- <http://www.jdsupra.com/legalnews/canada-introduces-accessibility-laws-14325/>
- [http://www.architectureboard.ph/uploads/1212969359-BP344%20\(1983\).pdf](http://www.architectureboard.ph/uploads/1212969359-BP344%20(1983).pdf)
- <http://www.unodc.org/documents/southasia/publications/research-studies/India-PPPs.pdf>
- <http://www.unodc.org/documents/southasia/publications/research-studies/India-PPPs.pdf>

विकलांगजनों का सामाजिक समावेशनः मुद्दे और रणनीतियां

संध्या लिमये



विकलांगजनों को सशक्ति बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है कि निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाया, जिसमें हम विकलांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समोवशी बनाने के लिए उनको सशक्ति करें और समर्थन दें।

सा

माजिक समावेश, जो कि सामाजिक बहिष्कार के विपरीत है यह उन परिस्थितियों और आदतों को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सामाजिक बहिष्कार का नेतृत्व करते हैं अथवा जिन्होंने पहले ऐसा किया है। विश्व बैंक सामाजिक समावेश को पहचान के आधार पर वर्चित लोगों के लिए सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनकी क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है।

वैश्विक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का समूह सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक है, जो उपेक्षा, अभाव, अलगाव और बहिष्कार का सामना कर रहा है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ज्यादातर देशों ने विकलांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों को कुछ विशेष सहायता प्रदान किए हैं। इसके तहत मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के माध्यम से उनके लिए दान और संस्थागत देखभाल से लेकर उपचार और पुनर्वास तक की व्यवस्था की गई है। भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़ी संख्या में हाशिए पर खड़े इस जनसमूह के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और विकलांग लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए हैं।

विकलांगजनों को व्यवहारिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक समावेशन प्रभावित होता है। विकलांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखने की प्रवृत्ति से विकलांग लोगों के प्रति

समाज के व्यवहार में एक नकारात्मक रुख दिखाई देता है। समाज में यह धारणा है कि व्यक्ति में विकलांगता उसके पिछले पाप या कर्म (भाग्य) के कारण होती है, चूंकि यह भगवान द्वारा दी गई सजा है, अतः कोई भी इस स्थिति को नहीं बदल सकता है।

इन बाधाओं का संचयी प्रभाव यह है कि विकलांगजन समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर होकर हाशिए पर हैं। वे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में गैर-विकलांग लोगों की तुलना अधिक नुकसान का अनुभव करते हैं। कई विकलांग लोगों द्वारा प्रतिकूल परिणाम झेलने की वजह से उनके स्वयं और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। उनमें से कई स्वयं को अलग-थलग और अवाञ्छित महसूस करते हैं, जबकि समाज उन्हें अपने ऊपर बोझ महसूस करता है। विकलांगों के माता-पिता, बच्चों और भाई-बहन को भी इस नकारात्मक दृष्टिकोण, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि जब उन्हें स्वयं की सहायता के लिए जरूरी समर्थन दिए जाने की जरूरत होती है, तब वे अपना अधिकतम समय समाज से जूझने में व्यतीत कर रहे होते हैं।

हाशिए पर होने का मूल अर्थ है व्यक्तिगत, अंतर्वैयिक्तिक व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वर्चित रखा जाना। जाहिर है, सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति या समाज के हाशिए पर होने के कई आधार हैं। विकलांगता के कारण एकाधिक नुकसानों को झेलने वाले इन समूहों की समस्याओं को लैंगिक अंतर की कसौटी

लेखिका सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, स्कूल ऑफ सोशल वर्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (मुंबई) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने विकलांगता विषय पर पुस्तकें लिखी हैं और रॉकफेलर तथा फुलबाईट फेलोशिप जैसी कई शोधवृत्तियों के तहत काम कर चुकी हैं। ईमेल: slimaye@tiss.edu, sandhyalimaye@yahoo.co.in, limaye.sandhy@gmail.com

पर जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, क्षेत्र आदि और जैसे अन्य सामाजिक कारकों के सापेक्ष समझा जा सकता है। विकलांगता और लैंगिक वर्ग दोनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं लेकिन इनके

भाषिक तौर पर मजबूत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा विकलांग लोगों में हीनता भाव बढ़ाती है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों के साथ सार्थक संबंधों की स्थापना के लिए अवसरों से वंचित किया जाता है। उन पर अनुत्पादक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता है।

आधार पर खासवर्ग की उपेक्षा की जाती है। पुरुषों के मध्य विकलांग उसे समझा जाता है जो सामान्य व्यक्ति की परिभाषा के अनुरूप शक्ति, शारीरिक क्षमता और स्वायत्ता को पूरा करने में विफल रहा है। इसी तरह ऐसी धारणा बनी हुई है कि एक विकलांग महिला गृहिणी, पत्नी और मां की भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है और शारीरिक उपस्थिति के संदर्भ में सौंदर्य और नारीत्व के स्थापित मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। ये ही सबसे अधिक हाशिए पर हैं और शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सबसे अधिक प्रताड़ित हैं और सदियों के लिए, उपेक्षा, मौखिक, शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का शिकार बने हुए हैं।

प्राथमिक शिक्षा के दौरान प्रायः साझा हितों, स्कूल की गतिविधियों और खेल के माध्यम से दोस्ती होती है। सामान्य रूप से कई विकलांग बच्चे आमतौर पर साथियों के साथ बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा कौशल की कमी के कारण होता है। इस तरह की दोस्ती बनाए रखने के लिए संचार अपरिहार्य है। इसमें संचार की कला सीखने और संबंध बनाने के कौशल शामिल हैं, जिसे बच्चा परिवार जैसे प्राथमिक सामाजिक परिवेश और बाहर निकलने पर संबंधियों और दोस्तों जैसे अन्य सामाजिक परिवेश में संचार के जरिए सीखता है।

व्यवहार की सामाजिक प्रकृति बचपन में ही तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी सामाजिक अनुभव बच्चे के वयस्क होने पर उसके व्यवहार को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालता है। सुनने में अक्षम और मंदबुद्धि बच्चे अपने आस-पास के लोगों के साथ प्रभावी संचार स्थापित करने में अक्षम होते

हैं। नए दोस्त बनाने में पिछड़ जाने से उनके आत्म-सम्मान में कमी आती है और इस तरह अंततः उनका सामाजिक समावेश प्रभावित होता है। अलगाव और बेचैनी में वृद्धि का मूल कारण मुख्यधारा से जुड़ने के लिए संचार में आ रही कठिनाइयों की रुकावट है। वहाँ दूसरी ओर, दृश्य और चलने-फिरने की निःशक्तता, उनकी सीमाओं के कारण समाज में काफी स्पष्ट है, इसलिए समाज भी काफी हद तक इन सीमाओं को स्वीकार कर रहा है और इनके प्रति एक रुदिबद्धता का एक स्पष्ट रूपरूप दर्शाता है। अतः, नागरिक समाज को विभिन्न प्रकार की निःशक्तता बाले लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके सामाजिक समावेशन के उपाय तलाशने का अवसर मुहैया करना बेहद महत्वपूर्ण है।

सामाजिक समावेशन की मांगं वास्तव में समाज द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। यह जुल्म और शोषण को समाप्त करने के लिए जरूरी है। विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है।

भाषिक तौर पर मजबूत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा विकलांग लोगों में हीनता भाव बढ़ाती है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों के साथ सार्थक संबंधों की स्थापना के लिए अवसरों से वंचित किया जाता है। उन पर अनुत्पादक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता है।

बहुत से विकलांगजन अपने स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी योगदान करने में असमर्थ होते हैं, तब भी सहयोगपूर्ण समर्थन की बदौलत वे कार्य कर रहे हैं। वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनमें से कई लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो कि संभावित कौशल और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर केवल उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए, तो आशाएं बढ़ जाएंगी। काम करने, कमाने के लिए उन्हें सशक्त किए जाने के बजाए कई विकलांग लोगों को लाभ, सरकार और परिवार के समर्थन पर आश्रित

रहने के लिए छोड़ दिया गया है। कमाने के दिनों में कमजोर आर्थिक परिणामों से उनके बुद्धापे की भी सही व्यवस्था नहीं हो पाती है, इस प्रकार के नुकसान की स्थिति लंबे समय तक जारी रहने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

अगर शारीरिक बाधाओं की बात करें तो, कई विकलांग लोगों के लिए आसपास का विकलांगता अनुकूल बातावरण जैसे परिवहन व्यवस्था, सुलभ इमारत आदि सुविधा उचित प्रकार से मिल पाना मुश्किल होता है। मुंबई में विकलांग यात्रियों को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों का आधारभूत संरचना उनके अनुकूल नहीं है जिससे यात्रा के दौरान वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य लोगों की भाँति ही विकलांग लोगों को भी ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करने और रेलवे बोर्ड से उनके शारीरिक विविधता के अनुकूल ट्रेन में सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करने का अधिकार है।

सरकार, अलग-अलग विकलांगता वाले लोगों के लिए उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने संबंधी सरकारी नीतियों को बनाते समय या उन्हें लागू करने के दौरान विकलांग समझौं को न तो तबज्ज्ञ देती है, न उनसे मशविरा करती है और न ही उन्हें शामिल करती है। बहुत बार विकलांग लोगों को लगता है कि वे एक ऐसी व्यवस्था से जूझ रहे हैं, जो खंडित, जटिल और नौकरशाही प्रवृत्ति की है और जिसका विकलांग लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके सामाजिक समावेशन

बहुत से विकलांगजन अपने स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी योगदान करने में असमर्थ होते हैं, तब भी सहयोगपूर्ण समर्थन की बदौलत वे कार्य कर रहे हैं। सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनमें से कई लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो कि संभावित कौशल और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर केवल उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए, तो आशाएं बढ़ जाएंगी।

से कोई लेना-देना नहीं है। इस राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं से विकलांग लोगों के लिए अलगाव और उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि उनके सामाजिक बहिष्कार के तौर पर सामने आता है।

रणनीतियां

सामाजिक समावेशन की मांगें वास्तव में समाज द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। यह जुल्म और शोषण को समाप्त करने के लिए जरूरी है। विकलांगजनों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है कि निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाया, जिसमें हम विकलांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समोवशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और समर्थन दें।

विकलांगजनों के लिए इन बाधाओं से निपटने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की न होकर सामूहिक रूप से विकलांग लोगों के स्वयं की, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों और वस्तु एवं सेवा प्रदाताओं के साथ ही अन्य लोगों की भी है। सभी को अपने स्तर पर विकलांगों के जीवन

को सहज बनाने और उनके समुचित सामाजिक समावेश के लिए कार्य करने की जरूरत है।

इसके लिए ध्यानपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए, पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना चाहिए और इन योजनाओं को दूरदृष्टि के साथ निम्नलिखित को लागू किया जाना चाहिए:

1. विभिन्न प्रकार की विकलांगता, उनकी जरूरतों, उनकी क्षमताओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम।
2. चिकित्सा पेशेवरों, अध्यापकों, सिविल सेवकों, वकीलों, नियोक्ताओं, रोजगार अधिकारियों, स्थानीय समुदाय के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के लिए विकलांगता के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए, विकलांगों के साथ काम करने के दौरान कौशल विकसित करने और विकलांगता और विकलांगों के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था।
3. विकलांगों के शक्ति दृष्टिकोण और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने की ओर उन्हें स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

4. शिक्षकों के बीएड और एमएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता और शिक्षण के अध्यापन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत है।

5. विकलांग लोगों के लिए विशेषज्ञ और मुख्यधारा की नीति से समर्थित अवसरों तक पहुंच जरूर होनी चाहिए, जिससे वे समाज में अपना योगदान दे सकें और इससे, चूंकि समाज को उनकी क्षमताओं में विश्वास बढ़ेगा, परिणामतः ऐसे लोगों का सामाजिक समोवश की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
6. सामान्य नागरिकों के साथ-साथ ही विकलांगों की जरूरतों को भी सभी मुख्यधारा की नीतियों को बनाते समय और उन्हें लागू करते समय शीघ्रता से शामिल किया जाना चाहिए।
7. विकलांगों में सरकार के समर्थन और सेवाओं के प्रति मनोभावों को बदलने की जरूरत है। उनके साथ समुचित संवाद स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
8. बाधामुक्त और समावेशी परिवेश के लिए सार्वभौमिक प्रारूप अपनाने की जरूरत है। □



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट: publicationsdivision.nic.in



भारत 2016 और इंडिया 2016

की ई-बुक्स
और कुछ अन्य
चुनी हुई पुस्तकें

अब

www.kobo.com
www.play.google.com

पर उपलब्ध

सुगम्य भारत अभियान निर्बाध वातावरण और सशक्तीकरण की राह

अखिलेश पाठक



सुगम्य भारत अभियान वैसे तो विकलांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया गया अभियान है परंतु इसके सफल क्रियान्वयन का लाभ समाज के अन्य तबकों और नागरिकों को भी भरपूर मिलेगा। मसलन गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, छोटे बच्चे या बीमार व्यक्ति भी सुगम्य भारत अभियान के किसी न किसी पहलू से किसी न किसी रूप में लाभावित होंगे। इसलिए सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सुगम्य भारत अभियान समग्र विकास की राह में उठाया गया एक सशक्त कदम है।

स

न् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2.68 करोड़ आबादी विकलांगजनों की है, जो कि हमारी कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत हिस्से के बराबर है। हालांकि, अलग-अलग स्रोतों के अनुसार यह संख्या अलग-अलग है और माना जाता है कि हकीकत में आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है।

विकलांगजनों के समावेश के लिए सुगम्यता सबसे जरूरी है। अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए बाधामुक्त वातावरण प्रदान किया जाना एक मूलभूत आवश्यकता है। सुगम्य और बाधामुक्त वातावरण विकलांगजनों के अधिकारों और सामुदायिक जीवन के हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है।

भारत में विकलांगजनों के लिए सुगम्यता के अधिकार को विकलांगजन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों और परिवहन तंत्र को बाधामुक्त बनाना अनिवार्य बनाया गया है। भारत ने विकलांगजनों के अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र कंबेंशन (यूएनसीआरपीडी) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत हस्ताक्षर करने वाली सभी सरकारों पर विकलांगजनों के लिए भौतिक अधोसंरचना, परिवहन और सूचना व संचार का अन्य के समान अवसर सुनिश्चित करने की शर्त रखी गई है। विकलांगजनों को ये सुविधाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रदान की जानी चाहिए।

वैश्विक स्तर पर विकलांगता के दो मॉडल प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। पहला मैटिकल

मॉडल जो कहता है कि विकलांगता व्यक्ति में होती है, वहीं दूसरा सामाजिक मॉडल हमें बताता है कि विकलांगता व्यक्ति में न होकर समाज और वातावरण की बाधाओं में होती है। इसलिए ऊपर बताए कानूनों को मूर्त रूप देने और उनसे जुड़ी मूल भावना और सपनों को साकार करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का शुभारंभ किया गया। सुगम्य भारत अभियान का मूल लक्ष्य विकलांगजनों को समान अवसर और सुगम्यता प्रदान करके उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है।

सुगम्य भारत अभियान के तीन आधार स्तंभ हैं जिनमें निर्माण अधोसंरचना, सार्वजनिक परिवहन और सूचना व संचार तकनीक शामिल हैं। अभियान के अंतर्गत तीनों आधार स्तंभों को सुगम्य बनाने के कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

सुगम्य निर्माण अधोसंरचना

निर्माण अधोसंरचना से तात्पर्य हमारे आस-पास के परिवेश से है। जिसे सुगम्य बनाकर उन स्थानों पर विकलांगजनों का निर्बाध रूप से चलना-फिरना सुनिश्चित किया जा सकता है। मसलन किसी स्थान पर रैप बनवा कर व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति का वहां जाना संभव बनाया जा सकता है। जमीन की सतह पर टेक्टाइल फर्श का उपयोग करके दृष्टिबाधित व्यक्ति का आत्मनिर्भर होकर उस स्थान पर चलना-फिरना आसान किया जा सकता है, क्योंकि टेक्टाइल पथ

पर दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन व्यक्ति वॉकिंग स्टीक की सहायता से दिशा और मार्ग का अनुमान लगा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर ध्वनि संकेतों के माध्यम से मार्ग बता कर या श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए लिखित रूप में मार्ग बता कर उन्हें सुगम्य बनाया जा सकता है। सुगम्य शौचालयों का निर्माण जैसे और भी कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हमारे आस-पास के परिवेश को सुगम्य बनाया जा सकता है।

सुगम्य भारत अभियान में निर्माण अधोसंरचना को सुगम्य बनाने के लिए अलग-अलग चरणों के अनुसार कई लक्ष्य रखे गए हैं जैसे पहले चरण में देश के बड़ी आबादी वाले कई शहरों में प्रत्येक में कम से कम 50 सरकारी भवनों की सुगम्यता जांच कर उन्हें पूर्णतया सुगम्य भवन बनाना। मध्यम आबादी वाले कई शहरों में प्रत्येक में कम से कम 25 सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण कर उन्हें सुगम्य बनाना। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों में सभी सरकारी भवनों के 50 प्रतिशत भाग को सुगम्य बनाना। अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत पहले और दूसरे चरण में शामिल होने से वर्चित रह गए 10 महत्वपूर्ण शहरों में 50 प्रतिशत तक सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण कर उन्हें सुगम्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

सुगम्य सार्वजनिक परिवहन

सार्वजनिक परिवहन का खाका बनाते समय व्हीलचेयर से प्रवेश कर सकने वाले और कम ऊंचाई वाले लो फ्लोर वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर उनकी सुगम्यता को बढ़ाया जा सकता है। रैंप युक्त, कम उत्तर-चढ़ाव वाले और व्हीलचेयर व टेक्टाइल पथ जैसी सुविधा वाले हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और मेट्रो आदि का निर्माण करके, दृष्टिबाधितों के लिए ध्वनि के माध्यम से मार्ग बताने वाले उपकरणों या श्रवणबाधितों के लिए लिखित रूप में अथवा चिह्नों के मार्ग बताने की व्यवस्था करके सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम्य बनाया जा सकता है। अभियान के दूसरे आधार स्तंभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अलग-अलग चरणों के अनुसार कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अभियान के प्रारंभिक चरण में देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और ए.ए. तथा बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों का सुगम्यता परीक्षण कर उन्हें सुगम्य बनाने का लक्ष्य रखा

गया है। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी घरेलू हवाई अड्डों और देश के 50 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के साथ सरकारी स्वामित्व वाले 10 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन वाहनों को सुगम्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सुगम्य सूचना एवं संचार तकनीक

वेबसाइटों के निर्माण में डब्ल्यूउसी मानकों का अनुपालन करके उनकी सुगम्यता को बढ़ाया जा सकता है। वीडियो अथवा चलचित्रों में ध्वनि के साथ पाठ की सुविधा (सबटाइट) की सुविधा उपलब्ध करवा कर उन्हें श्रवण बाधितों के लिए सुगम्य बनाया जा सकता है। वेबसाइट अथवा दस्तावेजों में मौजूद चित्रों के साथ संगत वैकल्पिक पाठ उपलब्ध करवा कर उन्हें सुगम्य बनाया जा सकता है। चित्र के साथ दिया गया वैकल्पिक पाठ स्क्रीन रीडर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति को चित्र का वर्णन समझने में सहायता करता है।

सुगम्य भारत अभियान में निर्माण अधोसंरचना को सुगम्य बनाने के लिए अलग-अलग चरणों के अनुसार कई लक्ष्य रखे गए हैं जैसे पहले चरण में देश के बड़ी आबादी वाले कई शहरों में प्रत्येक में कम से कम 50 सरकारी भवनों की सुगम्यता जांच कर उन्हें पूर्णतया सुगम्य भवन बनाना।

किसी भी प्रकार के संचार में ऑडियो नरेशन की सुविधा उसे दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सुगम्य बनाती है। इस प्रकार के कई उपाय हैं, जिन्हें अपना कर आज के दौर में सूचना और संचार तकनीकों को विकलांगजनों हेतु सुगम्य और बनाया जा सकता है।

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सूचना और संचार तकनीकों को सुगम्य बनाने के लिए पहले चरण में केंद्र और राज्य सरकार सहित लगभग 50 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने और राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरणों की सहायता वीडियो सबटाइटलिंग और साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के राष्ट्रीय मानक विकसित करने और उन्हें व्यापक रूप से अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दूसरे चरण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में से 50 प्रतिशत तक को सुगम्य बनाने, 200 अतिरिक्त साइन लैंग्वेज दुर्भाग्यों को प्रशिक्षण

देकर पूल बनाने तथा सरकारी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों के 25 प्रतिशत द्वारा इन मानकों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ समन्वय की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

समावेशी और सुगम्यता सूचकांक

सुगम्य भारत अभियान का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से 30 मार्च 2016 को दिल्ली के विज्ञान भवन में समावेशी और सुगम्यता सूचकांक (इंक्लुसिवनेस और एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स) का शुभारंभ किया गया। फिक्की के सहयोग से निर्मित इस सूचकांक को कॉर्पोरेट सेक्टर और गैरसरकारी संगठनों को सुगम्य भारत अभियान से जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह विभिन्न संगठनों, कंपनियों या कार्यस्थलों की निश्चित पैमानों और मानदंडों के आधार पर सुगम्यता का आकलन करता है और उस सुगम्यता को व्यक्त करने का सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है। यह सांख्यिकीय आधार सूचकांक में पिछड़े स्तर पर आने वाले संगठनों के लिए एक प्रकार की चुनौती होती है, जो कि कार्यस्थलों को विकलांगजनों के लिए निरंतर बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। विकलांगजनों के अतिरिक्त इस सूचकांक का लाभ संबंधित संगठन या संस्थान को भी मिलता है। इस सूचकांक पर अमल करके संगठन को अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों को बनाए रखने, उनके मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

अंत में सुगम्य भारत अभियान वैसे तो विकलांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया गया अभियान है, परंतु इसके सफल क्रियान्वयन का लाभ समाज के अन्य तबकों और नागरिकों को भी भरपूर मिलेगा। मसलन गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, छोटे बच्चे या बीमार व्यक्ति भी सुगम्य भारत अभियान के किसी न किसी पहलू से किसी न किसी रूप में लाभान्वित होंगे। इसलिए सारे रूप में यह कहा जा सकता है कि सुगम्य भारत अभियान समग्र विकास की राह में उठाया गया एक सशक्त कदम है। □

सुगम्य भारत अभियानः सुगम्य भारत - सशक्त भारत



सुगम्यता— हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?



सुगम्यता— वैधानिक व्यवस्थाएं

सरकार एक ऐसी समावेशी समाज परिकल्पना करती है, जिसमें विकलांगों की उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनके प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान की जाती हो। इस दृष्टि को मूर्त रूप देने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया है।

सुगम्य भारत अभियान, विकलांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने और तीन स्तंभों निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए देशव्यापी एक ध्वजवाहक अभियान है।

उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर, अभियान के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों को शामिल किया गया है:

सुगम्यता और इसकी रूपरेखा

सुगम्यता, विकलांग लोगों के समावेशन और उन तक समान अवसर पहुंचाने की कुंजी है। सामुदायिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए, बाधामुक्त सुगम्य परिवेश, विकलांगों के अधिकारों का पूरा करने की दिशा में पहला कदम है।



निर्माण परिवेश

लोगों के लिए सुलभ भौतिक परिवेशों में सुगम्यता को बढ़ावा देना

- सार्वजनिक भवनों में रैम्प की व्यवस्था
- सुगम्य पार्किंग व्यवस्था
- सुगम्य शौचालय की व्यवस्था
- लिट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था
- आपात समय में खाली कराने के लिए सुरक्षित उपाय



सार्वजनिक परिवहन

सार्वजनिक परिवहन की सुगम्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देना

- सुगम्य रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्टों और बस स्टापों, ट्रेनों और बसों की व्यवस्था
- सुगम्य शौचालयों के साथ रेल घटकों और एयर कैरियर्स की अनुकूलता
- ट्रैफिक लाइटों पर श्रव्य संकेतक



सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सुगम्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देना

सुगम्य सार्वजनिक वेबसाइट

सार्वजनिक दस्तावेज और सुगम्य प्रारूप में सूचना की उपलब्धता


सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रमों में अनुशीर्षक और ऑडियो विवरण का प्रावधान निर्माण परिवेश

जुलाई 2016 तक निम्नलिखित शहरों में सुगम्यता लेखांकन की व्यवस्था और उसे पूर्ण सुगम्य भवनों में लागू करना:

- ❖ बंगलूरु ❖ चेन्नई
- ❖ कोलकाता, ❖ मुंबई
- ❖ अहमदाबाद, ❖ पुणे
- ❖ भोपाल ❖ कानपुर
- ❖ कोयंबटूर ❖ इंदौर
- ❖ जयपुर ❖ वडोदरा
- ❖ सूरत ❖ नागपुर
- ❖ लखनऊ ❖ पटना

स्तंभ-1: निर्माण परिवेश सुगम्यता

लक्ष्य एवं समय सीमा



स्तंभ 2: परिवहन प्रणाली सुगम्यता



सार्वजनिक परिवहन



तीनों स्तंभों में विशिष्ट लक्ष्यों के अलावा, अभियान, अगम्य स्थानों के बारे में व्यापक रूप से सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से लोगों का व्यापक तंत्र तैयार करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन के साथ ही वेब पोर्टल विकसित करने, प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराने और सुगम्य स्थानों को तैयार करने के लिए सीएसआर स्रोतों को दिशा देने की प्रक्रिया में भी है। एक सुगम्य सूचकांक तैयार होने की प्रक्रिया में है, जिसे किसी संगठन की प्रक्रियाएं और प्रणालियां, विकलांग कर्मियों और ग्राहकों के साथ स्वतंत्र, गरिमापूर्ण और सकारात्मक व्यवहार के लिए किस हद तक

सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सुगम्य लेखांकन और उन्हें सुगम्य करना

जुलाई 2016

सभी घरेलू हवाई अड्डों का सुगम्य लेखांकन और उन्हें सुगम्य करना

जुलाई 2019

रेलवे स्टेशन ए1, ए और बी श्रेणी के स्टेशनों को पूर्ण सुगम्य बनाना

जुलाई 2016

सभी रेलवे स्टेशनों के 50 प्रतिशत हिस्से को पूर्ण सुगम्य बनाना

जुलाई 2019

25 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन को पूर्ण सुगम्य बनाना

जुलाई 2019

- ❖ विशाखापटनम ❖ रायपुर
- ❖ गुडगांव ❖ श्रीनगर
- ❖ तिरुवनंतपुरम ❖ भुवनेश्वर
- ❖ चंडीगढ़ ❖ गुवाहाटी
- ❖ पोट ब्लेयर ❖ ईटानगर
- ❖ दमन ❖ पणजी ❖ शिमला
- ❖ रांची ❖ झासी ❖ आगरा
- ❖ नासिक ❖ गांधीनगर
- ❖ कवरती ❖ इफाल ❖ शिलांग
- ❖ आईजोल ❖ कोहिमा
- ❖ पुडुचेरी ❖ गंगटोक
- ❖ अगरतला ❖ देहरादून
- ❖ सिलवासा ❖ लुधियाना
- ❖ फरीदाबाद ❖ वाराणसी
- ❖ नोएडा।

स्तंभ 3: ज्ञान और आईसीटी पारिस्थितिकी सुगम्यता

सुगम्य वेबसाइट और सार्वजनिक दस्तावेज

कम से कम 50 प्रतिशत केंद्रीय एवं राज्य सरकार सार्वजनिक दस्तावेज सुगम्यता की वेबसाइटें सुगम्यता के मानकों को पूरा करें मानकों को पूरा करें



जुलाई 2019

जुलाई 2019

दुभाषियों को 200 अतिरिक्त संकेत भाषा सिखाना



जुलाई 2019

सार्वजनिक टेलीविजन समाचार

अनुशीर्षक और सांकेतिक भाषा में विश्लेषण के लिए मानकों को तैयार करें और सुनिश्चित करें सरकारी चैनलों पर कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक टीवी कार्यक्रम तय मानकों का अनुपालन करें



जुलाई 2019


जुलाई 2019

सुगम्यता सूचकांक

मूल्यांकन मीटर

सुगम्यता सूचकांक सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के संगठनों की सुगम्यता की माप के लिए प्रस्तावित है।

- सीएसआर नीति में पीडब्ल्यूडी के लिए विशेष प्रावधान



- पीडब्ल्यूडी के लिए सुगम्यता प्रदान करने हेतु भौतिक अवसंरचना

- उत्पादों और सेवाओं में पीडब्ल्यूडी की जरूरतों को शामिल करना
- विशेष सुविधाएं प्रदान करना ताकि विकलांगजन सेवाओं का उपयोग कर सकें

विकलांग लोगों के समावेशन और सुगम्यता की मौजूदा स्तर का मूल्यांकन करता है। विकलांग लोगों की जरूरतों को बढ़ाने हेतु उन्नयनकारी उपाय करने में मार्गदर्शक की तरह भी कार्य कर सकता है।

विकलांग लोगों के लिए सुगम्यता सूचकांक किस प्रकार से लाभदायक है?

यह संगठनों के बेहतर व्यवस्था के लिए एक कसौटी है, जिससे विकलांग लोगों के लिए सहायता, समावेशन और सुगम्यता को बढ़ाने हेतु उन्नयनकारी उपाय करने के लिए रास्ता तैयार करता है।

सुगम्यता सूचकांक

संगठनों को किस प्रकार लाभ प्रदान करता है?

इससे संगठनों को विविधता वाले प्रतिभाओं के पूर्ण उपयोग करने, कर्मचारियों के टर्नओवर को कम करने, संगठन में कर्मचारियों की निष्ठा, मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप एक सकारात्मक ब्रांड की छवि तैयार करने और नए उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों के अधार में प्रसार होता है।

एकरूप है, की जांच करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

सुगम्यता और समावेशी सूचकांक क्या है?

विभिन्न संगठनों की सुगम्यता और समावेशीता के लिए व्यवस्थाओं और प्रणालियों के मूल्यांकन और उसे कसौटी पर कसने हेतु सुगम्यता और समावेशी सूचकांक टूल कीट को सुगम्य भारत अभियान के तहत तैयार किया गया है।

हमें सुगम्यता सूचकांक की जरूरत क्यों है? यह सूचकांक किसी संगठन में

अन्य राष्ट्रीय कंपनियों के साथ समन्वय

डिजिटल इंडिया

प्रत्येक नागरिक के लिए प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना

मांग के आधार पर सुशासन और सेवाएं

नागरिकों का डिजिटल संवर्द्धन

एआईसी, डिजिटल इंडिया अभियान के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ रही है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विकलांगजन की सुगम्यता रूपी स्तंभों पर टिकी हुई है।

स्मार्ट सिटी



- स्मार्ट सिटी का एआईसी के साथ सम्मिलित करना, ताकि उसे और अधिक सुगम्य बनाया जा सके।
- शहरी नियोजन में विकलांगजन की जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- परिवहन पारिस्थितिकी को विकलांगजन के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए।
- आईसीटी पारिस्थितिकी को सार्वभौमिक डिजाइन और सहायतार्थ प्रौद्योगिकियों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

स्वच्छ भारत अभियान

शौचालय परिसरों के निर्माण में सुगम्यता के मानकों को शामिल किया जाना चाहिए

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए नियमावली तैयार की जा रही है।



तकनीकी विकास से राह आसान

अमित कुमार सिंह

कपिल कुमार



हम सभी जानते हैं कि शरीर के प्रत्येक अंग की अपनी महत्ता है। कई बार इन अंगों में विकार हो जाते हैं। यह विकार जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकते हैं। इन्हीं विकारों में से एक है दृष्टि विकार लेकिन आज तकनीकी सफलता की सहायता से दृष्टि विकार का इलाज संभव है। विश्व में दृष्टि विकारों से संबंधित नई-नई तकनीकों पर लगातार शोध हो रहे हैं। आज औद्योगिक समाधान रेटिना तक की विकृति का विकल्प प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में हम तकनीक की मदद से दृष्टि विकलांगों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद तो कर ही सकते हैं।

रो

ग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) अक्षमता को शरीर अथवा मस्तिष्क की ऐसी स्थिति (कमजोरी) के रूप में परिभाषित करता है, जो उस व्यक्ति के लिए कुछ निश्चित काम करना (कार्यकलापों को सीमित करती है) और आसपास की दुनिया के साथ संपर्क बनाना (भागीदारी सीमित करती है) कठिन बना देती है।¹ अक्षमताएं कई तरह की होती हैं। जैसे व्यक्ति की दृष्टि, चलने-फिरने, सोचने, याददाशत, सीखने, संवाद करने, सुनने, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों आदि को प्रभावित करती हैं। अक्षमता अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग रूप से प्रभावित करती हैं ऐसे में विकलांग शब्द को जेनेटिक तौर पर अभिव्यक्त करना और ऐसे सभी लोगों को अलग करके देखना अनुचित होगा। साथ ही कोई भी जीवन में कभी भी किसी न किसी अक्षमता का शिकार हो सकता या सकती है। ऐसा नहीं है कि अक्षमता हमेशा जन्मजात होती है। यह दुर्घटनाओं या हादसों की वजह से भी सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अक्षमता के तीन आयाम होते हैं:²

- व्यक्ति की शारीरिक संरचना या मस्तिष्क के कामकाज में विकार। विकारों के उदाहरणों में कोई अंग गंवाना, आंखों की रोशनी चले जाना या याददाशत चले जाना शामिल हैं।
- कार्यकलाप सीमित होना मसलन-देखने-सुनने, चलने या समस्या सुलझाने में कठिनाई होना।
- काम करने, सामाजिक और मनबहलाव जैसी रोजमरा की गतिविधियों और स्वास्थ्य

सेवाएं और रोकथाम सेवाएं प्राप्त करने में भागीदारी सीमित होना।

विकलांगता जन्मजात (जन्म से ही मौजूद) भी हो सकती है तथा जीवन में कभी भी शरीर के कार्यकलापों को प्रभावित कर सकती है। इनमें बोध (याददाशत, सीखने और समझने), चलने-फिरने या गतिशीलता (आसपास घूमने), देखने-सुनने, व्यवहार और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थितियों का कारण अनुवांशिक या मॉर्फलॉजिकल एनॉमली यानी आकृति संबंधी अनियमितता से शरीर के हिस्से (हिस्सों) या अंग (अंगों) के कामकाज पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य की कुछ स्थितियों (जैसे मधुमेह, रक्तचाप आदि) के कारण भी आंखों की रोशनी चले जाना, स्नायु को नुकसान पहुंचना या अंग गंवा बैठना आदि जैसी अक्षमता हो सकती हैं। अक्षमता कालांतर में बढ़ भी सकती है (यथा अल्जाइमर), अचल (यथा अंग गंवा बैठना) या अनियमित (यथा कुछ प्रकार की मल्टीपल सिरोसिज) हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2001 में कामकाज, अक्षमता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएफ) जारी किया था। आईसीएफ शरीर और उसकी बनावट के महत्वपूर्ण कार्यों, कामकाज में भागीदारी के स्तर और सामान्य तौर पर हमारी सेहत को प्रभावित करने वाली आसपास की दुनिया की परिस्थितियों का वर्गीकरण करने संबंधी मानक है। आईसीएफ गतिविधि को किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या क्रिया को अंजाम देने के रूप में परिभाषित करता है और भागीदारी को जीवन की परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने के रूप में परिभाषित करता है।

अमित कुमार सिंह सूचना, संचार प्रौद्योगिकी पेटेंट के विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से एम. फिल. कर चुके हैं। संप्रति विधिक फर्म लेक्स देल्ही के प्रमुख हैं। संचार विषय पर अध्ययन में गहरी रुचि है। ईमेल: amitk.singh@outlook.com, वेबसाइट: www.lexdelhi.com

कपिल कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग में शोधार्थी हैं और दृष्टि विकलांगों के अधिकारों पर शोध कर रहे हैं। ईमेल: kapil22nd@gmail.com

तालिका 1: विकलांगता विवरण (लाख में)

अक्षमता	एनएसएसओ (प्रतिशत लाखों में)	जनगणना (प्रतिशत लाखों में)
चलना-फिरना	106.34 (51.19%)	61.05 (27.86%)
देखना	28.26 (13.60%)	106.3 (48.54%)
सुनना	30.62 (14.7 4%)	12.62 (5.76%)
बोलना	21.55 (10.37%)	16.41 (7.49%)
मानसिक	20.96 (10.09%)	22.64 (10.33%)
कुल	207.73 (1.8)	219.02 (2.1%)

आज तकनीक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और वह विकलांगजनों को समान परिस्थितियां उपलब्ध कराने में बराबरी लाने वाले कारक की भूमिका निभाती है। तकनीक के द्वारा विकलांगजनों को अलग तरह से सक्षम बनने में सहायता मिली है।

दोनों ही परिस्थितियों, जिनकी पहले चर्चा की जा चुकी है उनकी वजह से बने फासलों को मिटाने में तकनीक मददगार साबित होती है। तकनीक विकलांग जन की दो तरह से मदद करती है—वह रोजमर्मा के कामकाज निपटाने में सहायक के तौर पर मदद करती है एवं शरीर के अंग के रूप में एकीकृत होकर कहीं न कहीं दोनों ही भूमिकाओं का निर्वाह करती है।

सामान्य तकनीक और विशेषकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझने के लिए दृष्टि बाधितता का मामला उठाया गया है। दृष्टि विकार को दूर करने में आईसीटी (सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक) के उपयोग को समझने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि आईसीटी एक व्यापक संदर्भ है, जिसका आशय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां हैं। आईसीटी का आशय उन प्रौद्योगिकियों से है, जो दूरसंचार के माध्यम से सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराती हैं। आईसीटी में कंप्यूटर, इंटरनेट, वॉयरलेस नेटवर्क्स, मोबाइल फोन और अन्य संचार माध्यम एवं उपकरण शामिल हैं। आईसीटी का निरंतर प्रसार होता आया है, जिससे नई संचार क्षमताओं का व्यापक श्रेणी का मार्ग प्रशस्त हुआ है।⁴ इसमें एक-दूसरे से संवाद करने की निरंतर बढ़ती योग्यता से युक्त लगातार छोटे होने वाले एकीकृत उपकरणों द्वारा कुशल सूचना प्रौद्योगिकी को उत्तरोत्तर बढ़ावा मिलना शामिल है। (इंटरनेट ऑफ थिंग्स)

प्रस्तुत आलेख में दृष्टि बाधितता के मामले को इसलिए उठाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) और

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों में दृष्टि बाधित दूसरे स्थान पर है, जबकि चलने-फिरने संबंधी अक्षमता पहले स्थान पर है।

दृष्टि विकार

आंखों की रोशनी कमजोर होने या पूरी तरह चले जाने से दृष्टि विकार संबंधित है, जिसे मानक चश्मों, कॉटैक्ट लैंस, औषधि या शल्य क्रिया से ठीक नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति के रोजमर्मा के कामकाज करने की क्षमता को बाधित करता है।⁶ यह आंखों से संबंधित है, लेकिन यह सिर्फ आंखों तक ही सीमित नहीं न होकर, मस्तिष्क के स्नायु और दृष्टि संबंधी भाग से भी संबद्ध है।

दृष्टि विकार आशिक या पूर्ण हो सकता है और यह जन्मजात भी हो सकता है या जीवन में बाद में भी कभी हो सकता है। दृष्टि संबंधी विकार का कारण बीमारी, सदमा, जन्मजात या आंख में निरंतर खराबी रहना हो सकता है। अनुमान है कि दृष्टि विकार के कुल मामलों में से आधे मामलों की ही रोकथाम की जा सकती है। इसका कारण बहुत ही सरल है और वह यह है कि आंखों की रोशनी छोनने वाली ज्यादातर बीमारियों के लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते। जहां बीमारी की शुरुआत में ही इलाज उपयोगी साबित हो सकता है और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। दृष्टि बाधित करने वाली अधिकांश बीमारियों की जांच और शुरुआती इलाज उपलब्ध हैं, जिनमें काफी इलाज तो किफायती दरों पर उपलब्ध हैं।⁷ केवल दृष्टि बाधितता के कारण ही आंखों की पूरी रोशनी नहीं जाती, बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं, जिनकी वजह से नजर कमजोर हो जाती है और उनके लिए ‘आंशिक दृष्टि’ ‘मंद दृष्टि’ ‘कानून दृष्टि बाधित’ और ‘पूर्णतया दृष्टि बाधित’ विविध प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है।

आईसीटी एक सहायक के तौर पर

किसी भी विकलांग छात्र की भागीदारी, उपलब्ध या स्वतंत्रता बढ़ाने वाले किसी भी अनुकूलनीय उपकरण अथवा सेवा को सहायक तकनीक माना जा सकता है। सहायक तकनीक

दृष्टि बाधित व्यक्तियों (अन्य अक्षमताओं सहित और उनके बगैर) की साधारण पाठ्यक्रम तक पहुंच बढ़ाने और उनके अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करती है। ज्यादातर दृष्टि बाधित लोग दृष्टि पुनर्वास, वातावरण संबंधी बदलावों और ऐसे सहायक उपकरणों से लाभावित हो सकते हैं, जो उनकी बच्ची हुई दृष्टि में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं और उन्हें एक स्वतंत्र एवं उपयोगी जीवन बिताने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। आईसीटी सभी स्थितियों से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचा सकती है।

छड़ी


साधारण छड़ी जिसका उपयोग पूर्णतया दृष्टि बाधित लोग या लोग जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है वे इस छड़ी का प्रयोग रुकावटों और गड़ों से बचने के लिए करते हैं। कंप्यूटर प्रॉसेसिंग कौशल सहित बैट ईकोलोकेशन सिग्नल जैसी नयी तकनीक विभिन्न स्थानों पर आने वाली रुकावटों का पहले ही पता लगा लेती है, जिससे ईकोलोकेशन को एक नया अर्थ मिल गया है। इसका उपयोग करने वालों को वाइब्रेशन सिग्नल, हैप्टिक सिग्नल या साउंड अलार्म आदि के माध्यम से सचेत किया जा सकता है।

नेवीगेशन उपकरण

नेवीगेशन, कॉटैक्ट अवेयर कंप्यूटिंग (ऐसी मोबाइल प्रणाली जो आसपास के वातावरण को महसूस करके उसके अनुरूप ढल सकती है) संबंधित सूचना को पढ़ सकती है और उसका विश्लेषण कर सकती है। उदाहरण के तौर पर स्थान और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बारे में (जिन्हें यूजर-कंप्यूटर संपर्कों में अंतर्निहित किया जा सकता है) इन सुविधाओं एवं क्षमताओं का उपयोग लंबी दूरी की यात्रा करने वाले दृष्टि बाधित मुसाफिर को सहायता

आज तकनीक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और वह विकलांगजनों को समान परिस्थितियां उपलब्ध कराने में बराबरी लाने वाले कारक की भूमिका निभाती है। तकनीक के द्वारा विकलांगजनों को अलग तरह से सक्षम बनने में सहायता मिली है।

दी जा सकती है। उपयोगकर्ता को उसके आसपास की जगह के बारे में सजग किया जा सकता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम




(जीपीएस) से लैस नेवीगेशन टेक्नोलॉजी ने कामकाज की दिशा में लंबी छलांग लगाई है और ज्यादा अच्छी बात यह हुई कि इसे डाटा एनेबल्ड मोबाइल फंक्शन्स के साथ जोड़ दिया गया है। जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जोड़े रख सकता है और मोबाइल टॉवर्स (जिन्हें ए-जीपीएस या सहायक जीपीएस के नाम से जाना जाता है) का इस्तेमाल करते हुए बेहतर लोकेशन डेटा उपलब्ध करवा सकता है।

वॉयरलैस प्रणालियां जैसे वाई-फाई (वॉयरलैस फिडेलिटी), एनएफसी (नीयर फील्ड कम्प्युनिकेशन), इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी और ब्ल्यूटूथ सहित ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियां दृष्टि बाधित लोगों के लिए आवश्यक यूजर इंटरफेस में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं, चाहे वह स्टैंड अलोन कम्पोजिट डिवाइसिज हों या फिर जब उन्हें मोबाइल टेलीफोन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया हो।

पढ़ना रोजमर्रा की जिंदगी का एक आवश्यक कार्य है और यह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। चाहे बिलों की छंटाई करनी हो, पाठ्यपुस्तक या दैनिक अखबार पढ़ना हो, विकलांगजनों की पढ़ने तक पहुंच होना बहुत आवश्यक है। इन जरूरतों को पूरा करने और पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सहायक तकनीक तैयार की गई है। ऑप्टिकल केरेक्टर रेडर (ओसीआर) इस तकनीक का मुख्य आधार है। डिजिटल टॉकिंग बुक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक, डेंजी स्टैंडर्ड, दृष्टि बाधित लोगों के लिए ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के लिए न्यूनतम मानदंड हैं। पाठ्यपुस्तकों और अखबारों तक प्रत्यक्ष डिजिटल पहुंच कायम करने का बेहद महत्वपूर्ण कदम प्रस्तावित है और तकनीक के क्षेत्र में भविष्य में होने वाला विकास अध्ययन को समाप्त करता है।

वीडियो मैग्नीफॉर्यर्स ऐल्बनिज्म (अरंजकता) से ग्रसित लोगों को कार्य, स्कूल और उनके



निजी जीवन के कार्यकलापों में आनंद लेने में सक्षम बनाता है। वीडियो मैग्नीफॉर्यर्स के कांट्रास्ट को एडजस्ट करके उपयोगकर्ता बिना

वॉयरलैस प्रणालियां जैसे वाई-फाई (वॉयरलैस फिडेलिटी), एनएफसी (नीयर फील्ड कम्प्युनिकेशन), इंफ्रा रेड टेक्नोलॉजी और ब्ल्यूटूथ सहित ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियां दृष्टि बाधित लोगों के लिए आवश्यक यूजर इंटरफेस में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं, चाहे वह स्टैंड अलोन कम्पोजिट डिवाइसिज हों या फिर जब उन्हें मोबाइल टेलीफोन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया हो।

किसी असुविधा के इस कमी को दूर कर सकता है। ज्यादातर किसम के मोतियाबिंद का इलाज शल्यक्रिया से हो सकता है। यदि शल्यक्रिया का विकल्प मौजूद न हो, तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का उपयोग मूलपाठ या वस्तुओं को मैग्नीफॉइ या बढ़ा करने के लिए किया जा सकता है, ताकि वे इन्हें बढ़े हो जाएं कि वे क्लॉउडिड सेंट्रल विजन एरिया के बाहर से देखे जा सकें। ओसीआर युक्त स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर उपयोगी हो सकता है। यह रेटिना को मधुमेह से होने वाले नुकसान (डाइबेटिक रेटिनोपथी) में भी उपयोगी है, क्योंकि मधुमेह से पीड़ित बहुत से लोगों को अपनी उंगलियों में ज्यादा संवेदनशीलता महसूस नहीं होती, जिसके कारण वे सामान्यतया ब्रेल का उपयोग

नहीं कर पाते। रेटिनीटिस पिग्मेंटोसा से हाई कांट्रास्ट डिस्प्ले के मामले में टेक्नोलॉजी उपयोगकर्ता को मूलपाठ पढ़ने में सहायता प्रदान कर सकती है।

आईसीटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, विभिन्न आकारों वाले प्रोग्रामेवल इम्प्लांट्स को आवश्यकता के मुताबिक ढाला जा सकता है। उनका उपयोग आयु, कमी, परिस्थितियों, रोग अथवा तुकसान के कारण कमज़ोर अथवा क्षतिग्रस्त हुई दृष्टि संबंधी मांसपेशियों की सहायता के लिए किया जा सकता है। उन्हें दृष्टि को प्राकृतिक तौर पर निर्यत्रित करने में सहायता देने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। नेत्रों के क्षतिग्रस्त अथवा विकृत स्नायुओं के मामले में, स्नायुओं द्वारा या सीधे मस्तिष्क को संदेश भेजने के लिए इलैक्ट्रोड्स और इम्प्लांट्स का उपयोग किया जा सकता है। सिग्नल और सही दृष्टि प्राप्त करने के लिए इलैक्ट्रोड्स को अंदर प्रवेश कराया जा सकता है या उपत्वचा (एपिडर्मल) से जोड़ा जा सकता है।

हाथ में पकड़े जा सकने वाले (हैंडी) उपकरण और निजी कंप्यूटर्स को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। जहां स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस आदि को आवश्यकतानुसार अथवा विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि उसे उपयोगकर्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सके। आईसीटी उपकरणों को नए उपकरण का निर्माण करने के लिए या किसी नए तरह का कार्य करने के लिए एकीकृत (या सम्मिलित) किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-ए आई उपकरणों को स्व-अध्ययन और मांग के मुताबिक या अपने-आप कार्य करने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट सिटीज अनलॉन्क्ड है, जिसमें दृष्टि बाधित लोगों को बिना किसी और की मदद के नेवीगेट करने में सहायता देने के लिए उन्नत जीपीएस और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसमें ओवर ईयर हैडफोन या एक्सीलरोमीटर सहित गॉगल्स, गाइरोमीटर, कम्प्यास और हैडफोन्स के विभिन्न हिस्सों में स्पीकर्स शामिल हैं, ताकि विभिन्न दिशाओं से आने वाली ध्वनि का प्रभाव मिल सके। उपयोगकर्ता द्वारा ब्ल्यूटूथ रिमोट पर 'ओरिएनेट' बटन को क्लिक करते ही उसे अपने सही स्थान और उसके आसपास

के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके आईपीस पर कैमरा भी है, जो लोगों और वस्तुओं का पता लगा सकता है और उपयोगकर्ता को घटनाओं के बारे में सूचित कर सकता है।

दृष्टि विकार लोगों को और सुविधा मुहैया कराने के लिए अत्याधुनिक ब्रेल भी विकसित की जा रही है। जिसमें न सिर्फ तेजी

पढ़ना रोजमर्रा की जिंदगी का एक आवश्यक कार्य है और यह कई डृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। चाहे बिलों की छंटाई करनी हो, पाठ्यपुस्तक या दैनिक अखबार पढ़ना हो, विकलांगजनों की पढ़ने तक पहुंच होना बहुत आवश्यक है। इन जरूरतों को पूरा करने और पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सहायक तकनीक तैयार की गई है। ऑप्टिकल क्रेक्टर रीडर (ओसीआर) इस तकनीक का मुख्य आधार है।

से पढ़ना मुमकिन हो सकेगा, बल्कि महंगा ब्रेल प्रिंटर खरीदने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन, मौजूदा टेक्नोलॉजी युक्त कुशल सामग्री (इंटेलिजेंट मटिरियल) का उपयोग करके कोई भी पुस्तक, पाठ्य सामग्री आदि को सीधे तौर पर ब्रेल में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें ब्रेल में शब्द उकरने के लिए सतह अपना आकार परिवर्तित कर लेती है, जिन्हें उपयोगकर्ता महसूस कर सकता है और पढ़ सकता है। निजी धोषणा एवं प्रणालियां और मूल पाठ से स्पीच कंर्वटर में रूपांतरण भी दृष्टि बाधितों के लिए जीवन सरल बनाने की दिशा में उपयोगी है।

निष्कर्ष

आईसीटी निरंतर विकसित हो रहा है और नयी प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ यह मोटे तौर पर सामान्य विकलांगजनों और विशेषकर दृष्टि बाधितों के अंतर को मिटाने में व्यापक रूप से माध्यम साबित हो रहा है। किसी व्यक्ति की दृष्टि पर असर डालने वाली परिस्थितियां अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए समाधान भी ऐसे अलग-अलग प्रकार के ही होने चाहिए। इस मामले में हर रोग का इलाज एक ही दवा से नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक समस्या अपने-आप में अलग तरह की होती है। आईसीटी उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार उपकरण बनाने और उसे जरूरत के मुताबिक ढालने में सहायता करता है। ताकि, उसके जीवन को और ज्यादा आसान बनाया जा सके। इंटेलिजेंस ए आई का उपयोग करते हुए आधुनिक मशीनों को स्वयं सीखा जा सकता है और उसी का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि वे विषय का बेहतर ढंग से आकलन कर सकें और दिए गए संदर्भ को उच्च डृष्टिकोण प्रदान कर सकें। □

संदर्भ

- <http://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html>
- <http://www.who.int/classifications/icf/en/>
- वहाँ
- <http://techterms.com/definition/ict>
- http://www.ccdisabilities.nic.in/page.php?s=reg&t=def&p=disab_ind
- https://en.wikipedia.org/wiki/Human_eye#/media/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_en.svg
- <http://hubel.med.harvard.edu/book/b35.htm>
- <http://www.cdc.gov/healthcommunication/ToolsTemplates/EntertainmentEd/Tips/Blindness.html>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Human_eye#/media/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_en.svg
- <http://hubel.med.harvard.edu/book/b35.htm>
- <http://www.cdc.gov/healthcommunication/ToolsTemplates/EntertainmentEd/Tips/Blindness.html>

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरने
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

आई.ए.एस. की परीक्षा में सफल होने के सूत्र

डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक

‘आप IAS
कैसे
बनेंगे’

आप
IAS
कैसे
बनेंगे

डॉ. विजय अग्रवाल

₹195/-

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक
‘चलता-फिरता कोचिंग संस्थान’ है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

दया नहीं अधिकार दिलाने की पहल

मुकेश केजरीवाल



भारत विकलांगों के अधिकार पर हुए संयुक्त राष्ट्र के समझौते में शामिल शुरुआती देशों में से एक है। इसके तहत हमें अपने कानूनों में बदलाव लाकर विकलांगों को जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिलाना जरूरी है। यही नहीं अगर विकलांगों को मुख्य धारा से अलग-थलग रख कर देश का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि विकलांगों को समान अवसर दिला कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को तीन से सात फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

आ

पकी इजाजत हो तो हम इस अलग तरह से करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा-सा अभ्यास करेंगे। कुछ मिनट के लिए हम अपने सारे काम आंखें बंद कर के करने की कोशिश करेंगे। या फिर चाहें तो कुछ मिनट के लिए सिर्फ एक पैर पर अपनी इमारत से निकल कर दूसरी इमारत में जाने की कोशिश करें। अगर आप अभी यह अभ्यास नहीं करना चाहते तो लेख पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि कुछ मिनट का यह अभ्यास आपको विकलांगता के बारे में किसी आलेख ही नहीं पूरी किताब से ज्यादा जानकारी दे सकता है।

फिलहाल इस अभ्यास की चर्चा से हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम एक बार अपनी रोजमर्रा की भागमभाग भरी जिंदगी से थोड़ा-सा अल्पविराम लेकर वास्तव में इस विषय के बारे में सोचें। ध्यान रहे कि विकलांगता सिर्फ दृष्टि या पैर की ही नहीं होती, इसके बहुत से स्वरूप होते हैं और उतनी ही तरह की चुनौतियां भी होती हैं। मेरे एक मित्र जो विकलांगों के लिए काम करते हैं, उन्होंने वर्षों पहले मुझे कहा था, “असली विकलांग तो तुम हो जो इन्हें देख नहीं पाते। तुममें से अधिकांश को तो अंदाजा ही नहीं कि देश में कितने प्रतिशत विकलांग लोग होंगे।” वास्तव में खुद को सामान्य मानने वाले हममें से अधिकांश लोगों को इनके बारे में बहुत कम अंदाजा है। भारत में विकलांगों के प्रति जागरूकता कितनी कम है उसका पता इसी बात से चलता है कि विकलांगों का आंकड़ा 2001 जनगणना में पहली बार

शामिल किया गया। यानी इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि देश में विकलांगजनों की संख्यात्मक स्थिति क्या है? सच कहा जाए तो दो जनगणना के आंकड़े होने के बावजूद हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हमने इस लिहाज से कोशिश की है मगर हमें हकीकत का पता नहीं लग सका है।

पिछली जनगणना के दौरान देश में कुल 2.68 करोड़ लोग विकलांगजन पाए गए। यह कुल आबादी का 2.21 फीसदी है। वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान कुल जनसंख्या के 2.13 फीसदी लोग विकलांग ऐसे पाए गए थे। यानी इनकी संख्या में एक दशक में 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई है। ताजा जनगणना में 1.49 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं किसी ना किसी तरह की विकलांगता का शिकार हैं। खास बात है कि 1.76 करोड़ ऐसे लोग गांवों में रहते हैं। कुल आबादी में विकलांगों के प्रतिशत के लिहाज से भी गांव में स्थिति ज्यादा खराब है। जनगणना में एक और चिंताजनक संकेत सामने आया है और वह है दलितों में विकलांग औसत से ज्यादा हैं। राष्ट्रीय औसत 2.21 के मुकाबले अनुसूचित जातियों में 2.45 फीसदी विकलांगता पाई गई है, जबकि अदिवासियों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। अनुसूचित जनजातियों में यह 2.05 फीसदी है। जनगणना के आंकड़ों में शामिल विकलांगों में सबसे ज्यादा लगभग 54 लाख लोग चलने में असमर्थ हैं, जबकि सुनने देखने में असमर्थ लोगों की संख्या भी 50-50 लाख से ज्यादा है। (तालिका 1) जनगणना जैसे विशाल और विस्तृत आंकड़ों के बावजूद हमने ऊपर कहा कि ये आंकड़े सिर्फ संकेत भर हैं। इसकी वजह यह है कि ये आंकड़े वास्तविकता

लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो में कार्यरत हैं। इनकी सामाजिक व विकास केंद्रित मुद्राओं में विशेष रुचि है। जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय (अमेरिका), नेशनल प्रेस फाउंडेशन (अमेरिका), वन वर्ल्ड साउथ एशिया, पैनोस साउथ एशिया और नीति आयोग (भारत सरकार) आदि से अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप प्राप्त हैं।
ईमेल: mukeshkejariwal@gmail.com

तालिका 1: भारत में विकलांगता के प्रकार और विकलांग

विकलांगता के प्रकार	ब्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
कुल	2,68,10,557	1,49,86,202	1,18,24,355
देखने में	50,32,463	26,38,516	23,93,947
सुनने में	50,71,007	26,77,544	23,93,463
बोलने में	19,98,353	11,22,896	8,75,639
गतिशीलता में	54,36,604	33,70,374	20,66,230
मानसिक विक्षिप्तता में	15,05,624	8,70,708	6,34,916
मानसिक कमज़ोरी	7,22,826	4,15,732	3,07,094
अन्य	49,27,011	27,27,828	21,99,183
एकाधिक विकलांगता	21,16,487	11,62,604	9,53,883

स्रोत: जनगणना 2011

से बहुत कम जान पाते हैं। हमारे यहां विकलांगता को लेकर समाज में जिस तरह का भाव है, उसमें लोग अपने या परिवार के सदस्य की विकलांगता के बारे में आसानी से बताते नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा दस फीसदी या उससे भी ज्यादा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने वर्ष 2011 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में लगभग 15.3 फीसदी लोग किसी न किसी तरह की विकलांगता से प्रभावित हैं। यहां तक कि धनी देशों में भी विकलांगता का प्रतिशत लगभग इतना ही है। ऐसे में हमारे पास कोई ठोस बजह नहीं है कि हम मान लें कि हमारे यहां वास्तव में विकलांगों की आबादी महज 2.21 फीसदी ही है।

सुगम पहुंच: एक अनिवार्य आवश्यकता

अगर आपने ऊपर बताया गया अध्यास किया होगा तो आप अब तक जान गए होंगे कि अधिकांश विकलांग लोग आज भी 99 फीसदी से ज्यादा जगहों पर पहुंच ही नहीं सकते। इस लिहाज से देखें तो हम आज भी उसी जगह हैं, जहां अमेरिका जैसे देश 50–60 साल पहले थे। विकलांगों की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हममें से अधिकांश लोग उनके अधिकारों के बारे में जानते तक नहीं। हममें से बहुत से सहदय लोग कभी-कभार कुछ अर्थिक मदद, चंदा या भीख दे कर उनके लिए अपने कर्तव्यों को पूरा हुआ समझ लेते हैं। जबकि उन्हें जरूरत दवा का पात्र बनाने की नहीं, बल्कि अधिकार संपन्न बनाने की है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस बारे में चर्चा की। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि विकलांग लोगों के अंदर भी बहुत संभावना है। साथ ही विकलांगजनों के पास कोई एक अंग भले ही नहीं हो, लेकिन

उनके अंदर विशिष्ट क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। यही कारण है कि उन्होंने ऐसे लोगों को दिव्यांग संबोधित करने का प्रस्ताव भी किया। हालांकि विकलांगों के अधिकार के लिए काम करने वालों की ओर से इस संबोधन को लेकर कुछ ऐतराज भी जताया गया। मगर फायदा यह है कि इस पर चर्चा को विस्तार मिला। लोगों तक सीधे बात पहुंची। ऐसा नहीं कि भारत में विकलांगों को लेकर सरकारी योजनाओं की कमी है। खास तौर पर पिछले एक दशक के दौरान इस लिहाज से काफी कार्यक्रम बने हैं। मगर इन योजनाओं और प्रयासों का अधिकतम लाभ पाने के लिए बेहद जरूरी है इसकी जरूरत लोगों को समझायी जाए। यह कोशिश लगातार होती रहनी चाहिए।

हाल के प्रयास

सकारात्मक बात यह है कि इस लिहाज से कई नए प्रयास शुरू हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर स्कूल में दाखिले से लेकर उच्च शिक्षा में फीस माफी तक से किए जा रहे प्रयास हों या फिर रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के प्रयास हों इनके जरिए विकलांगजन आत्म निर्भर हो सकेंगे। इन्हें दवा के पात्र की बजाए सक्षम बनाने के लिहाज से मार्च महीने में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग ने कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिल कर विशेष राष्ट्रीय कार्य योजना पेश की है। इसका मानना है कि 1.34 करोड़ लोग 15 से 59 वर्ष की उत्पादक आयु वर्ग में हैं। मगर इनमें से 99 लाख लोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या बहुत मामूली काम कर रहे हैं। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि इस उत्पादक आयु वर्ग के सभी लोगों को किसी न

किसी तरह का हुनर सिखा कर रोजगार दिलाया जाए। इससे ये सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी पा सकेंगे और खुद अपना भी काम आसानी से शुरू कर सकेंगे।

विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र

केंद्र सरकार ने सभी विकलांगजनों के लिए एक विशेष पहचान पत्र जारी करने की योजना भी शुरू कर दी है। इसके तहत उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान-पत्र मिल जाएगा। साथ ही उनसे जुड़े सभी आंकड़े भी एक साथ उपलब्ध होंगे। इस तरह उनके लिए तो सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बेहद आसान होगा और उन तक किसी भी सरकारी योजना को पहुंचाना भी सरल हो जाएगा। मूक-बधिर लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में विशेष तौर पर 'इंडियन साइन लैंगवेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर' की स्थापना की जा रही है। यह मूक-बधिर लोगों के लिए एक समान मूक भाषा विकसित करने में मदद करेगा। विकलांगों की सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता ला कर भ्रष्टाचार दूर करने के प्रयास के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

सहजता के अनुकूल तकनीकें

एक ओर जहां हमारे लिए रोजाना नए-नए मनोरंजन के साधन सामने आ रहे हैं वहां दूसरी ओर, विकलांगों के जीवन में नीरसता घर करती जाती है। इसलिए खासतौर पर दृष्टि बाधित लोगों को मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने के लिए एक सेट टॉप बॉक्स विकसित किया जा रहा है। ऐसे लोग जो सिर्फ टीवी कार्यक्रमों को सुन कर मनोरंजन करते हैं उनके लिए इस सेट टॉप बॉक्स में एक विशेष बटन होगा और विशेष रिमोट कंट्रोल होगा। इसके जरिए टीवी पर आ रही लिखी हुई सामग्री उन्हें सुनाई जाएगी। साथ ही मूक-बधिर लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बनाए जाएंगे। शुरुआत के तौर पर दूरदर्शन के एक चौथाई कार्यक्रमों को साइन लैंगवेज में शुरू किया जाना है। जबकि, अभी सिर्फ एक समाचार बुलेटिन साइन लैंगवेज में आता है। इस काम के लिए सरकार अपनी तरफ से सालाना दो सौ लोगों को विशेष प्रशिक्षण देगी। ये लोग मनोरंजक कार्यक्रमों को मूक-बधिर लोगों

के लिए उपयोगी बनाने में नियमित मदद कर सकेंगे। साथ ही इन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार भी मिल सकेगा। सामाजिक कार्य मंत्रालय की ओर से विकलांगजनों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 'सेंटर फॉर डिसेबलिटी स्पोर्ट्स' भी शुरू किया जा रहा है। यहां विकलांगों को खास तौर पर डिजाइन किए गए खेल-कूद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सुगम्य भारत: अनूठी पहल

हाल ही में शुरू किया गया सुगम्य भारत या एक्सेसिबल इंडिया अभियान बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके तहत स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश द्वारा से लेकर पूरे परिसर को इस तरह विकसित किया जाएगा, ताकि विकलांगजन आसानी से उनका उपयोग कर सकें। इसी तरह कॉर्पोरेट कंपनियों और निजी उद्योग क्षेत्र में उन्हें रोजगार के अवसर से लेकर उनके परिसर में बेहतर स्थिति उपलब्ध करवाने के प्रयास होंगे। खास बात है कि यह अभियान सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत शुरुआत में इस वर्ष जुलाई के अंत तक ही सौ सरकारी इमारतों का अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन के आधार पर उन्हें विकलांगजनों लोगों के लिए सौ फीसदी सुगम्य बनाया जाएगा। इसके तहत उद्योग जगत और कॉर्पोरेट कंपनियों में विकलांगों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए पिछले महीने 'इनक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबलिटी इंडेक्स' भी शुरू किया गया है। यह निजी क्षेत्र पर किसी तरह का बाहरी दबाव बनाने की बजाए उन्हें स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। यह इंडेक्स बताएगा कि संबंधित संगठन के अंदर विकलांगों के साथ किस तरह का रखैया अपनाया जाता है और उनकी क्या स्थिति है। इस इंडेक्स को उद्योग और व्यापार जगत के संगठन फिक्की के साथ मिल कर तैयार किया गया है।

सुगम्यता में भी तकनीक अहम

इमारतों की सुगम्यता को लेकर अलग से एक वेबसाइट तैयार की जा रही है। इस पर लोग खास तौर पर सार्वजनिक भवनों में सुगम्यता को लेकर अपने अनुभव और तस्वीर आदि साझा कर सकेंगे। इस तरह किसी भवन में हो रहे अच्छे काम को भी लोग जान सकेंगे और जहां इस संबंध में कोई उपेक्षा हो रही

है, उसे भी आसानी से सार्वजनिक किया जा सकेगा। इससे भवन का प्रबंधन देखने के लिए जिम्मेदार लोगों पर दबाव बन सकेगा। साथ ही नियमों को लागू करवाने के लिए जवाबदेह एजेंसियों को भी इससे मदद मिलेगी। विकलांग लोगों की मदद के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है जो लोगों को अपने आस-पास के इलाके में विकलांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। अगर ऐसे लोग एटीएम का उपयोग करना चाहते हैं तो वे जान सकेंगे कि आस-पास कौन सा ऐसा एटीएम है जो उनके उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह इनमें प्राइवेट मॉल, बाजार और सिनेमा हॉल आदि के बारे में भी सूचना होगी। साथ ही लोग उपयोग के बाद सुविधाओं की रेटिंग भी कर सकेंगे। इस तरह संबंधित लोग अपनी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। सभी सरकारी वेबसाइट को जल्दी ही विकलांगजनों के लिए सुगम्य बनाया जाना है। इसके तहत

अपने देश में परिवहन के बहुत बड़े साधन रेलवे को विकलांगों के लिए सुगम्य बनाने के कई काम किए जा रहे हैं। नए डिब्बों में सारी सूचनाएं ब्रेल लिपि में उपलब्ध करवाई जा रही है।

स्क्रीन रीडर प्रोग्राम के जरिए स्क्रीन पर दी गई सामग्री को ऑडियो में बदल कर पेश किए जाने की सुविधा होगी। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध हो गई है।

उच्च शिक्षा में शुल्क माफी

कई सरकारी विभाग अपने-अपने स्तर पर इस तरह के काम कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसी महीने शैक्षणिक संस्थानों में इनके लिए तय आरक्षण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पिछले दिनों जब आईआईटी की सालाना फीस 90 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख की गई तो इनके लिए फीस पूरी तरह माफ करने का ऐलान भी किया गया। इसी तरह उन्हें शोध कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देने का फैसला भी किया है। अप्रैल में जारी आदेश के मुताबिक अब विकलांग शोधार्थियों को एमफिल को पूरा करने के लिए एक साल का और पीएचडी डिग्री पूरा करने के लिए दो

साल का अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ज्यादा अवसर मिलेंगे और कालेज व विश्वविद्यालयों में अध्यापन के काम में उनका औसत बढ़ेगा।

सहज परिवहन

अपने देश में परिवहन के बहुत बड़े साधन रेलवे को विकलांगों के लिए सुगम्य बनाने के कई काम किए जा रहे हैं। नए डिब्बों में सारी सूचनाएं ब्रेल लिपि में उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही मौजूदा डिब्बों में भी क्रमिक रूप से जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। स्टेशनों पर उनके लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था करने और वहां से प्लेटफार्म तक रैंप बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी तरह उनके लिए शौचालय और पेयजल सुविधा भी अनिवार्य रूप से मुहैया करवाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह वे कहीं आने-जाने के लिए वे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह जाएंगे तो यह उनकी उत्पादकता के लिहाज से बहुत बड़ा कदम होगा।

समर्पित विभाग

विकलांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अलग से विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग बना दिया था। इसी तरह विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय है जो केंद्र सरकार की ओर से विकलांग लोगों के कल्याण के लिए जारी की जाने वाली रकम के खर्च की निगरानी करने और राज्यों के आयुक्त के साथ तालमेल करने के लिए जवाबदेह है। साथ ही विकलांगजनों से जुड़े नियम-कानूनों के पालन को लेकर मिलने वाली शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। इसी तरह ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मानसिक विकलांगता और एकाधिक विकलांगता वालों के लिए अलग से राष्ट्रीय न्यास है। शिक्षा, रोजगार और स्वाबलंबन के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की एक विशेष कंपनी राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) है। इन संस्थाओं के काम को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाने, इनकी योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने और उन्हें जन उपयोगी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। □

आधारः नये तथ्य

आधार कार्ड प्रमाणीकरण

- यूआईडीएआई के माध्यम से 150.6 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण बाद किया गया
- 8.4 करोड़ से अधिक ई-केवाइसी प्रमाणीकरण यूआईडीएआई पर किया गया
- यूआईडीएआई प्रतिदिन 40 लाख से अधिक व्यवहारों को प्रमाणित करता है

आधार भुगतान सेतु (एपीबी) बैंक विवरण की आवश्यकता के बिना ही हितधारक को उनके आधार संख्या के माध्यम से उनको सीधे तौर पर लाभ/अन्य भुगतान वितरण के लिए सक्षम बनाता है। एपीबी में पिछले दो वर्षों में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। आधार भुगतान सेतु पर 23 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने खाते को आधार कार्ड से जोड़ा है। एपीबी पर लेनदेन की कुल संख्या 94.71 करोड़ है, जिसका मूल्य 28,363 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा, 31 मई, 2014 के 4,474 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 7.13 करोड़ एपीबी

लेन-देन की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है।

पिछले दो साल में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) के विकास में देखी गई है। ईपीएस एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से, दूरस्थ गांव में एक लाभार्थी, बैंक शाखा की पहुंच के बिना ही अपने घर से पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक माइक्रो-एटीएम पर आधार और फिंगरप्रिंट देने होते हैं।

एपीईएस के जरिए लेन-देन की कुल संख्या 31 मार्च, 2016 तक 10.76 करोड़ पर पहुंच गई जो कि 31 मई, 2014 तक 46 लाख दर्ज की गई थी।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), मनरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति, डीबीटीएल, यूएन (ईपीएफओ), सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पासपोर्ट, सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति प्रणाली आदि सहित विभिन्न योजनाओं और पहलों को आधार से जोड़कर यूआईडीएआई को नई गति प्रदान की है।

यूआईडीएआई ने एक अरब (100 करोड़) आधार प्रदान किए

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 4 अप्रैल, 2016 को 100 करोड़ आधार कार्ड प्रदान करने का आंकड़ा छू लिया। 2010 में पहला आधार कार्ड जारी किए जाने के बाद महज साढ़े पांच साल में इस आंकड़े को छूना इस परियोजना के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। यह आंकड़ा सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक आधार (इसमें वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को लक्षित किया गया

है) अधिनियम, 2016 को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद आया है।

18 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों में आधार कवरेज अब 93 प्रतिशत (2015 की अनुमानित जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार) है।

अब तक 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आधार उपलब्धता 90 प्रतिशत को पार कर चुकी है। जबकि, 13 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह आंकड़ा 75-90 प्रतिशत के बीच है।

आधार की कुछ प्रमुख झलकियां

- 100 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड हैं
- भारत में 73.96 करोड़ (93 प्रतिशत) वयस्कों के पास आधार कार्ड हैं
- 22.25 करोड़ (67 प्रतिशत) 5-18 साल की उम्र के बच्चों के पास आधार है
- 2.30 करोड़ (20 प्रतिशत) 0-5 साल से कम उम्र के बच्चों के पास आधार कार्ड हैं
- प्रतिदिन 5-7 लाख से अधिक लोग आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं
- आधार अब दुनिया में सबसे बड़े ऑनलाइन डिजिटल मंच के तौर पर पहचान बना चुका है

आधार के लाभ

- डीबीटीएल (पहल)-14,672 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत
- पीडीएस - 4 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और दिल्ली) में 2,346 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत
- छात्रवृत्ति - 3 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब) में 276 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत
- पेंशन (एनएसएपी) - 3 राज्यों (झारखंड, चंडीगढ़ और पुडुचेरी) में 66 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत

आधार कार्ड का उपयोग

- 25.48 करोड़ बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े हैं
- 12.28 करोड़ (71 प्रतिशत) से अधिक एलपीजी कनेक्शन आधार कार्ड से जुड़े हैं
- 11.39 करोड़ (45 प्रतिशत) से अधिक राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हैं
- 5.90 करोड़ (60 प्रतिशत) से अधिक मनरेगा कार्ड आधार से जुड़े हैं

विकलांगजनः शारीरिक पुनर्वास व संस्थागत प्रयास

दीपक रंजन



विकलांगता के मसले को समझने के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, अधिकारों और उनके हित के बारे में सोचना जरूरी है। विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेक संस्थाएं विकलांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। यह संस्थाएं विकलांगजनों को चिकित्सीय एवं गैर-चिकित्सीय दोनों प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। विकलांगों के सामाजिक समावेशन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के महेनजर उम्मीद की जा सकती है कि विकलांगजनों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।

भा

रत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह विकलांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में विकलांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 2 करोड 68 लाख लोग किसी न किसी तरह की विकलांगता से पीड़ित थे। ऐसे में विकलांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य चिंताएं गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। सरकार के स्तर पर हालांकि इस दिशा में पहल की जा रही है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण में बदलाव और समाजिक संगठनों के सहयोग की सख्त दरकार है।

विकलांगता प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

कानूनी स्तर पर भी विकलांग व्यक्तियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, में ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के प्रावधान हैं। विकलांगजनों का अशक्तता के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है- दृष्टि विकलांग, अस्थि विकलांग (लोकोमोटर-विकलांगता), श्रवण विकलांग (बधिर और मूक) तथा उपचारित कुष्ठरोग है।

इसके अनुरूप ऑटिज्म, सेरीब्रल पॉल्सी, मानसिक मंदबुद्धि व बहुविकलांगता के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 में चारों वर्गों के कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु सहसंभव वातावरण के निर्माण का प्रावधान है। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992, पुनर्वास सेवाओं के लिए मानव-बल विकास का प्रयास करता है।

यूनिसेफ रपटः समानता की दरकार

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने कहा है कि अब भी भारी संख्या में ऐसे विकलांग बच्चे और किशोर हैं, जिन्हें समाज में तरह-तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें अलग-थलग रखा जाता है। बहुत से विकलांगों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं ऐसा होने से इन विकलांगों को अपना जीवन अच्छे तरीके से जीने का मौका नहीं मिल पाता, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी अपना भरपूर योगदान नहीं कर पाते हैं। दुनिया भर में बच्चों की स्थिति के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यूनिसेफ ने कहा है कि ज्यादातर देशों में विकलांग बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर ध्यान देना गैर-जरूरी समझा जाता है। इतना ही नहीं, विकलांग बच्चों के साथ हिंसा, उनका शोषण और उनकी अनदेखी करना भी आम बात है।

रिपोर्ट कहती है कि विकलांग बच्चों को सिर्फ दया का पात्र नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि उनके समान अधिकारों का सम्मान करते हुए ये भी समझा जाना चाहिए कि उन्हें भी जीवन जीने, अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाने,

लेखक संवाद समिति पीटीआई भाषा में वरिष्ठ संवाददाता हैं। स्वास्थ्य व सामाजिक विषयों पर लिखते रहते हैं। मरीजों पर किए जाने वाले दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल पर पुस्तक भी प्रकाशित। ईमेल: dipakranjan@rediffmail.com

पोषण, शिक्षा, अपने विचार रखने और कानून का संरक्षण हासिल करने का पूरा अधिकार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट चुनौती पेश करती है कि बच्चे को पहले बच्चे के रूप में ही देखा

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी विकलांग लोगों वे लिए समान मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा करना और इन्हें सुनिश्चित करना है, और विकलांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान का प्रचार करना है।

जाना चाहिए और उसकी विकलांगता को बाद में, “विकलांग बच्चों के भी सपने होते हैं और उनके अंदर उन सपनों को साकार करने का जज्बा और हौसला भी होता है।” यूनिसेफ ने सरकारों से अनुरोध किया है कि वे विकलांगों और बच्चों के अधिकारों से संबंधित संधियों को ना सिर्फ स्वीकार करें, बल्कि उन्हें लागू भी करें। साथ ही परिवारों को सहयोग और सहायता दें, ताकि वे विकलांग बच्चों की देखभाल ठीक से कर सकें।

पूरे विश्व भर में, विकलांग लोगों को मानवाधिकारों पर वही पहुंच प्राप्त नहीं है जो अन्य लोगों को है। विकलांगता समझौता एक विश्वव्यापी मानवाधिकार समझौता है। यह विकलांग लोगों के मानवाधिकारों को स्पष्ट करता है। यह समझौता विकलांग लोगों को नए मानवाधिकार नहीं देता है बल्कि यह इस बात को स्पष्ट करता है कि उनके अधिकार भी वही हैं जो हर किसी के हैं। यह सरकारों को बताता है कि बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जाना चाहिए और किस प्रकार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग लोगों को उनके अधिकारों तक पहुंच प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा करना और इन्हें सुनिश्चित करना है, और विकलांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान का प्रचार करना है।

लक्षित उपचार

विकलांगता की आरंभिक पहचान व दवा या गैर-दवा उपचारों के जरिए इसकी

चिकित्सा से रोगों की गंभीरता को कम करने में मदद मिलती है। अतः आरंभिक पहचान तथा आरंभिक उपचार के साथ आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सरकार खासकर ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए सूचना का प्रसार कर रही है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण इसमें कठिनाइयां पेश आ रही हैं।

विकलांगों की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके शारीरिक पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। इसमें परामर्श, विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों की क्षमता को सुदृढ़ करना, मनोचिकित्सा, फीजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, सर्जिकल सुधार, उपचार, दृष्टि मूल्यांकन, दृष्टि उत्तेजन, स्पीच थेरेपी प्रदान करने की पहल के साथ विशेष शिक्षा मुहैया करना शामिल है। इन्हें राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों व विकलांगों के माता-पिता के जरिए सभी जिलों तक प्रसारित किया जा रहा है।

यांत्रिक मदद

भारत सरकार विकलांगों को आईएसआई प्रमाणित टिकाऊ तथा वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक यंत्र व उपकरण की खरीद के लिए सहायता देती रही है, जिससे उनके शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक निर्भरता को कम करते हुए विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सके। राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों, डीडीआरसी व गैर-सरकारी संगठनों के जरिए हर साल विकलांगों को प्रोस्थेसिस तथा ऑर्थोसेस, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, सर्जिकल फुटवेयर व दैनिक जीवन में काम आने वाले व सीखने वाले यंत्र (ब्रेल लेखन यंत्र, डिक्टाफोन, सीडी प्लेयर/टेप रिकॉर्डर), लो विजन यंत्र, चलने-फिरने के लिए विशेष यंत्र- जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए छड़ी, श्रवण यंत्र, शैक्षणिक किट्स, बातचीत करने वाले यंत्र, मदद करने और अलर्ट करने वाले यंत्र और ऐसे यंत्र जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं। इन उपकरणों की उपलब्धता को सभी क्षेत्रों और जरूरतमंदों तक विस्तार करने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए हाइटेक सहायक यंत्रों के निर्माण में शामिल निजी,

सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की पहल की जा रही है। देश में विकलांगों की संख्या में विकलांग महिलाओं की आबादी का 42.46% हिस्सा है। विकलांग महिलाओं को शोषण व दुर्व्यवहार से बचाने की सख्त जरूरत है। विकलांग महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य अन्य पुनर्वास सेवाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाना जरूरी है और सरकार के स्तर पर इस दिशा में पहल भी हो रही है।

इसके साथ ही विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है। परित्यक्त विकलांग महिलाओं/लड़कियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां परिवारों द्वारा उन्हें स्वीकार करने, उनके निवास में मदद करने और लाभप्रद रोजगार योग्यताओं को हासिल कराने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार उन परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही जहां विकलांग महिलाओं के प्रतिनिधि को कम से कम कुल लाभ का 25% तक प्रदान किया जा सके। केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत अभियान भी शुरू किया है जिसके तहत विभिन्न इमारतों एवं प्रतिष्ठानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधान विकसित करने की बात कही गई है।

विकलांगों की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके शारीरिक पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। इसमें परामर्श, विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों की क्षमता को सुदृढ़ करना, मनोचिकित्सा, फीजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, सर्जिकल सुधार, उपचार, दृष्टि मूल्यांकन, दृष्टि उत्तेजन, स्पीच थेरेपी प्रदान करने की पहल के साथ विशेष शिक्षा मुहैया कराना शामिल है।

विकलांग कल्याण को समर्पित स्वास्थ्य अवसंरचनाएं

विकलांगों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के अलावा स्वास्थ्य चिंताओं पर संरचना का विकास करने की पहल की गई है। इस उद्देश्य के लिए सात राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें शारीरिक विकलांग संस्थान,

नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, कटक, राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई शामिल हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर

विकलांग व्यक्तियों के लिए हाइटेक सहायक यंत्रों के निर्माण में शामिल निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र के उपकरणों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की पहल की जा रही है।

पर पांच संयुक्त पुनर्वास केंद्र, चार पुनर्वास केंद्र तथा 120 विकलांग पुनर्वास केंद्र हैं, जो लोगों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐश्वर्या प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों की समानता व पूर्ण भागीदारी की घोषणा-पत्र का एक सदस्य भारत भी है। भारत एक समावेशिक, अवरोध मुक्त तथा अधिकार आधारित समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास करने के लिए बिवाको सहस्राब्दी ढांचा का भी सदस्य है। मौजूदा समय में भारत राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा व समर्थन घोषणा-पत्र में भाग ले रहा है। ऐसी प्रमुख संस्थाओं का विवरण हम आगे दे रहे हैं।

ऑटिज्म, मस्तिष्काघात, मंदबुद्धिता और बहुविकलांगजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

इस राष्ट्रीय न्यास का मूल उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को यथा संभव स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में सक्षम और सशक्त करने, आवश्यकता आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया विकसित करना है। भारत सरकार ने इस न्यास कोष को 100 करोड़ रुपये की राशि से शुरू की। इस कोष से अर्जित आय को इसके कार्यक्रम के क्रियान्वयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केंद्र राष्ट्रीय न्यास को अपने कार्यक्रम, कार्यान्वयन करने, सूचना का प्रसार करने और माता-पिता और पेशेवरों को प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाने हेतु राज्य स्तर पर समन्वय सहायता प्रदान करते

हैं। यह एक सूचना केंद्र, सहायक, परियोजना मंटर, प्रशिक्षण केंद्र, एलएलसी क्रियान्वयक और नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको)

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको) कानपुर में स्थित है, जो कृत्रिम अंगों, सहयंत्रों और उनके घटकों का निर्माण करती है और विकलांग जनों, अस्पतालों और अन्य पुनर्वास संस्थाओं को वहनीय लागत पर उनकी उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण का संवर्धन करता है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों, इसके भागों और पुनर्वास उपकरणों का सबसे बड़ा विनिर्माण है। इसके उत्पादों में ऑर्थोसेस, प्रौस्थेसिस कृत्रिम अंग ऊपरी और नीचे की एक्सट्रिमिटिज, रीढ़ हड्डी ब्रेसिज, ट्रक्सनिकिट, ब्लील चेरय, बैसाखी, तीन पहिया वाहन और विशेष उपकरणों और अंग फिटिंग केंद्र द्वारा ऑर्थोथेटिक एसेंबली धारण करने के लिए आवश्यक फिटिंग सेंटर आदि शामिल हैं।

एलिमको के उत्पाद देश भर में भुवनेश्वर, जबलपुर और बांगलोर स्थित इसके वितरण केंद्रों, डीलर नेटवर्क राष्ट्रीय संस्थान, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। एलिमको को भारत सरकार के साथ अमेरिका, ब्रिटेन स्वीडेन, स्विटजरलैंड और जर्मनी के सरकार के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त गिट कार्गों की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाने का भी कार्य सौंपा गया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय धारा 57 के तहत स्थापित किया गया है। विकलांग (समान अवसर, अधिकारों एवं पूर्ण भागीदारी के संरक्षण) अधिनियम, 1995 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान (आईपीएच)

नई दिल्ली स्थित यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसे अशक्त एवं विकलांग व्यक्तियों की सोसाइटी द्वारा वर्ष 1960 में एक गैर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में इस संस्थान का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में लिया और वर्ष 1976 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसे पंजीकृत किया गया। इस संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य चलन विकलांगताओं (लोकोमोटर डिसेबिलिटी) से ग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करना है। विभिन्न अपंगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कष्ट को कम करने तथा फिजियोथेरेपी व्यावसायिक थेरेपी, प्रौस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए यह संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा, इसके पास ऐसे सहायक उपकरणों और उपस्करणों के विनिर्माण और वितरण की सुविधा है जो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, (एनआईएमएच) सिकंदराबाद

यह संस्थान वर्ष 1984 में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक के तहत एक स्वायत्त निकाय के

एलिमको को भारत सरकार के साथ अमेरिका, ब्रिटेन स्वीडेन, स्विटजरलैंड और जर्मनी के सरकार के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त गिट कार्गों की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाने का भी कार्य सौंपा गया है।

रूप में पंजीकृत किया गया था। इस संस्थान की स्थापना जीवन चक्र की जरूरतों पर आधारित गुणवत्तायुक्त पुनर्वास मॉडलों के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए सुसज्जित मानव संसाधन तैयार करने के प्रयोजन से किया गया था। यह संस्थान मानसिक मंदता, समुदाय आधारित पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान, आरंभिक अंतर्क्रृशेष और पुनर्वास मनोविज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम संचालित करता है। विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के महेनजर, संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करता है।

राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (एनआईवीएच), देहरादून

इस संस्थान को जुलाई 1979 में राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान के रूप में उन्नयन किया गया था। इसे अक्टूबर 1982 में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक

सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भारतीय स्पाइनल इंज्यूरी केंद्र (आईएसआईसी) मेरुदंड को नुकसान और इससे संबंधित बीमारी वाले मरीजों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। इनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के रूप में स्थिरीकरण शल्य क्रिया, शारीरिक पुनर्वास, शारीरिक सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं।

स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षकों और पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देना अथवा प्रायोजित करना और जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी में अनुसंधान करवाना, प्रायोजित करना, समन्वय करना अथवा आर्थिक सहायता देना, जिससे विशेष उपकरणों/यंत्रों अथवा उपयुक्त नए विशेष उपकरणों/यंत्रों का प्रभावी मूल्यांकन हो सके। संस्थान का मानव संसाधन विकास कार्यकलापों में विशेष शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम हैं। क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों और सेवा प्रदाताओं के लिए अनुकूलन और गतिशीलता, रिपेशर या अनुकूलन पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा शामिल हैं।

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान वर्ष 1978 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह अप्रैल 1982 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 पंजीकृत हुआ था। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच),

लोको मोटर, दृश्य, वाक, सीखने और मानसिक मंदता जैसी विकलांगता विशिष्ट क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देशभर में विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में सेवा देने के प्रयोजन से स्थापित किया गया था। संस्थान पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने को कार्य कर रहा है। इस प्रकार यह लोको मोटर विकलांग व्यक्तियों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति विकसित करता है। यह संस्थान लोको मोटर विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ समय पर और विशेष शल्य हस्तक्षेप और अन्य उपचारात्मक सेवाओं के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनशक्ति और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने वाला एक शीर्ष संगठन है।

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (निरटार), कटक

यह मूल रूप से एलिमिको, कानपुर की एक अनुबद्ध इकाई के रूप में शुरू हुआ था। यह वर्ष 1984 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस संस्थान का लक्ष्य और उद्देश्य मानव संसाधन विकास, सेवा प्रदायणी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम चलाना है। यह पुनर्वास कार्मिकों के प्रशिक्षण का प्रयोजन और समन्वयन करता है और अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए जैव-चिकित्सीय इंजीनियरिंग और सर्जिकल अथवा मेडिकल विषयों पर अनुसंधान करता है। संस्थान सहायक यंत्र एवं उपकरण का उत्पादन और वितरण करता है। यह विकलांग व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, नियोजन और पुनर्वास भी करता है।

राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) चेन्नई

सरकार ने इस नए संस्थान को 61.90 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से स्थापित किया है, जिसमें भूमि की लागत 39.20 करोड़ रुपये है (अनुमानित), गैर आवर्ती खर्च 18.10 करोड़ रुपये और 4.60 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय शामिल है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस संस्थान के लिए भूमि दी है। भारत सरकार संस्थान के भवन और अन्य

कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। संस्थान ने जुलाई 2005 से नैदानिक सेवाएं और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू की हैं।

भारतीय स्पाइनल इंज्यूरी केंद्र

सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भारतीय स्पाइनल इंज्यूरी केंद्र (आईएसआईसी) मेरुदंड को नुकसान और इससे संबंधित बीमारी वाले मरीजों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। इनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के रूप में स्थिरीकरण शल्य क्रिया, शारीरिक पुनर्वास, शारीरिक सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। मुफ्त ओपीडी और शुल्क वाले ओपीडी मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के बीच भारत के मरीजों के अलावा यह केंद्र विदेशों से भी मरीजों को आकर्षित करता है। इनमें 30 बिस्तरों को गरीब और जरूरतमंद वर्ग के मरीजों की चिकित्सा के लिए सुरक्षित रखा गया है और इनमें 25 बिस्तरों के लिए मंत्रालय सहायता करता है, जबकि शेष 5 बिस्तरों का खर्च यह केंद्र स्वयं ही बहन करता है। यह संस्थान अच्छे परिणामों के साथ जटिल शल्य क्रियाओं का निष्पादन करता है। इस केंद्र पर अनुसंधान सुविधा बढ़ाने के अपने प्रयासों में, आईएसआईसी ने राष्ट्रीय विकलांगता पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, अमेरिका (एनआईईपीआरआर) के साथ सहयोग समझौता किया है। इस केंद्र का भवन विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित है।

वर्तमान में पुनर्वास सेवाएं मुख्यतः शहरी और उसके आस-पास के इलाकों में उपलब्ध हैं। चूंकि 75 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, पेशेवरों द्वारा चलाई जा रही सेवाओं को ऐसे अछूते इलाकों तक पहुंचाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। निजी पुनर्वास सेवा केंद्रों को एक न्यूनतम मानकों के अनुपालन के लिए नियंत्रित किया जा रहा है।

सुविधाओं का क्षेत्रीय वितरण

वर्तमान में पुनर्वास सेवाएं मुख्यतः शहरी और उसके आस-पास के इलाकों में उपलब्ध हैं। चूंकि 75 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, पेशेवरों द्वारा चलाई जा रही

जा रही सेवाओं को ऐसे अछूते इलाकों तक पहुंचाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। निजी पुनर्वास सेवा केंद्रों को एक न्यूनतम मानकों के अनुपालन के लिए नियंत्रित किया जा रहा है। ग्रामीण तथा अछूते इलाकों में दायरे में लाने के लिए नए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने आदि का कार्य राज्य सरकार की सहायता से पूरी की जाती है।

अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता—“आशा” के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ देखभाल एवं कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलती है। इसमें खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। मूल स्तर पर “आशा” के जरिए विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक सेवाओं की देखभाल करने का काम किया जाता है।

विकलांगजनों को सामाजिक समानता के अन्य संस्थागत द्वारा किए जा रहे प्रयास

विकलांगता के मसले को समझने के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, अधिकारों और उनके हित के बारे में सोचना जरूरी है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने विकलांगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड के देहरादून में दृष्टिबाधियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में मानसिक विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में श्रव्य बाधितों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के चार संस्थानों की स्थापना की है।

राष्ट्रीय स्तर के चार संस्थानों के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने

विकलांगजन अधिकार विधेयक व जॉब पोर्टल

विकलांगजनों के अधिकार विधेयक, 2014 का मसौदा तैयार कर लिया गया है और संसद के पटल पर रखने से पहले इस पर सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। केंद्र सरकार में विकलांगजनों के लिए निर्धारित रिक्त पदों को भरने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया है 12,786 रिक्त पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। विकलांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के पूरी तरह से इलाज के लिए तीन राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। ये तीन संस्थान इस प्रकार हैं—कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज और तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के थरमनि में स्थित सेंट्रल लेपर्सी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।

सभी मानव अधिकारों में विकलांगजनों की पूरी और प्रभावकारी सहभागिता की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता एक अंतरराष्ट्रीय नीति संरचना प्रदान करती है। 2006 में विकलांगजनों के अधिकार पर हाल के एक समझौते के जरिए इसे और मजबूत किया गया है। भारत ने 30 मार्च, 2007 को संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार विकलांगजनों सहित सभी के लिए पूरी सहभागिता, अधिकारों की रक्षा और समान अवसर को देने के प्रति वचनबद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में भी विकलांगजनों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है।

समस्याग्रस्त लोगों के हितों के लिए काम करने के मामले में सरकार का रखेया सके।

लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है जिसमें अगले 3 साल के भीतर 5 लाख कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकलांगजनों को रोजगार में मदद देने के लिए एक जॉब पोर्टल शुरू किया गया है जो सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांगजनों के लिए उपलब्ध विभिन्न नौकरियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा और बेरोजगार कुशल और अर्द्ध कुशल दिव्यांगों के रोजगार नियुक्ति में मदद करेगा।

सकारात्मक रहा है। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम (1995) को लागू करना, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण (2006) तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांगों के लिए अधिकार सभा का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर (2007) जैसे कदम अलग तरह से सक्षम इन लोगों को सम्मान और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। सरकार इन दिनों विकलांग व्यक्ति अधिनियम में व्यापक परिवर्तन कर इसे अधिक समग्र और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाने के लिए प्रयासरत है।


केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 24 नवंबर 2015 को नेशनल ट्रस्ट के तहत शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के हित में 10 नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसके अलावा, शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के लिए विकलांगता श्रेणी की संख्या सात से बढ़ा कर 19 तक करने की घोषणा की गई। ताकि सरकार इन घोषणाओं को नई पहल के दायरे में ले सके। □

योजना आगामी अंक

जून 2016

भारत की नयी उड़ान

साथ ही विश्व योग दिवस पर विशेष सामग्री



I
A
S

सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की विश्वसनीय संस्था

P
C
S

आस्था IAS

कक्षा के साथ भी, कक्षा के बाद भी आपके साथ

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक एवं फाउंडेशन पाठ्यक्रम)



R. Kumar

कक्षा की विशेषताएं

- आधुनिक तकनीक के साथ नियमित कक्षा
- अद्यतन एवं परीक्षोपयोगी अध्ययन सामग्री
- प्रत्येक कक्षा की विडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध

नया बैच 26 05
प्रारम्भ April May

विख्यात विशेषज्ञों के साथ
न्यूनतम शुल्क पर कोचिंग सुविधा

★ अर्थव्यवस्था	आर. कुमार
★ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	आर. कुमार
★ राजव्यवस्था, गवर्नेंस, एथिक्स	राजीव रंजन सिंह
★ सामाजिक मुद्दे एवं न्याय	पंकज मिश्रा
भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	सुबोध मिश्रा
★ इतिहास एवं कला संस्कृति	डॉ. संजय सिंह
★ आंतरिक सुरक्षा	डॉ. एस. आर. सिंह
★ अंतराष्ट्रीय संबंध	आर. कुमार, निपुण आलम्बायन
एवं अन्य ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ... आपकी सफलता, हमारा संकल्प...	आपकी सफलता, हमारा संकल्प...

आवासीय सुविधा, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं घर बैठे ऑनलाइन क्लासरूम सुविधा उपलब्ध

M-1A Jyoti Bhawan, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
9540038080, 9810664003, 8800233080

अप्रयुक्त मानव संसाधनः अपार संभावनाएं

स्मिता सिंहा



हरेक मानव एक संसाधन है।
अतः विकलांगता की वजह से
अगर कोई व्यक्ति अर्थव्यवस्था
की समृद्धि के लिए अपना
योगदान नहीं कर पाए तो यह
सीधा-सीधा उस अर्थव्यवस्था
व संबंधित समाज का नुकसान
है। विकलांगजनों की अपर्याप्त
नियोजनीयता के कारण भारत
को हर वर्ष अरबों रुपये का
नुकसान उठाना पड़ता है। अगर
उन्हें समान अवसर मिल सकें
और उत्पादक कार्यों में उनकी
संलग्नता बढ़े तो निश्चित
रूप से देश की आय व अन्य
तरह की समृद्धि में महत्वपूर्ण
बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी

वि

शब्द स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता एक परिणामी शब्द है, जिसमें हम क्षीणता, गतिविधियों की सीमा और भागीदारी सीमाओं को पैमाने के रूप में रखते हैं। वस्तुतः विकलांगता एक जटिल कार्यप्रणाली है, जो एक व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और समाज में जीवनयापन की क्रिया को दर्शाती है।

एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में तकरीबन एक अरब विकलांग लोग हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 15 फीसदी है। यह वह वर्ग है, जिसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग आर्थिक विकास के लिए नहीं हो सका है। कम से कम अठहत्तर करोड़ (780 मिलियन) आबादी ऐसी है जो शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं से लगातार जूँझ रही है। इस बात के प्रमाण हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांगता के शिकार व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और इसके पीछे के तमाम वजहें हैं जिन्हें खत्म करने की पुरजोर कोशिशों की जा रही हैं। भारत में लगभग 3 करोड़ आबादी विकलांग है (तालिका 1) और लगभग हर जगह उन्हें उपेक्षा व शोषण का शिकार होना पड़ रहा है।

तालिका 1: भारत की विकलांग जनसंख्या (2001-11)

निवास क्षेत्र	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति
ग्रामीण	1,04,08,168	82,23,753	1,86,31,921
शहरी	45,78,034	36,00,602	81,78,636
कुल	1,49,86,202	1,18,24,355	2,68,10,557

स्रोत: जनगणना 2011

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। पूर्व में दैनिक हिंदुस्तान व नवभारत टाइम्स समेत कई पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 15 वर्ष काम कर चुकी हैं। एसोसिएट एमबीए फैकल्टी के तौर पर विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी किया है। ईमेल: smita_anup@yahoo.com

रोजगार क्षेत्र में श्रमिकों के पलायन की एक बहुत बड़ी वजह है शारीरिक विकलांगता। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में अपनी संभावनाओं को योगदान में नहीं बदल पाया है (तालिका 2)। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार विकलांग आबादी में से लगभग अधे लोग भी नियमित रोजगार हासिल नहीं कर पाते हैं। इनका विस्तृत विवरण तालिका 2 में देखा जा सकता है।

तालिका 2: कर्मशील विकलांगजन

कार्य	संख्या (%)
स्वतंत्र श्रमिक	29.12
घरेलू कामों में श्रमिक	9.76
अन्य कार्यों में श्रमिक	3.55
पेंशनर	3.53
भीख मांगने जैसे काम	0.26
रेटियर	0.14

स्रोत: जनगणना 2011

विकलांगता की आर्थिक कीमत

पिछले कुछ वर्षों में भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक देश के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा है। न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद के साथ आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत का नाम विश्व के शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा। वर्ल्ड बैंक के

अनुसार, 2015-16 में 7.6 प्रतिशत विकास दर के साथ भारत पहले स्थान पर रहा और 2016-17 में यह विकास दर 7.7-8.4 होने की संभावना जताई जा रही है।

भारत के पास विश्व का सबसे तेज विकसित होता हुआ सेवा क्षेत्र है, जिसकी वार्षिक विकास दर 2001 में 9 प्रतिशत दर्ज की गई। 2012-13 के सकल घरेलू उत्पाद में यह आंकड़ा 57 प्रतिशत सर्विस, बीपीओ सर्विस और सॉफ्टवेयर सर्विस का महत्वपूर्ण निर्यातक बन चुका है, जिसकी कुल कीमत 167.0 बिलियन डॉलर आंकी जा रही है। इन क्षेत्रों में विकलांग श्रमिक रोजगार की दृष्टि से 3.55 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। घरेलू एवं लघु उद्योगों में क्रमशः 9.76 प्रतिशत एवं 29.12 प्रतिशत विकलांग श्रमिक कार्यरत हैं (देखें तालिका 2)।

ये कुछ क्षेत्र न सिर्फ भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के महत्वपूर्ण संवाहक हैं, अपितु विदेशी निवेश प्रवाह को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रमिकों के एक बहुत बड़े वर्ग के निर्यातक के रूप में भी भारत उभरा है। भारत का सर्विस सेक्टर तकनीकी क्रियाकलापों के अलावा व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल स्टेट बिजनेस सर्विस, कम्प्युनिटी, सोशल एवं पर्सनल सर्विसेज एवं कंस्ट्रक्शन से संबंधित सर्विस के लिए भी जाना जाता रहा है।

ये वो क्षेत्र हैं, जिनमें विकलांगों की भागीदारी मायने रखती है और जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी दे सकते हैं।

वास्तविकता यह है कि विकलांगजनों के अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी कम या खत्म करने से आर्थिक उत्पादन में कमी आती है। इस तरह से जिस अनुपात में आर्थिक उत्पादन कम होता है, उसी अनुपात में विकलांगों पर होने वाले कुल आर्थिक खर्च/व्यय का ग्राफ ऊपर चढ़ता है। विकलांगता के आर्थिक व्यय का

अनुमान करके इसे अन्य विकलांग क्रियाकलापों में जोड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं होगा क्योंकि विकलांग क्रियाकलाप एक आर्थिक प्रक्रिया है, जो अन्य आर्थिक कार्यक्रमों की तरह आर्थिक उत्पादन और आय को बनाता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट डिसेबलिटी एंड डेवलपमेंट (राबर्ट मेट्रो) के आंकड़ों के मुताबिक, विकलांगता के कारण भारत लगभग 45,963,918,000 डॉलर उच्च जीडीपी घाटा तथा 35,285,432,000 डॉलर निम्न जीडीपी घाटा प्रतिवर्ष उठा रहा है (तालिका 3)। यह आंकड़ा कुल जीडीपी के 7-8 प्रतिशत है। निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा औसतन 10-11 प्रतिशत है। इस घाटे का सीधा संबंध विकलांगजनों के उत्पादक कार्यों से दूर होने

विकलांगता पर होने वाले खर्चों को एक आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है और उनकी यह सोच इस तथ्य की उपज है कि विकलांगों पर होने वाले इस तरह के व्यय पारंपरिक तौर पर सरकारी बजट से आते हैं, जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बोझ करदाताओं को ही उठाना पड़ता है।

से है। अगर विकलांगजनों के रोजगार अवसरों को संबंधित किया जाए तो यह घाटा कम कर देश की आर्थिक समृद्धि में नया अध्याय जोड़ा जा सकता है।

हालांकि, विकलांगता पर होने वाले खर्चों को एक आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है और यह सोच इस तथ्य की उपज है कि विकलांगों पर होने वाले इस तरह के व्यय पारंपरिक तौर पर सरकारी बजट से आते हैं, जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बोझ करदाताओं को ही उठाना पड़ता है। बावजूद इसके एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उन अप्रयुक्त विकलांगों को रोजगार की मुख्य धारा में लाया जाए और उनकी योग्यता

व क्षमता को पूरी तरह से मापा जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में विकलांग सशक्तीकरण एक बहुत बड़ी ठोस युक्ति बन सकती है। विश्व अर्थव्यवस्था में भी विकलांगों की भूमिका व हिस्सेदारी कई मायनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस पक्ष में कई पहल शुरू हो चुकी हैं। जरूरत है एक सही योजना, सही दिशा-निर्देश और ठोस क्रियान्वयन की।

विकलांगजन: रोजगार का क्षेत्रीय वितरण

विकलांग एवं सामान्य रोजगार के क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो 2000 के दशक प्रारंभिक के आंकड़ों के मुताबिक विकलांगों की कुल संख्या का 54.9 प्रतिशत कृषि संबंधित क्षेत्रों में संलग्न था, जबकि सामान्य वर्ग में 59.2 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त था। मैन्यूफैक्चरिंग एवं माइनिंग में 12.8 प्रतिशत विकलांगों को रोजगार मिला था, जबकि सामान्य वर्ग 11.4 प्रतिशत की भागीदारी दे रहा था। यूटिलिटी एवं कंस्ट्रक्शन में 0.3 प्रतिशत एवं 4.2 प्रतिशत विकलांग श्रमिक काम कर रहे थे और सामान्य वर्ग में यह प्रतिशत 0.31 एवं 4.8 प्रतिशत था।

ट्रेड/हॉस्पीटलिटी में विकलांगों का आंकड़ा 14.1 प्रतिशत रहा, जबकि सामान्य वर्ग 10.4 प्रतिशत की भागीदारी देता रहा। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्प्यूनिकेशन के क्षेत्र में विकलांग श्रमिकों की भागीदारी 3.5 प्रतिशत रही और सामान्य वर्ग 3.9 प्रतिशत के साथ उपस्थित रहा। फाइनेंशियल/बिजनेस/इंडस्ट्री के क्षेत्र में विकलांगों के प्रतिशतता 1.2 प्रतिशत रही और सामान्य रोजगार 1.3 प्रतिशत रहा। कम्प्यूनिटी/सोशल/पर्सनल सर्विसेज में विकलांग रोजगार 8.0 प्रतिशत तथा सामान्य रोजगार 8.3 प्रतिशत का रहा। इन सबके अलावा अन्य कार्यक्षेत्रों में 1.0 प्रतिशत विकलांग रोजगार एवं 0.4 प्रतिशत सामान्य रोजगार दर्ज हुआ (देखें तालिका 4 पृष्ठ 49 पर)।

तालिका 3: विकलांगता के कारण कुल वार्षिक सकल घरेलू उत्पादक में होने वाला नुकसान (डॉलर में)

इकाई	सकल घरेलू उत्पाद (कुल)	विकलांगता से स.घ.उ. घाटे का निम्न अनुमान	कुल स.घ.उ. प्रतिशत	विकलांगता से स.घ.उ. घाटे का उच्च अनुमान	कुल स.घ.उ. का प्रतिशत
उच्च आय देश	25,667,210,000,000	1,224,014,055,600	4.77	1,594,439,361,900	6.21
मध्यम आय देश	5,147,735,000,000	377,700,686,120	7.34	492,004,841,130	9.56
निम्न आय देश	1,174,372,000,000	110,495,236,440	9.41	143,934,584,310	12.26
भारत*	510,200,000,000	35,285,432,000	6.916	4,596,3918,000	9.003
कुल	\$31,987,317,000,000	\$1,712,209,978,160	5.35 प्रतिशत	2,230,378,787,340	6.97 प्रतिशत

* वर्ष 2003 के आंकड़े

स्रोत: <http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/280658-1172606907476/mettsBGpaper.pdf>

संरक्षणात्मक उपाय:

विकलांगजनों के लिए आरक्षित पद

विकलांगों की सुरक्षा एवं रोजगार में पूर्ण भागीदारी के महेनजर सरकारी महकमों में उन्हें 3.54 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के समूह क, ख, ग एवं घ में क्रमशः 3.11 प्रतिशत, 4.41 प्रतिशत, 3.76 प्रतिशत एवं 3.18 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। संचारात्मक तौर पर देखें तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए लगभग 2,698, 762 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से 281, 398 पद विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। (तालिका 5)

इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में विकलांगों के लिए 5.63 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। समूह क, ख, ग एवं घ में क्रमशः 2.78 प्रतिशत, 8.54 प्रतिशत, 5.04 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। संचारात्मक दृष्टिकोण से सार्वजनिक उपक्रमों में कुल 1,828,531 पद रोजगार के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से 178, 998 पद विकलांगों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। कुल मिलाकर सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार के 4,527,293 पद मोटे तौर पर उपलब्ध हैं, जिनमें से 460,396 पदों को विकलांगों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

सुगम्यता संबंधी प्रश्न

वैश्वीकरण के इस दौर में गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए विकलांगता

तालिका 4: विकलांग एवं सामान्य रोजगार का क्षेत्रीय वितरण

रोजगार क्षेत्र	2000 का दशक (प्रारंभिक)		1990 का दशक (प्रारंभिक)	
	विकलांग	सामान्य	विकलांग	सामान्य
कृषि संबंधित	54.9	59.2	49.8	61.7
मैन्यूफैक्चरिंग व खनन	12.8	11.4	11.7	11.6
यूटिलिटी	0.3	0.3	0.9	3.6
कंस्ट्रक्शन	4.2	4.8	2.5	3.6
ट्रेड/हाँस्पीटलिटी	14.1	10.4	10.3	8.0
ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्प्यूनिकेशन	3.5	3.9	2.7	3.3
फाइनेंशियल/बिजनेस/इंडस्ट्री	1.2	1.3	1.5	1.1
कम्प्यूनिटी/सोशल/पर्सनल सर्विसेज	8.0	8.3	13.9	10.3
अन्य	1.0	0.4	6.7	3.1

स्रोत: मित्रा एवं सांबा मूरत (एनएसएसओ के 47वें, 50वें, 55वें व 58वें दौर के अंकड़ों के आधार पर) के भारतीय मानकों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। जरूरत है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लिए डिजाइन, मार्गदर्शन एवं 'पहुंच' मानक को कार्यान्वित किया जाए और उस पर निगरानी करने के लिए विकासात्मक कार्रवाई की जाए।

विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों के लिए स्टेशनों, हवाई अड्डों पर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो मानक के अनुरूप हों। जैसे टॉयलेट, विशेष ऊंचाई पर टिकट काउंटर, सांकेतिक भाषा के दुधाषिए, ब्रेल नेवीगेशन, गाइड मैप आदि। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार

के परिवहन की उपलब्धता जो डिजाइन के मानकों के अनुरूप हों।

सूचना एवं संचार तकनीक की पहुंच भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है, जिसपर आवश्यक विमर्श की जरूरत है। सभी प्रकार के विषय सामग्रियों जैसे प्रकाशन, पत्र-पत्रिकाएं, मल्टीमीडिया आदि विकलांग व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध होने चाहिए तथा पाठ्यपुस्तकों सहित सभी शैक्षिक सामग्रियों को पहुंच योग्य (पठनीय) प्रारूप में उपलब्ध होनी चाहिए। उपभोक्ता सेवा देने वाली सभी सरकारी तथा निजी वेबसाइट सर्वाधिक आधुनिक वर्ल्डवाइड वेब कंसोर्टियम के मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

आउटपुट रूपांतर में ऐसे रूपांतर होने चाहिए जिनसे कि विकलांग व्यक्तियों को कार्य करने में उतना ही लचीलापन और आराम प्राप्त हो जितना किसी साधारण व्यक्ति को प्राप्त है। इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, श्रवण दृश्य सामग्री, श्रवण योग्य एवं पठनीय विवरण, ब्रेल, ई-टिकट्स डेजी फॉरमेट सहित डिजिटल कॉपी के अनुकूल सहायक तकनीक तथा नवीन ब्रेल, बड़े प्रिंट, अलग-अलग प्रकार के प्रारूप साइज एवं सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध होने चाहिए।

कुल मिलाकर 'पहुंच' किसी उत्पाद एवं संरचना के डिजाइन, तकनीक सेवा एवं कार्य करने के लिए अनुकूल जगह के रूप में संदर्भित होता है। □

तालिका 5: विकलांगों के लिए आरक्षित पद

	समूह	सुजित पद	विकलांगों के लिए आरक्षित	पदस्थापित विकलांग	प्रतिशत विक्तियां	भरे गए पद
संतानात्मक विभाग*	क	57,643	4,305	134	3.11%	0.25%
	ख	73,851	4,652	205	4.41%	0.28%
	ग	1,607,243	167,863	6,307	3.76%	0.39%
	घ	960,025	104,578	3,329	3.18%	0.35%
सार्वजनिक उपक्रम [#]	कुल	2,698,762	281,398	9,975	3.54%	0.37%
	क	204,127	18,244	508	2.78%	0.25%
	ख	175,159	14,350	1,226	8.54%	0.70%
	ग	1,013,917	89,789	4,525	5.04%	0.45%
	घ	435,328	56,615	3,819	6.75%	0.88%
	कुल	1,828,531	178,998	10,078	5.63%	0.55%
	कुल योग	4,527,293	460,396	20,053	4.36%	0.44%


* 59 मंत्रालयों व विभागों का आंकड़ा जनवरी 2000 के अनुसार

237 सार्वजनिक उपक्रमों का आंकड़ा जुलाई 2002 के अनुसार

स्रोत: <http://web.worldbank.org/archive/website01291/WEB/IMAGES/CHAPTER-5.PDF>

सिविल सेवा परीक्षा 2016


हेतु उपयोगी पुस्तकें



ISBN: 9781259064166



ISBN: 9789385880179



ISBN: 9789339222734




ISBN: 9789339204204

राज्य लोक सेवा
की परीक्षाओं के लिए
भी महत्वपूर्ण




ISBN: 9789339217754



ISBN: 9780071329477




ISBN: 9789339222710




ISBN: 9789339220358


अन्य उपयोगी पुस्तकें




ISBN: 9789332901780



ISBN: 9781259003752



ISBN: 9789332901186



ISBN: 9789385965951


शीघ्र
प्रकाशित




ISBN: 9789339220341



ISBN: 9780070660328



ISBN: 9789339219079



ISBN: 9789352601844

*Prices are subject to change without prior notice.



विकलांग खिलाड़ी: सहानुभूति के साथ समर्थन भी जरूरी

धर्मेंद्र मोहन पंत



विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय, महाद्वीपीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किये जाने से उनके लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन विकलांग खिलाड़ियों के साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें सहानुभूति तो मिल जाती है, लेकिन समर्थन और सम्मान नहीं। उन्हें वह श्रेय नहीं मिलता है जिसके बे हकदार होते हैं। वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर खिलाड़ियों की तरह हिस्सा लेते हैं, लेकिन मीडिया से लेकर सरकारें तक उनकी अनदेखी करती रही हैं।

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। संप्रति संवाद समिति पीटीआई भाषा में वरिष्ठ संवाददाता हैं। लगभग दो दशक से खेल जगत की रिपोर्टिंग के अलावा पुस्तकें भी लिखी हैं। ईमेल: dmpant@gmail.com

अ

रुणिमा सिन्हा ने 11 अप्रैल 2011 को रेल यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में अपने दोनों पांव गंवा दिए थे। राष्ट्रीय स्तर की इस वॉलीबॉल खिलाड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जब्जे, प्रतिबद्धता और समर्पण के दम पर दो साल बाद 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माऊंट एवरेस्ट पर नकली पैरों के सहारे पहुंचने वाली दुनिया की पहली ऐसी महिला पर्वतारोही बन गई।

दवेंद्र झाझड़िया ने आठ साल की उम्र में अपना बायां हाथ गंवा दिया था। हिम्मत न हारते हुए उन्होंने स्कूली खेलों से शुरुआत की और जल्द ही भाला फेंक में महारत हासिल कर ली। दवेंद्र ने 2004 एथेंस परालीपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 62.15 मीटर के नये विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। उनके अद्वितीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

गिरिश नागराजगौड़ा बचपन से ही विकलांग थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया वे वर्ष 2012 लंदन ओलंपिक में पुरुषों की ऊँची कूद एफ. 42 वर्ग में रजत पदक जीतने में सफल रहे। उन्हें वर्ष 2014 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

गिरीश शर्मा जब दो साल के थे तो एक दुर्घटना में उन्हें अपना दायां पांव गंवाना पड़ा। उन्हें क्रिकेट से प्यार था, लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का फैसला किया। अपने दृढ़ इरादों में वे सफल रहे। गिरीश ने विकलांगजनों की

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीते और फिर विकलांगजनों के लिए एशिया कप में भी सोने का तमगा हासिल किया।

जमू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के आमिर हुसैन के छोटी उम्र में ही एक दुर्घटना में दोनों हाथ कट गए थे। वह क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन यह दुर्घटना क्रिकेट के प्रति उनका प्रेम कम नहीं कर पाई परिणामस्वरूप उनके दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उन्हें अपने क्षेत्र का एक अच्छा क्रिकेटर माना जाता है, जो पांव से गेंदबाजी तथा कंधे और सिर के बीच में बल्ले का हत्था रखकर बल्लेबाजी करते हैं। आज उनके बुलंद इरादों के कारण ही वे जमू-कश्मीर की विकलांग क्रिकेट टीम के कप्तान हैं।

द ब्लेड रनर यानी ऑस्कर पिस्टोरियस को दुनिया का सबसे तेज बिना पांव वाला धावक माना जाता है। उन्होंने नकली पांवों के सहारे दौड़ने के बावजूद वर्ष 2012 लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करके सबको सकते में डाल दिया। इससे पहले पिस्टोरियस ने एथेंस परालीपिक खेलों में एक और बीजिंग परालीपिक खेलों में तीन स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने वर्ष 2010 से सक्षम एथलीटों के साथ दौड़ना शुरू किया और 400 मीटर दौड़ में तीन अवसरों पर 46 सेकेंड से कम का समय लिया। उन्होंने लंदन ओलंपिक खेलों में 400 मीटर और चार गुणा 400 मीटर में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था। पिस्टोरियस पर बाद में अपनी महिला मित्र की हत्या का आरोप लगा, जिससे उनका करियर अधर में लटक गया।

दक्षिण अफ्रीका की ही नताली डु टोइट ने 17 साल की उम्र में अपना बायां पांव गंवा

दिया था। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आज उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ तैराकों में गिना जाता है। नताली ने वर्ष 2001 में बायां पांव गंवा दिया था और इसके एक साल बाद वर्ष 2002 मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने फ्रीस्टाइल तैराकी में दो स्वर्ण पदक जीते। एथेंस परालंपिक में वह पांच स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने में सफल रहीं। यही कारनामा उन्होंने बीजिंग परालंपिक खेलों में भी दोहराया। बीजिंग में उन्होंने ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया था। बीजिंग ओलंपिक खेलों में वह दक्षिण अफ्रीका की ध्वजवाहक भी थीं।

दक्षिण कोरिया के विश्व रिकॉर्डधारक नेत्रहीन तीरंदाज इम डोंग ह्यून, पोलैंड की टेबल टेनिस खिलाड़ी नतालिया पार्टिका, अमेरिका की नेत्रहीन धाविका मार्ला रूनयान, परालंपिक पदक विजेता भारतीय पावरलिफ्टर राजेंद्र सिंह राहेलु, परालंपिक खेलों में एक रजत और दो कांस्य पदक जीतने वाले जोगिंदर सिंह बेदी, राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता तैराक प्रशांत कर्माकर, तैराक शरत गायकवाड़, तैराक भरत कुमार आदि कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने विकलांग होने के बावजूद खेलों के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। कई ऐसे विकलांग खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने सक्षम खिलाड़ियों को चुनौती दी और उसमें सफल भी रहे। भारत में जब 2003 में पहले एफ्रो-एशियाई खेलों का आयोजन किया गया तो नताली दुटोइट आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी।

बाद ब्राजील के इसी शहर में 7 से 18 सितंबर के बीच परालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। रियो परालंपिक में 23 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें कुल 528 पदक दांव पर लगे होंगे। इनमें पुरुष वर्ग में 264, महिला वर्ग में 226 और मिश्रित वर्ग में 38 पदक शामिल हैं। इन खेलों में 176 देशों के 4350 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इससे पहले 15 बार परालंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन दक्षिण अमेरिका का कोई देश पहली बार इनकी मेजबानी कर रहा है।

महाद्वीपीय स्तर पर भी विकलांगजनों के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है। एशिया में एशियाई खेलों के साथ ही इनका आयोजन होता है। पिछले परालंपिक एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2014 में दक्षिण कोरिया के शहर दिन्चियोन में किया गया था। जिसमें भारत ने तीन स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीते थे। भारत के 101 खिलाड़ियों ने

कई ऐसे विकलांग खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने सक्षम खिलाड़ियों को चुनौती दी और उसमें सफल भी रहे। भारत में जब 2003 में पहले एफ्रो-एशियाई खेलों का आयोजन किया गया तो नताली दुटोइट आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी।

इसमें हिस्सा लिया था। इस तरह के अगले खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2018 में किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांगजनों के खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय परालंपिक समिति (आईपीसी) की होती है। इसी तरह से एशिया में एशियाई परालंपिक समिति और भारत में भारतीय परालंपिक समिति (पीसीआई) है।

भारतीय परालंपिक समिति राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करती है, लेकिन मार्च 2015 में गाजियाबाद में राष्ट्रीय परा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलीटों की अनदेखी और कुप्रबंधन के कारण उसे अंतरराष्ट्रीय परालंपिक समिति ने ही नहीं, बल्कि खेल मंत्रालय ने भी निलंबित कर दिया था। खेल मंत्रालय ने उसका राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) का दर्जा अगले आदेश तक समाप्त कर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जबकि पीसीआई ने आईपीसी ने निलंबित किया हो। इससे पहले भी दो बार उसे निलंबन झेलना पड़ा

था, लेकिन इसके अधिकारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। अब स्थिति यह है कि भारतीय खिलाड़ियों को रियो परालंपिक खेलों में आईपीसी के ध्वज तले खेलना पड़ सकता है।

पूरी दुनिया में जारी हैं प्रयास

दुनिया के कई देशों में विकलांग खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें सक्षम खिलाड़ियों के खेलों की तरह बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत में स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। विकलांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अभ्यास के पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों से सकारात्मक परिणाम पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार के प्रयासों से हालांकि कुछ उम्मीद बंधी है। सरकार ने रियो ओलंपिक में संभावित पदक विजेताओं के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम यानि टॉप नाम से एक कार्यक्रम चलाया है। जिसमें खिलाड़ियों को खेलों की तैयारियों के वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें नौ परा एथलीटों शरत कुमार, अमित सरोहा, कर्मज्ञोति, देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, नरेंद्र कुमार, शरत गायकवाड़, एचएन गिरिशा और संदीप मान को शामिल किया गया है। इस बीच एक संस्था ने मिशन परालंपिक 2016 की शुरुआत की है, जिसमें चार खिलाड़ियों को लिया गया है। इनमें अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाले भारतीय तैराक शरत गायकवाड़, तैराक निरंजन मुकुंदन, महिला पावरलिटर सकीना खातून और अर्जुन पुरस्कार विजेता पावरलिटर राजेंद्र राहेलु शामिल हैं।

स्पेशल ओलंपिक भारत

भारत में इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक भारत भी एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है, जिसे भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय से मान्यता हासिल है। स्पेशल ओलंपिक भारत विशेष तौर पर मंदबुद्धि बच्चों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए है, जिसका जिम्मा पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण देना है। इस महासंघ में 12 लाख से भी अधिक पंजीकृत खिलाड़ी हैं। भारत पिछले कुछ दशकों से स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड खेलों में भाग लेता

रहा है। पिछले खेल जुलाई 2015 में लॉस एंजिल्स में आयोजित किए गए थे, जिनमें 177 देशों के 6500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

जरूरत है समर्थन और प्यार की

लेकिन विकलांग खिलाड़ियों के साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें सहानुभूति तो मिल जाती है, लेकिन समर्थन और सम्मान नहीं। उन्हें वह श्रेय नहीं मिलता है जिसके बे हकदार होते हैं। वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर खिलाड़ियों की तरह हिस्सा लेते हैं, लेकिन मीडिया से लेकर सरकारें तक उनकी अनदेखी करती रही हैं। मीडिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बिटा देता है, लेकिन विकलांग खिलाड़ियों की उपलब्धियों के प्रति उसका रवैया उत्साहजनक नहीं रहा है। समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में पर्याप्त जगह मिलने पर विकलांग खिलाड़ियों ही नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण हताश हो चुके युवाओं को भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता दीपा मलिक ने एक बार कहा था, “मैं चाहती हूँ कि मीडिया में परा खेलों के बारे में भी विस्तार से कवरेज हो। हम इतने अधिक पदक जीतते हैं, लेकिन हमारा बमुशिकल कहीं जिक्र होता है।”

आर्थिक मदद की खास जरूरत

इन खिलाड़ियों से जुड़ा आर्थिक पक्ष भी अहम है। कई ऐसे विकलांग खिलाड़ी हैं, जो अपने खर्च पर प्रशिक्षण लेते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। बेवकल सरकार ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत का भी विकलांग खिलाड़ियों की मदद बें लिए आगे आना जरूरी है। सरकार को भी उन्हें सक्षम खिलाड़ियों के

समान सुविधाएं देने की जरूरत है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार की पहल सराहनीय है, जिसने हाल में घोषणा की कि ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं की तर्ज पर परालिपिक खिलाड़ियों को भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसे खिलाड़ियों

तालिका 1: विकलांग खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने पर केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन

प्रतियोगिता	पुरस्कार (रुपये में)		
	स्वर्ण	रजत	कांस्य
परालिपिक खेल (शीतकालीन एवं ग्रीष्म)	75 लाख	50 लाख	30 लाख
परा एशियाई खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
राष्ट्रमंडल खेल (पराएथ्लीट)	30 लाख	20 लाख	10 लाख
आईपीसी विश्वकप (दो वर्ष पर)	20 लाख	14 लाख	8 लाख
आईपीसी विश्वकप (वार्षिक)	10 लाख	7 लाख	4 लाख
इब्सा विश्व चैंपियनशिप	10 लाख	7 लाख	4 लाख
डीफलिपिक्स	15 लाख	10 लाख	5 लाख
स्पेशल ओलंपिक (ग्रीष्म/शीत)	5 लाख	3 लाख	1 लाख

के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं के आयोजन करने की जरूरत है। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर भाग लेने के लिए मौके दिए जाने चाहिए।


कई विकलांग खिलाड़ियों को विशेष तरह के उपकरणों की जरूरत होती है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए इस तरह के उपकरण मुहैया कराना सरकार और महासंघ की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण एक बड़ा मसला है, जो विकलांग खिलाड़ियों से जुड़ा है। विशेषकर भारत में विकलांग खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षकों की कमी है। भारतीय खेल प्राधिकरण को इस तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई पूर्व खिलाड़ी अब प्रशिक्षक का काम कर रहे हैं और सरकार उन्हें नियुक्त करके उनके अनुभव का व्यापक लाभ उठा सकती है। विकलांगजनों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। ऐसी स्थिति नहीं बनी रहनी चाहिए जहां विकलांग खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण, कोच, प्रवेश शुल्क, सामान और उपकरणों को लेकर ही चिंतित रहे। आम बजट में भी परा खेलों के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। □

विकलांगजनों के लिए खेल योजना

केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने विकलांगजनों के लिए खेल योजना वर्ष 2009-10 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की थी। इस पांचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन स्कूलों के माध्यम से शुरू किया गया और इसके तहत 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान कुल 44.86 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले विकलांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, प्रशिक्षण व उपकरण खरीदने, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है। ये सहायता भारतीय परालिपिक समिति, स्पेशल ओलंपिक भारत तथा ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डीफ आदि को नोडल

एजेंसी मानकर उनके जरिए दी जाती रही हैं।

इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित से 250 विकलांग छात्रों का पांच विद्यालयों के माध्यम से चयन किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में एक कोच नियुक्त किया जाता है। पायलट परियोजना समाप्त होने के बाद कोच का खर्च संबंधित विद्यालय प्रबंधन को उठाना था। उपरोक्त नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्रत्येक जिले में सहायता राष्ट्रीय पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। जिलास्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 1.5 लाख रुपये का अनुदान तय किया गया। राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पांच लाख रुपये जबकि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए नोडल एजेंसियों को 30 लाख का प्रावधान किया गया।



विंगत 15 वर्षों से सर्वाधिक विश्वसनीय एवं सर्वोकृष्ट संस्थान जो
सामान्य अध्ययन के 50 से भी अधिक समर्पित एवं अनुभवी विशेषज्ञों
का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क

**UPSC 2014 में 60 से भी अधिक सफलताएं एवं पिछले 6 वर्षों में
4 बार प्रथम स्थान के साथ UPPCS 2015 में 100 से भी अधिक सफलताएं...**

Announcement for New Batches in Hindi Medium

North Delhi (Mukherjee Nagar)

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

2nd May at 5:30 pm
&
23rd May at 8:00 am

वैकल्पिक विषय • हिन्दी साहित्य • इतिहास • भूगोल

East Delhi (Laxmi Nagar)

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

REGULAR BATCH
1st Week of June
at
8:00 am

WEEKEND BATCH
20th May
at
11:00 am

Allahabad

Lucknow

सामान्य अध्ययन

FOUNDATION

27th May at 5:30 pm
3rd June at 8:00 am
29th July at 2:30 pm

MAINS BATCH

20th May at 8:00 am

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

REGULAR BATCH
27th May at 2:30 pm
29th July at 8:00 am

WEEKEND BATCH
20th May at 4:00 pm

वैकल्पिक विषय • इतिहास • भूगोल • समाजशास्त्र • राजनीति विज्ञान
• लोक प्रशासन • समाज कार्य • रक्षा अध्ययन

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH Pre-cum-mains

25th April at 9:00 am
&
27th May at 5:30 pm

वैकल्पिक विषय
• इतिहास • भूगोल • समाजशास्त्र

Face
To
Face
Centres

NORTH DELHI : A 12-13, Ansal Building, 201, IIInd Floor, Dr Mukharjee Nagar, Delhi-9 Ph.: 011- 47354625, 09540062643

EAST DELHI : 1/3, IIInd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-92 Ph.: (011)-43012556, 09311969232

ALLAHABAD : IIInd & IIIrd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001 Ph.: (0532)-2260189, 08853467068

LUCKNOW : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, (UP) Ph.: (0522)-4025825, 9506256789

VSAT CENTRES

<input type="checkbox"/> ALAMBAGH (LUCKNOW) - 07570009004/07570009006	<input type="checkbox"/> GORAKHPUR - 05512200385	<input type="checkbox"/> RAIPUR - 09575040423
<input type="checkbox"/> AMRITSAR - 07307828266	<input type="checkbox"/> GOMTINAGAR (LUCKNOW) - 07570009003/07570009005	<input type="checkbox"/> REWA - 0926207755
<input type="checkbox"/> ALWAR - 09024610363	<input type="checkbox"/> JABALPUR - 08982082028/08982082030	<input type="checkbox"/> SAHARANPUR - 09675195148
<input type="checkbox"/> BAHRAICH - 08874572542/05252238179	<input type="checkbox"/> JAIPUR - 09529168769/09602703478	<input type="checkbox"/> SINGRAULI - 09589913433
<input type="checkbox"/> BAREILLY - 07409878310	<input type="checkbox"/> JHANSI - 09792272760	<input type="checkbox"/> SIRSA - 09255464644
<input type="checkbox"/> BILASPUR - 09424124434	<input type="checkbox"/> JODHPUR - 09782006311	<input type="checkbox"/> SIKAR - 09680176783
<input type="checkbox"/> CHANDIGARH - 09872038899/08196821355	<input type="checkbox"/> KANPUR - 07275613962/08896814260	<input type="checkbox"/> VARANASI - 07408098888, 09161733330
<input type="checkbox"/> DHANBAD - 09031059945	<input type="checkbox"/> KOLKATA - 08335054687	
<input type="checkbox"/> FARIDABAD - 09711394350/0129-4054621	<input type="checkbox"/> MORADABAD - 09927622221/09837622221	

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYIAIAS.COM

तन से लाचार, लेकिन मन से लाजवाब

निकहत प्रबीन



**कुछ पाना है कुछ कर
दिखाना है यह जज्ज्वा
हर किसी में देखने को
नहीं मिलता। बात जब
विकलांगता में इस जज्ज्वे की
हो तो थोड़ा और मुश्किल
हो जाता है। लेकिन बहुत
से विकलांगजन ऐसे भी
हैं जो सिर्फ कहने मात्र के
लिए विकलांग हैं लेकिन
हकीकत में वह सामान्यजन
से ज्यादा बेहतर काम कर
रहे हैं। उनके बुलंद हौसले
और जज्ज्वे से आज दुनिया
में उनकी अलग पहचान बन
चुकी है और वे अपने जैसे-
व अन्य लोगों के लिए
प्रेरणा बन चुके हैं**

वि

श्व विकलांगता दिवस की शुरुआत 3 दिसंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी।

इसका उद्देश्य आधुनिक समाज में निःशक्त जनों के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिए जागरूकता फैलाना है। विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी उसकी शारीरिक, मानसिक, और बौद्धिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग एक अरब लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के शिकार हैं। निःसंदेह ऐसे व्यक्तियों को शुरुआत से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विकलांगता की ऐसी स्थिति होती है, जिसमें हम सहज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिद से दुनिया बदल डालते हैं न कि दुनिया के आगे झुक जाते हैं। इस आलेख में हम आपको ऐसे ही कुछ गुमनाम योद्धाओं से परिचय कराने जा रहे हैं।

लद्दाख के मौहम्मद इकबाल उन व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते जो शारीरिक या मानसिक कमजोरी को जीवन की सबसे बड़ी कमी या बाधा मानते हैं क्योंकि मौहम्मद इकबाल ने अपनी विकलांगता को कभी अपनी कमजोरी बनने ही नहीं दिया। 56 वर्षीय मौहम्मद इकबाल के गर्दन से लेकर पैरों तक का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता सिर्फ मस्तिष्क एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, हालांकि मौहम्मद इकबाल के लिए ये कहना ज्यादा उचित होगा कि उनका दिमाग और मनोबल हमसे भी कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होने के बाद भी हम में से अधिकतर लोग जीवन की छोटी-मोटी

घटनाओं से परेशान होकर या तो सरकार को और हालात को कोसते हैं या भगवान को ही दोष देने बैठ जाते हैं। इन सबसे अलग मौहम्मद इकबाल ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने विकलांगता को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनके द्वारा 2007 में लेह-लद्दाख में पांगीर संस्था का स्थापित किया जाना। इस संस्था की शुरुआत का ख्याल मौहम्मद इकबाल को कब और कैसे आया इस बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपनी विकलांगता को लेकर बहुत संघर्ष किया। अचानक एक दिन ख्याल आया कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के उन सभी विकलांगों के लिए कुछ करना चाहिए जिनके लिए विकलांगता जीवन में मुसीबत का कारण बनती है। इसी भावना से अपने जैसे लोगों को निराशा से बाहर निकालने के लिए पांगीर (द पीपुल्स एक्शन ग्रुप फॉर इनक्युन एंड राईट्स) की स्थापना की।

पांगीर में नए-नए काम की शुरुआत की गई। आज इस संस्था में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी कहने के लिए विकलांग हैं। इनके हाथ का हुनर वो जादू बिखेरता है जिसे देखकर इनका लोहा मानना पड़ता है। सहज विश्वास नहीं होता कि बेकार सामग्री से तैयार किये गए सभी उत्पाद जैसे- सोफा कुशन, हैंड बैग, हैंड पर्स, इत्यादि किसी सामान्य नहीं, बल्कि एक विकलांग व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। आज पांगीर वेस्ट टू क्रॉफ्ट नामक व्यवसाय की शुरुआत कर विकलांगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है और आज वेस्ट टू क्रॉफ्ट के अंतर्गत बनाई गई सभी सामग्री सिर्फ लद्दाख ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बाजारों में भी अपनी जगह बना रही है।

हिमालय अंतर्वनीलकाश प्रोग्राम के अंतर्गत चलाए जा रहे अपने कार्यक्रम के बारे मोहम्मद इकबाल ने बताया, “हम इस प्रोग्राम में विशेष रूप से विकलांग पर्यटकों को वो सारी सुविधाएं देते हैं, जिससे वो भी अन्य पर्यटकों की तरह अपनी यात्रा का भरपूर आनंद उठा सकें।” अर्थात् ये स्पष्ट है कि वर्तमान समय में यागीर महज एक संस्था नहीं, बल्कि लद्दाख के विकलांग जनों के लिए एक ऐसा मंदिर है जहां विकलांग और सामान्य लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। और यह संभव हुआ तो एक विकलांग व्यक्ति के प्रयास से ही।

वर्तमान समय में यागीर महज एक संस्था नहीं, बल्कि लद्दाख के विकलांग जनों के लिए एक ऐसा मंदिर है जहां विकलांग और सामान्य लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। और यह संभव हुआ तो एक विकलांग व्यक्ति के प्रयास से ही।

सिर्फ यागीर ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर स्थित हेल्प फॉउन्डेशन भी एक ऐसी संस्था है, जो 1992 से लोगों के सामाजिक-अर्थिक विकास के लिए तो काम कर ही रहा है। साथ ही हमेशा विवादों और गोलबारियों की गूँज के बीच रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी काम करता है। हेल्प फॉउन्डेशन की वेबसाइट पर लिखा है कि रिपोर्टों के अनुसार लगभग 21 हजार लोग कश्मीर में मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और इसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है। ऐसे ही लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हेल्प फॉउन्डेशन शिक्षा, पुनर्वास, सशक्तीकरण, क्षमता निर्माण के अतिरिक्त सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी काम कर रही है। ये आवश्यक भी हैं क्योंकि जब तक इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा शारीरिक रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकता।

इसी राज्य में लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए साल 2015 में युवा चिकित्सक इमरान खान ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं जो अपने काम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी संस्था ने अनेकानेक मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्त दान शिविर का लोगों के सहयोग से बड़े पैमाने पर आयोजन किया है। वे कहते हैं कि भविष्य में

अपने काम को और विस्तारित रूप देते हुए यहां के विकलांगजनों के लिए काम करना है क्योंकि इस राज्य में लैंड मार्ईन्स और सरहदों पर आए दिन होने वाली गोलबारियों के कारण यहां के निवासी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को गंवा देते हैं और ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से भी कोई खास सहायता नहीं मिल पाती, जिसके कारण लोगों का जीवन एक प्रश्न चिन्ह की तरह बनकर रह जाता है। इस समय लगभग 500 लोग इस संस्था से जुड़े हैं विकलांगों के विकास के लिए अपनी टीम के साथ कुछ और नया करने की सोच रहे हैं। इमरान की बातों से तो लगता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में विकलांगों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका अंदाजा 2011 की जनगणना रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है, जो बताते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में विकलांग लोगों की कुल संख्या 3,61,153 थी, जिसमें 55 प्रतिशत पुरुष तथा 45 प्रतिशत महिलाएं हैं।

हालांकि, स्थिति शत-प्रतिशत ऐसी ही नहीं है। श्रीनगर से 45 किमी की दूरी पर दरिया झेलम के किनारे स्थित गांव वागमा में रहने वाले आमिर हुसैन लोन की कहानी सिर्फ विकलांग ही नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं और क्यों न हो? आमिर हुसैन ने जिस प्रकार अपने साहस से विकलांगता को मात देकर अपना लक्ष्य हासिल किया है, उस कारण आज पूरे देश में आमिर की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वही आमिर हैं जो 8 साल की उम्र में एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवा बैठे। इस दुर्घटना के कारण आमिर लगभग 3 वर्षों तक अस्पताल के बिस्तर पर ही रहे, लेकिन घर वापस आने के बाद आमिर ने न सिर्फ अपनी शिक्षा को जीवन में वापस लाने का फैसला किया, बल्कि क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को भी जिंदा रखा।

इस संबंध में आमिर कहते हैं, “अस्पताल से घर आने के बाद जब मैंने स्कूल जाने का फैसला किया और पहले दिन स्कूल पहुंचा तो मुझे ये कहकर लौटा दिया गया कि जनाब ये काम अब आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा कि आप घर बैठें। इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी और पूरे जुनून के साथ न सिर्फ 2 वर्षों तक पैरों से लिखने को कोशिश में दिन-रात करता रहा। साथ ही वो सारे काम जो एक आम इंसान को रोजमर्ग की जिंदगी

में करने ही पड़ते हैं, उन सबको भी मैंने इन्हीं दो वर्षों में सीखा ताकि हाथ न होना मेरी जिंदगी के लिए कोई बड़ा मसला न बने और आखिरकार ऐसा ही हुआ। आज मैं अपने सारे काम औरों की तरह ही आसानी से खुद ही करता हूं मैं पैरों से लिखता हूं, पेंटिंग बनाता हूं, कपड़े पहनता हूं, दाढ़ी बनाता हूं, सब कुछ यहां तक की पैरों का सहारा लेकर फील्ड में बॉलिंग करता हूं। कंधों और गर्दनों के बीच बल्ले को रखकर ऐसी बैटिंग करता हूं कि मेरे खेल को देखकर साल 2013 में मुझे जम्मू कश्मीर राज्य पारा क्रिकेट टीम का कप्तान घोषित किया गया। इसके बाद मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हुआ मैं आगे भी क्रिकेट के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना चाहता हूं क्रिकेट तो मेरा जुनून है।”

आमिर की ही तरह छत्तीसगढ़ के रहने वाले विकलांग गोकरण पेंटिंग को लेकर इतने जुनूनी हैं कि दोनों हाथ न होने के बाद भी गोकरण सिर्फ पैरों की मदद से इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि बड़े बड़े कलाकारों की पेटिंग भी उनकी बनाई पेटिंग के सामने फीकी पड़ जाती है। उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग के कारण उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं।

गोकरण पेंटिंग को लेकर इतने जुनूनी हैं कि दोनों हाथ न होने के बाद भी गोकरण सिर्फ पैरों की मदद से इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि बड़े बड़े कलाकारों की पेटिंग भी उनकी बनाई पेटिंग के सामने फीकी पड़ जाती है। उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग के कारण उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं।

बिहार के दरभंगा जिले में रहने वाले जफर मुस्तफा ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित करने का जिम्मा खुद उठाया है। जफर साल 2006 में 10वीं की परीक्षा देने वाले थे। लेकिन, कुछ समय पहले ही बाइक

चलते हुए एक सड़क दुर्घटना में वो बुरी तरह घायल हो गए इस कारण जफर का दायां पैर पूरी तरह से बेकार हो गया। जफर एक महीने तब अस्पताल के बिस्तर पर रहे लेकिन इस दौरान जफर ने घर से किताब मंगवाकर अपनी 10वीं की परीक्षा की तैयारी को जारी रखा और परीक्षा देकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी हुए। इस बारे में जफर बताते हैं, “मेरी हालत देखकर बहुत सारे लोगों ने ये मशक्करा दिया कि मैं परीक्षा नहीं दूं बल्कि एक साल तक घर पर आराम करूं, लेकिन मेरे अबू ने मेरा बहुत सहयोग किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं परीक्षा में अच्छा कर सकता हूं तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने जोर-शोर से पढ़ाई जारी रखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं। हां मैं बैसाखी के सहारे चलता हूं, मेरे पैर डगमगाते हैं लेकिन मेरे हौसलों को मैंने कभी डगमगाने नहीं दिया क्योंकि मुझे बहुत आगे तक जाना है और बस जाना है। जफर के ये वाक्य हम सबके लिए सचमुच बहुत प्रेरणादायी हैं, जो हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है।

किसी भी विकलांग के लिए जीवन बेशक आसान नहीं होता लेकिन मौहम्मद इकबाल, हो या आमिर हुसैन या कोई और ऐसे लोगों ने अपने साहस के दम पर ये साबित किया है कि विकलांगता जीवन को सिर्फ कुछ पल के लिए ठहराव दे सकती है। पूरी तरह रोक नहीं सकती। विकलांगों का जीवन किसी भी परिस्थिति में रुकने के बजाए तेज गति से चलता जाए इसके

किसी भी विकलांग के लिए जीवन बेशक आसान नहीं होता लेकिन मौहम्मद इकबाल, हो या आमिर हुसैन या कोई और ऐसे लोगों ने अपने साहस के दम पर ये साबित किया है कि विकलांगता जीवन को सिर्फ कुछ पल के लिए ठहराव दे सकती है। पूरी तरह रोक नहीं सकती।

लिए देश में समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार ऐसी अनेक संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठनों का निर्माण हुआ है जो कई वर्षों से विकलांग जनों के विकास के लिए कार्य कर रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर भी शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक

विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई जैसे कई संस्थान हैं जो लोगों को विभिन्न प्रकार की पुरुन्वास सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय अपंग तथा वित्तीय विकास निगम राज्य की एंजेसियों द्वारा छूट के साथ ऋण मुहैया करता है। साथ ही विकलांगों के कल्याण के लिए ग्रामीण विज्ञा स्तर पर, पंचायती राज संस्थान प्रयासरत है। इसके बावजूद 2001 की जनगणना की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांग हैं, जो कुल जनसंख्या का 2% है। जबकि विश्व बैंक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अविकसित देशों में यह संख्या 10.2% है। यह कुल विकलांग व्यक्तियों की संख्या का 27.87% ऐसे व्यक्तियों का है जो अंग संचालन में असमर्थ हैं या उन्हें कठिनाई होती है। ऐसा भी अनुमान है कि प्रति वर्ष 40,000 व्यक्ति विभिन्न कारणों से अपंग हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में विकलांगता पर विजय तभी पाया जा सकता है जब प्रत्येक विकलांग व्यक्ति खुद अपनी विकलांगता को हराने के लिए प्रयासरत हो। □

प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया पहल का शुभारंभ किया

दिलितों, आदिवासियों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल, 2016 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्टैंड अप इंडिया पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के

बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। पहल के तहत इन श्रेणियों में से कम से कम दो इच्छुक उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऋण का दायरा दस लाख से एक करोड़ रुपये के बीच होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5100 ई-रिक्शा भी वितरित किए।

वैश्विक कौशल विकास के मानक

भारतीय कौशल मानकों को वैश्विक स्तर के मानकों के साथ तालमेल करने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कौशल मानक जारी किए गए। भारतीय क्षेत्र के कौशल परिषदों में चिह्नित किए गए 82 कार्य भूमिकाओं के लिए कौशल विकास में इन मानकों को यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें इन मानकों को सरकार की दो प्रमुख पहलों - मेक इंडिया और स्किल इंडिया के लिए सटीक पाया गया। भारतीय कौशल मानकों के लिए ब्रिटेन मानकों को कसौटी इसलिए बनाया गया क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सभी देश ब्रिटेन कौशल प्रमाणन को मान्यता देते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कौशल के उपयोग में सहूलियत होगी, साथ ही वे उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भी कार्य करने के योग्य हो जाएंगे जो भारत में संचालित हो रहीं हैं।

जहां कहीं भी ब्रिटिश मानकों की तुलना में भारतीय मानकों में अंतर पाए गए हैं और जो इन कौशलों के साथ पलायन करना चाहते हैं, उनके कौशल में कभी को सेतु प्रशिक्षण के जरिए पूरा किया जाएगा। ब्रिटेन के फर्द एजुकेशन (एफई) कॉलेज भारतीय प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी कर सेतु पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने में भूमिका निभाएंगे। एफई

कॉलेज भारत में चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल अकादमियों का गठन भी करेंगे। ब्रिटेन की सिटी एंड गिल्डस एंड पियर्सन्स जैसी पुरस्कृत करने वाले संगठन भारतीय कर्मचारी चयन आयोगों (एसएससी) के सहयोग से अंतर पाटने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रमाणित करेंगे।

इस साझेदारी की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ब्रिटेन की मान्यता देने वाली निकायों द्वारा भारतीय एसएससी मूल्यांकन और प्रमाणन को मान्यता दी गई है। जो लोग जो किसी अन्य व्यवस्था में जाना चाहते हैं उन्हें केवल मानदंड प्रक्रिया के तहत चिह्नित कियों में सेतु प्रशिक्षण लेना होगा और उसका सेतु प्रशिक्षण के घटकों पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार केवल सेतु प्रशिक्षण लेने और इस पर मूल्यांकन और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन्हें ब्रिटेन आईवीक्यू प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसे खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) सहित वैश्विक स्तर पर स्वीकृति प्राप्त है।

इस परियोजना में भाग लेने वाले 15 भारतीय क्षेत्र कौशल परिषद हैं - मोटर वाहन, कृषि, जीवन विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, पूंजीगत वस्तुएं, परिधान, कपड़ा, सौंदर्य और तंदुरुस्ती, दूरसंचार, आतिथ्य, आईटी और आईटीईएस, निर्माण, खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षा।

क्या आप जानते हैं?

इंचियॉन रणनीति

इंचियॉन

चियॉन रणनीति विकलांगों के लिए समाज को बाधा रहित बनाने एवं उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दशक भर लंबी कार्ययोजना है। रणनीति में विकलांगता समावेशी विकास लक्ष्य शामिल हैं, जिन पर पहली बार क्षेत्रीय सहमति जताई गई है। कोरिया गणराज्य के इंचियॉन में एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के सदस्य देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों की 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2012 तक हुई बैठक में इस रणनीति को स्वीकार किया गया।

इंचियॉन रणनीति नाम इस दशक भर लंबी कार्ययोजना को उस स्थान से जोड़ता है, जहां इसे स्वीकार किया गया था। इन लक्ष्यों के माध्यम से एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र अपने यहां रहने वाले 65 करोड़ विकलांगों, जिनमें से अधिकतर गरीबी में जी रहे हैं, के जीवन स्तर में सुधार तथा उनके अधिकारों की पूर्ति संबंधी प्रगति पर नजर रख सकेगा। 2013 से 2022 तक के दशक के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली रणनीति में 10 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में कार्रवाई के लिए 27 लक्ष्य हैं और प्रगति मापने के लिए 62 संकेतक हैं। इंचियॉन रणनीति में सरकार को सभी प्रकार के विकलांगों के संबंध में सूचना इकट्ठी करनी होगी ताकि हम जान सकें कि हमें अभी और क्या करना है।

इंचियॉन रणनीति व्यक्तियों का मुख्य विचार यह है कि विकलांगों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें अपनी पसंद के विकल्प चुनने में सक्षम होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और

उन्हें समाज में अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रतिभागिता का अवसर मिलना चाहिए।

रणनीति के अंतर्गत 10 लक्ष्य हैं:-

लक्ष्य 1: गरीबी घटाना एवं कामकाज तथा रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना,

लक्ष्य 2: राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी को बढ़ावा देना,

लक्ष्य 3: भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना एवं संचार की सुविधा उपलब्ध कराना,

लक्ष्य 4: सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना,

लक्ष्य 5: विकलांग बच्चों को बाल्यकाल के आरंभ में सहायता एवं शिक्षा प्रदान करना

लक्ष्य 6: लैंगिक समानता एवं महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित करना,

लक्ष्य 7: आपदा के जोखिम कम करने एवं उनका प्रबंधन करने के उपायों में विकलांगता का समावेश सुनिश्चित करना,

लक्ष्य 8: विकलांगता के आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं तुलनीयता बढ़ाना,

लक्ष्य 9: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि को स्वीकार एवं लागू किए जाने में तेजी लाना तथा राष्ट्रीय कानून को संधि के अनुरूप बनाना,

लक्ष्य 10: उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरक्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।

संकलन: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

नीति आयोग ने आरंभ किया 'ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज'

नीति आयोग ने भारत के सामने मौजूद प्रमुख विकास संबंधी चुनौतियों पर नागरिकों के विचार जानने के लिए हाल ही में 'ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज' का पहला चरण आरंभ किया। भारत के विकास के लिए नवोन्मेष के एकदम पहले चरण में ही नागरिकों को शामिल करने के लिए 'ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज' को माईगॉव पोर्टल पर आरंभ किया जा रहा है। इसमें सामाजिक क्षेत्र, सबसे सर्वेनशील वर्गों तथा भारत के विकास के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने में नागरिकों के विचार इकट्ठे करने पर जोर है।

ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज के पहले चरण में नीति आयोग नागरिकों से पूछेगा कि सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किन महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने की आवश्यकता है और किन चुनौतियों से प्राथमिकता के साथ निपटा जाना चाहिए। दूसरे चरण में नागरिकों द्वारा बताई गई अत्यावश्यक चुनौतियों की सूची तैयार की जाएगी तथा लोगों से उचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर उनसे निपटने के नए एवं अनूठे उपाय पूछे जाएंगे। ये उपाय विशेष रूप से भारत के लिए होने चाहिए, भारत में


तैयार होने चाहिए तथा भारत का त्वरित विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए। नागरिकों को दिए गए 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कोई एक चुनना होगा, जिस पर प्राथमिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि सबसे संवेदनशील एवं अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों पर उसका सर्वोत्तम प्रभाव पड़ सके।

चरण के अंत में नीति आयोग भारत के नागरिकों द्वारा सुझाई गई चुनौतियों में से 10 सबसे मुख्य चुनौतियों को पहचानेगा एवं स्वीकार करेगा। 10 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को नीति आयोग से मान्यता प्रमाण प्रत्र मिलेगा। चुने गए उम्मीदवारों को भारत सरकार के प्रमुख नीति निर्माताओं के साथ अटल नवोन्मेष मिशन पर चर्चा करने के लिए विशेष अतिथियों के रूप में नीति आयोग में आमंत्रित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ उपायों को विश्व स्तरीय नवोन्मेष केंद्रों द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा और साकार किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषकों द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपायों को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग शैक्षिक, तकनीकी एवं आर्थिक सहायता देगा।

राष्ट्रीय कृषि मंडी का आरंभ

प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि मंडी औपचारिक रूप से आरंभ की गई और प्रायोगिक स्तर पर इसका कारोबारी प्लेटफॉर्म ई-एनएम आरंभ किया गया। इस पहल से पारदर्शिता आने की आशा है, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और कृषक समुदाय के लिए यह महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगा।

आठ राज्यों में 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी से जोड़ा गया है।



सितंबर, 2016 तक 200 मंडियां जोड़ दी जाएंगी और मार्च, 2018 तक 585 मंडियां इसमें शामिल कर ली जाएंगी।

यह परियोजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगी, जिसे राज्यों की मंडियों से जोड़ा जा रहा है। सभी प्रतिभागी राज्यों को इसका सॉफ्टवेयर निःशुल्क

उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक साझेदार मंडी में एक वर्ष के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा, ताकि पोर्टल का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।




इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों की प्रस्तावित कृषि मंडियों को 30 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को चौबीसों घंटे की किसान हेल्पलाइन सेवा प्रदान की जाएगी।

कृषि मंत्रालय ने कृषि विकास वृक्ष का विचार अपनाया है और इसके तहत किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। अगले पांच वर्ष में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय और एक मंडी का विकास किया जा रहा है और इस मंडी का उन्नयन कर इसे अंतरराष्ट्रीय मंडी का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

Useful Books

	Code	Price
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (General Paper-I)	420	315.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1553	355.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1761	345.00
UGC-NET Geography	336	225.00
UGC-NET Geography (Paper-II & III)	1735	599.00
UGC-NET Obj. Geography (Paper II)	320	215.00
UGC-NET English (Paper-II)	925	225.00
UGC-NET English Litt. (Paper II)	940	115.00
UGC-NET English (Paper II & III)	1549	310.00
UGC-NET English Literature (Paper II & III)	1723	330.00
UGC-NET English Literature (Paper II & III)	1736	475.00
UGC-NET PWB English (Paper II & III)	1809	235.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	968	199.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	888	445.00
UGC-NET Commerce (Paper-II & III)	1861	515.00
UGC-NET Computer Science (Paper-II & III)	894	750.00
UGC-NET Physical Education (Paper-II & III)	931	445.00
UGC-NET Management (Paper-II)	1653	455.00
UGC-NET Management (Paper-II & III)	1813	499.00
UGC-NET Management (Paper-III)	1701	450.00
UGC-NET Education (Paper-II)	1522	325.00
UGC-NET Education (Paper-III)	1531	430.00
UGC-NET Education (Paper-III)	1860	275.00
UGC-NET Education (Paper-II & III)	1815	399.00
UGC-NET PWB Education (Paper-II & III)	1803	235.00
UGC-NET Visual Art (Paper-II)	1752	180.00
UGC-NET Economics (Paper-II & III)	1775	635.00
UGC-NET Sociology (Paper-II)	1755	330.00
UGC-NET Sociology (Paper-III)	1772	460.00
UGC-NET Psychology (Paper-II)	1765	390.00
UGC-NET Psychology (Paper-III)	1770	350.00
UGC-NET Mass Communication and Journalism (Paper-II & III)	1764	510.00
UGC-NET History (Paper-II & III)	1769	540.00
UGC-NET History (Paper-II & III) Facts At a Glance (With Multiple Choice Questions)	1773	390.00
UGC-NET Home Science (Paper-II & III)	1771	525.00
UGC-NET Political Science (Paper-II & III)	1777	670.00
UGC-NET Library & Information Science (Paper-II & III)	1785	355.00
UGC-NET Social Work (Paper-II & III)	1791	325.00
UGC-NET PWB Human Resource Management (Paper-II & III)	1810	255.00



**यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./सेट
परीक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं
को ध्यान में रखते हुए¹
परीक्षोपयोगी विशेष सामग्री**

उपयोगी पुस्तकों	Code No.	Price
UGC-NET ऐक्सिट वर्क बुक जनरल पेपर-I	2226	180.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (डॉ. लाल, जैन एवं डॉ. वर्षाळ)	200	325.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (डॉ. मिथिलेश पाण्डेय)	271	420.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (डॉ. के. कौटिल्य)	2242	390.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	574	140.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2328	560.00
UGC-NET अध्येशस्त्र (डॉ. अनुपम अग्रवाल)	521	499.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	567	415.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2258	395.00
UGC-NET भूगोल (द्वितीय प्रश्न-पत्र) (डॉ. एम. एस. सिसोदिया)	54	299.00
UGC-NET भूगोल (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2191	499.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	685	325.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	201	510.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	204	575.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र) महावर्षपूर्ण तथ्य (वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों सहित)	2212	450.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	714	310.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2206	525.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	682	430.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1226	470.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2256	355.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	779	60.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1323	65.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2204	250.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1048	215.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1022	715.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2195	380.00
UGC-NET मनोविज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	2210	390.00
UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1336	240.00
UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1337	530.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2261	355.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	127	495.00
UGC-NET समाजशास्त्र (तृतीय प्रश्न-पत्र)	2267	395.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2268	750.00
UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	10	220.00
UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र) (लेखिका : डॉ. आभा सिंह)	2244	235.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2081	310.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2269	380.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र) (लेखिका : विनीता यादव)	2273	410.00
UGC-NET शारीरिक शिक्षा (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2270	410.00
UGC-NET जनसंचार एवं पत्रकारिता (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2201	540.00